खण्ड-293, अंक-4
बुधवार, 15 पौष, शक संवत् 1893
(5 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१५–५१९
प्रश्नोत्तर	५१९–५७२
उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहिति विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५७२–५७३
मारवाड़ी कालेज कानपुर में अध्यापकों पर गुंडों द्वारा आक्रमण तथा स्थानीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सत्याग्रह के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	५७३–५७४
राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के संबंध में जानकारी ..	५७४–५७५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	५७५–५७६
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विचार जारी) ..	५७६–५७७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	५७७–५७९
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पारित) ..	५७९–६१५
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ (विचारोपरान्त पारित) ..	६१५–६४८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६४८–६४९
टाइम्स आफ इंडिया के विरुद्ध श्री चरण सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	६४९–६५०
नत्थियां	६५१–६७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक ५ जनवरी, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैय्या जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री

चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जग नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायण त्रिवदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री,
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
वंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहरी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर दीक्षित, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डा०
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री

राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव वैद्य, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री

सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टमटा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ५, जनवरी, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

थानाध्यक्षों और सर्किल इन्सपेक्टरों के पदों पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत

**१—श्री राम निहोर राय, (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच), श्री उदय प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर), श्री जंगबहादुर सिंह यादव (जिला जौनपुर), श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर), श्री सन्तूराम (जिला बस्ती), श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में पुलिस विभाग के थानाध्यक्षों की सर्किल इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति होने जा रही है? यदि हां, तो क्या उसमें भी १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों का ध्यान रक्खा जायगा।

गृह उप-मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

इन्सपेक्टरों की पद पर पदोन्नति हेतु चयन मास अक्टूबर, १९७१ में किया गया। पुलिस इन्सपेक्टर पद पर प्रोन्नति केवल वैभागिक होती है जिसमें कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा निर्धारित नहीं है, अत: उनके चयन हेतु १८ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये स्थान रखने का अभी कोई प्राविधान नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार, केन्द्रीय सरकार के सर्क्यूलर की भांति पदोन्नति में भी १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन करने जा रही है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मैंने बताया कि यद्यपि इस समय तक ऐसा कोई प्राविधान नहीं था लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए तथा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रस्ताव को ध्यान में रख कर कैबीनेट में इस पर विचार किया और उसने सहमति प्रकट की कि इस प्रकार की सुरक्षा के लिये विचार करके प्राथमिकता दी जाय ।

श्री कल्याण सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अनुसूचित जातियों के प्रमोशन और आरक्षण के लिये जो फैसला केबिनेट ने लिया है क्या वही फैसला बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के लिये भी भी लेने का यह सरकार विचार रखती है ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

थानाध्यक्षों और सर्किल इन्सपेक्टरों में इस वक्त अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जैन पुलिस कमीशन ने सर्किल इंसपेक्टरों के पदों को समाप्त करने के लिये जो प्रस्ताव दिया था, क्या सरकार उस पर विचार करके थानाध्यक्षों को सीधे डी० एस० पी० बनाने का विचार कर रही है?

[योजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

बावजूद अनेक बार घोषणाओं के हरिजनों का जो १८ प्रतिशत नहीं हो पाया है और अभी केवल ५ प्रतिशत ही है उसके लिये क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि कितने समय में सभी स्तरों पर (कानिस्टिबिल, थानाध्यक्ष और डी० एस० पी०) उसका प्रतिशत १८ प्रतिशत हो जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

शासन इसके लिये प्रयत्नशील है लेकिन इसके लिये कोई तिथि बतायी जाना संभव नहीं है ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

यह देखते हुए कि हर जिले में थानाध्यक्षों के पद परमानेन्ट पोस्ट नहीं है, यह जिलों के सुपरिन्टेन्डेन्ट के हाथ में रहता है कि वह किस एस० आई० को उस जगह पर रखे। क्या सरकार इस बात का जी० ओ० जारी करेगी कि भविष्य में हर जिले में जितने थानेदार या सर्किल इन्सपेक्टर हैं उनमें १८ प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग होने चाहिये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इससे तो उलझने पैदा हो जायंगी । ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि १८ प्रतिशत किया जायगा। तो कैबिनेट ने कब डेसीजन लिया है और इन सर्किल इन्सपेक्टरों की पदोन्नति कब की गयी है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

हमने यह नहीं कहा है कि कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। हमने कहा है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रकट की है। यही कारण है कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। जहां तक उनके निर्णय का प्रश्न है, ४, ५, ६ और ७ अक्तूबर, १९७१ को चुनाव समिति के माध्यम से उनके नाम प्राप्त किये हैं।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

जैसा मंत्री जी ने कहा कि थानाध्यक्षों की नियुक्ति में हरिजनों की नियुक्ति का जो प्रतिशत तय था उसके आधार पर की गयी है, तो जब उन्होंने इसे स्वीकार किया तो जो नये थानाध्यक्ष रखे जायेंगे उसमें उनका जो प्रतिशत कम है उसको ध्यान में रखा जायगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कम्पिटीटिव पोस्ट्स जिनके लिये इंटरव्यू होता है, रिटेन टेस्ट होता है, उनके लिये तो १८ प्रतिशत का प्राविधान है। परन्तु जो प्रोमोशन पोस्ट्स हैं। उसमें उलझने हैं, उसका प्रश्न विचाराधीन है।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

२३ दिसम्बर के नेशनल हेराल्ड में यह छपा था कि मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय किया कि जो सेवायें उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के केन्डिडेट्स के प्रोमोशन के लिये भी १८ परसेंट का रिजर्वेशन होगा और आपने कहा कि मंत्रिपरिषद् का कोई निर्णय नहीं हुआ। तो यदि कोई निर्णय मंत्रिपरिषद् का ऐसा हुआ तो वह कब हुआ और यदि नहीं तो क्या इस पर विचार कर के ऐसा निर्णय करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग से प्रस्ताव आया था जिस पर सहमति प्रकट की गयी और वह शासन के विचाराधीन है। बहुत से निर्णय मंत्रिमंडल के ऐसे होते करने हैं जो गोपनीय होते हैं।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

१८ परसेंट प्रोमोशन की बात को छोड़ कर के विभिन्न पदों पर, डी० एस० पी० और एस० ओ० और एस० आई० के पदों पर भी १८ परसेंट प्रोमोशन नहीं होता है। तो क्या उसको पूरा की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो सेलेक्शन पोस्ट्स हैं, जिनमें रिटेन टेस्ट होता है उनमें तो हम १८ परसेंट लेते ही हैं। परन्तु जहां पर प्रोमोशन से होता है उसका प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो विषय शासन के विचाराधीन है क्या इस बजट सेशन से पहले उसके ऊपर कुछ निर्णय ले लेंगे ताकि जो पिछले रिक्त स्थान हैं हरिजनों के लिये उनकी पूर्ति हो सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

जो सेलेक्शन में केन्डिडेट्स रखे गये हैं उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इंस्पेक्टर के पद पर एप्रूव्ड लिस्ट में ६० नाम हैं जिनमें एक नाम हरिजन का भी है।

श्री राम प्यारे—

जबकि सदन में ही कई बार घोषणा हो चुकी है कि जिन स्थानों पर अभी हरिजनों का प्रतिशत पूरा नहीं है तो तृतीय श्रेणी में २५ प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत स्थानों पर हरिजनों की भरती होगी। तो क्या मंत्री जी ने गृह विभाग को ऐसे आदेश दिये हैं कि जिन जगहो पर हरिजनों का प्रतिशत पूरा नहीं है उन पर २५ और ४५ प्रतिशत के हिसाब से हरिजनों की भरती की जाय ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया ।

श्री बांके लाल—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग पदोन्नत हुये उनमें से ब्राह्मण कितने हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्रोमोशन पोस्ट्स पर पदोन्नति देने के लिये जातिगत भावना से विचार नहीं होता परन्तु यदि माननीय सदस्य इसमें अभिरुचि रखते हैं तो वह हमारे कार्यालय में आ जायं हम उन्हें सूचना मंगा कर दे देंगे ।

वित्त एवं लेखा सेवा व कोषागार निदेशालय की स्थापना

** २—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे अक्तूबर सन् १९७१ में केंद्र सरकार का एक ऐसा परिपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि बेहतर बजट नियंत्रण के लिये राजकोषों की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाय और उसका एक अलग निदेशालय कायम किया जाय ? यदि हां, तो उस परिपत्र का प्रारूप क्या है और सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह भंडारी)—

जी हां, अक्तूबर, १९७१ में केन्द्र सरकार से एक अर्धशासकीय पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रत्येक राज्यमें एक वित्त एवं लेखा तथा एक कोषागार निदेशालय की स्थापना की अनुशंस की गई है तथा कोषागार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है इस राज्य में वित्त एवं लेखा सेवा की स्थापना अप्रैल, १९४८ में एवं कोषागार निदेशालय की स्थापना फरवरी, १९६५ में कर दी गयी थी । कोषागार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है और आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ मिनट हुये हमें यह उत्तर मिले हैं, प्रश्न २ व ३ सब के बारे में यही दशा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शिकायत उनकी ठीक है, उत्तर मेम्बरान को समय से मिल जाने चाहिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

शासन अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं करता, हम बराबर आप का ध्यान इस ओर दिला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सचेष्ट रहेंगे तो शासन अवश्य कर्त्तव्य का पालन करेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोषागार निदेशालय की स्थापना फरवरी, ६५ में हुई थी और उसके बाद ६ वर्ष से अधिक हो चुके अभी तक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने का कारण क्या है?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

यह प्रशिक्षण देने की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में की गई थी, उच्च स्तर के कर्मचारी तो प्रशिक्षित थे लेकिन अन्य कर्मचारी जो टी० ओज० के नीचे के ओहदों के थे उन के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस वर्ष की जा रही है और साधनों के अभाव के कारण अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब लेखा सेवा की स्थापना सन् ४८ में की गई थी तो उस समय से अभी तक उस सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लेखा सेवा के लोगों के प्रशिक्षण का प्रश्न नहीं है क्योंकि वे तो प्रशिक्षित ही रिक्रूट होते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब प्रशिक्षण के लिये ६५ से लेकर आज तक संसाधन उपलब्ध नहीं हुये तो इस वर्ष जो यह व्यवस्था की गई है वह कितने रुपये की की गई है जो कि पहले नहीं हो सकी थी और इस वर्ष ही हो सकी है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सम्मानित सदस्यों की जानकारी है कि इस तरह की व्यवस्थायें आयोजनागत नहीं होतीं, वे नान-प्लान आइटम के रूप में आती हैं और शासन, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का यह दृष्टिकोण रहा है कि जहां तक हो सके स्टाफ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर कम हो और नान-प्लान आइटम्स पर व्यय, कम से कम हो, इसीलिए इसके लिये प्राविधान पहले नहीं किया जा सका ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह प्रश्न बजट नियंत्रण से संबंधित है, मैं यह जानना चहता हूं कि हमारे वित्तमंत्री जी की यह जो बजट नियंत्रण की प्रणाली है उसके अनुसार हर विभाग को अपनी डिमान्ड्स ३० नवम्बर तक शासन या वित्त विभाग को भेज देनी चाहिये परन्तु जो विभाग नहीं भेजते उनके विरुद्ध कोई दण्ड या उपाय की बात उन्होंने सोची है ताकि विभाग समय के भीतर अपने इस्टीमेट्स भेज दिया करें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बजट मैनुअल में जो तिथि निर्धारित है उसके अनुसार वित्त विभाग इस बात की पूरी चेष्टा करता है और दबाव भी देता है कि नवम्बर या जो भी तिथि हो उसके अनुसार ही विभाग अपने कार्यक्रम के प्रस्ताव भेजे लेकिन अगर नहीं भेजता है तो इसमें कठिनाई पैदा होती है। विभाग का कोई अनुदान बजट में रखा ही न जाय, यह भी मुश्किल होता है।

वीरगति प्राप्त सैनिक परिवारों को भूमि के आवंटन में वरीयता

**३—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री रघुवीर सिंह यादव (जिला मैनपुरी) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार ग्राम समाज की भूमि के आवंटन में पाकिस्तान के वर्तमान युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिवारों तथा अन्य सैनिक परिवारों को प्राथमिकता देने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो कब और इस संबंध में शासनादेश द्वारा जो परिपत्र जिलाधिकारियों को भेजे गये हैं वह क्या हैं ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगनाथ प्रसाद)---

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की, जिसने सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण जीवन बलिदान किया हो, भूमिहीन विधवा, पुत्रों, अविवाहित पुत्रियां और माता-पिता को और गांव सभा क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारियों को छोड़कर) को गांव सभा की भूमि के आवंटन में वरीयता दी गई है। यही वरीयता वर्तमान भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरोक्त सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलेगी।

अ० शा० पत्र सं० ७०९/ १क-स०-अ०-२-१७-१(३२) / ७१, दिनांक २४ दिसम्बर, १९७१ द्वारा शासन ने अन्य सुविधाओं के साथ उपर्युक्त सुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिलाधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि फौजी परिवार इन सुविधाओं से भली भांति परिचित हो जाएं और आपातकाल के दौरान इन सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को बिना किसी विलम्ब के मिलता रहे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने तीनों प्रश्न पूछ लूं क्योंकि बाद में मुझे समय नहीं मिल पाएगा। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो परिपत्र आपने भेजा उसकी प्रतिलिपि हमको कब मिल जायेगी, जो सैनिक अधिकारी हैं, उनको क्यों छोड़ दिया गया है और वे सेनानी जो बिल्कुल अपंग हो गये हैं और काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या सुविधा दी गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)---

समय-समय पर जो परिपत्र यहां से भेजे गये हैं, यदि उनको आप देखना चाहते हैं तो सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे। अभी यदि आप चाहते हैं तो अभी रख दूंगा। पर इस समय सब को तो नहीं दे सकूंगा। इस समय जो मेरे पास हैं, केवल उनको दिखा सकूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि जो परिपत्र भेजे गये हैं, वे क्या हैं तो उन सबकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्य को मिल जानी चाहिये थीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय उपलब्ध नहीं हैं लेकिन वे दे देंगे।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मेरे पास जो परिपत्र इस समय हैं, अगर आप चाहें तो दिखा दूंगा और अभी पेश कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

वे बड़े होंगे। आप उनकी प्रतिलिपियां छपवाकर सदस्यों में बंटवा दें।

श्री उदितनारायण शर्मा---

उनको तो मैं शाम तक ही दे पाऊंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध होती है आमतौर पर यह देखने में आया है कि हमारे सैनिक जो आ रहे हैं, अपंग भी हैं, घायल भी हैं और वीरगति को प्राप्त भी हो गये हैं, तो क्या सरकार उन सभी जमीनों की जांच करायेंगी, जिनको राजनीतिक व्यक्तियों ने या अधिकारियों ने अपने अपने नाम विभिन्न जिलों में जो पट्टा करा लिये हैं, उनकी जांच करायेगी और उनको खारिज कर उन सैनिकों को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगी, श्रीमन् ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

भूमिहीन होने के नाते जिन लोगों ने जो जमीन अपने पास ले रखी है, उसकी कई बार जांच हो चुकी है। दुबारा जांच करवाने का प्रश्न नहीं है। इसके अतिरिक्त उनको अब उन जमीनों पर कुछ अधिकार भी प्राप्त हो गये हैं जिनसे उनको महरूम नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री असरार अहमद जी ने प्रश्न किया है, उसका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ। वह कह रहे हैं.....

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, जब परिपत्र बांट दिये जायेंगे तो मालूम हो जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह श्री असरार अहमद का सवाल है। सवाल अभी अपनी जगह पर है। इसीलिये श्री असरार अहमद को बोलने की इजाजत दी गयी है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं पूछना चाहता हूं कि उन सैनिक अधिकारियों को जो मर गये हैं, सरकार क्यों सुविधा नहीं दे रही है? अधिकारियों को छोड़कर क्यों दी गयी है? अगर वे जख्मी हुए हैं तो उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं दी गयीं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आपका सवाल हम समझे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

असल में भूमि के आवंटन का सवाल पीछे भी आता है। इनके उत्तर में सरकार ने भूमि के आवंटन संबंधी जो सुझाव दिये हैं, वे उसमें लिखे हैं। प्रश्न संख्या ४ जब चलेगा तो वह साफ हो जायेगा। श्री असरार अहमद जी का कहना है कि अधिकारियों को क्यों छोड़कर दिया जा रहा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

कहीं पर ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को दिया जायगा और सैनिकों को नहीं।

श्री हिम्मत सिंह—

इस १९८वें ऐक्ट के अनुसार गांव सभाओं ने उन सैनिकों, जोकि स्वर्गीय हो चुके हैं, के परिवारों को जमीन नहीं दी है। डी० एम० के कहने पर भी नहीं दी है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कलेक्टर आदि जो अधिकारी हैं, उनके कहने पर गांव सभाएं इन सैनिकों के परिवारों को जमीन दे सकें?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अगर ये अधिकार कलेक्टर आदि को दे दिये जायेंगे तो गांव सभाओं के अधिकार छिन जायेंगे। किन्तु ऐसे सैनिकों को जो मर चुके हैं, उनके परिवारों को नहीं दिया जाता है, तो कलेक्टर आदि ऐसे कसेज को परसनली अटेन्ड करेंगे और देखेंगे कि उनको जमीनें मिलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री असरार अहमद जी का कहना है कि अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, भूमि देने की व्यवस्था जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ में की गयी है जिन लोगों ने इस जंग में अपनी जाने गवांई उनके मातर-पिता, पुत्र आदि को जमीनें दी जाएं। यह जो अधिकारी लिख दिया गया है, वह गलती से लिख दिया गया है। यह अधिकारियों और सैनिकों, दोनों को प्राप्त होगी।

श्री मोहम्मद असगर अहमद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जवाब देने से पूर्व इसे पढ़ लिया था ? मंत्री जी क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो मारे गये हैं, उनका जिक्र है उनके नोट में लेकिन जो जख्मी हो गये हैं, उनके विषय में बताएं कि क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, अगर आप १९८ धारा का मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा कि जो प्राथमिकता दी गई है वह उनको दी गई है जो वीरगति को प्राप्त हो गये हैं। जो लोग अभी सेवा में मौजूद हैं और जख्मी हो गये हैं उनको तो तनख्वाह मिलती रहेगी। इस तरह से उनकी आर्थिक अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां तक भूमि के आबंटन का प्रश्न है इस संबंध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिनके पास जीवकोपार्जन के साधन मौजूद हैं उनको इसमें नहीं रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे चलें, प्रश्न संख्या ४....

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें...

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसन ग्रहण करें। अब इसमें बहस की कोई जरुरत नहीं। आपको अपने प्रश्न का उत्तर चौथे प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जायेगा। जो उत्तर मिलेगा उससे आपको संतोष हो जाएगा।

सैनिकों और उनके आश्रितों को सहायता एवं सुविधाएं

**४—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस भारत-पाक युद्ध में हताहत घायल व अपंग हुए सैनिकों व उनके आश्रितों के सहायतार्थ प्रदेश की सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

संबद्ध सैनिकों और उनके आश्रितों को जो सहायता एवं सुविधाएं दी गई हैं उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६५१-६५४ पर)

एक सदस्य—

संलग्न सूची पढ़वा दें.....

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़वा देते हैं। महत्वपूर्ण है। लेकिन ६ पृष्ठ की है...

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

क—नकद पुरष्कार

१—उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय थल, जल व वायु सेना के उन सेनानियों को, जिन्हें असाधारण बहादुरी के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र अथवा वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है, निम्न प्रकार धनराशि नकद पुरष्कार के रूप में देती है:—

	रु०	
परमवीर चक्र	१०,०००	(और ५०० रु० प्रति वर्ष की वृत्ति ३० वर्ष के लिये)।
महावीर चक्र ..	७,५००	
वीर चक्र ..	३,०००	

उपरोक्त पुरष्कार मरणोपरान्त डेकोरेशन की दशा में भी वीरगति को प्राप्त सेनानी की विधवा को दिया जाता है।

२—उत्तर प्रदेश की ओर से उस माता-पिता को जिनके ३ या ४ से अधिक पुत्र पुत्रियां फौज में कार्य करते हैं, उस स्त्री को जिसका पति और २ पुत्र पुत्रियां फौज में भर्ती हुए हों या उस माता-पिता को जिनके एक ही बच्चा हो और वह फौज में भर्ती हुआ हो, को ५ वर्ष के लिये १०० रु० प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता है।

३—उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा उन फौजियों के परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए हों, स्थायी रूप से अपग हो गये हों या जो खो गये हों, सहायता संस्थान ने अभी हाल ही में निर्णय लेकर उपरोक्त लाभ भोगियों के लिए निम्नांकित धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की है :—

	वीरगति प्राप्त होने या खोये जाने पर रु०	अपंग होने पर रु०
अफसर	५,०००	२,०००
जे० सी० ओ०	३,०००	१,५००
अन्य पदधारी	१,०००	१,०००

खोये जाने वाले फौजियों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली धनराशि दो बराबर किस्तों में दी जायेगी और अन्य फौजियों को देय धनराशि एक मुश्त दी जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह ६ पृष्ठ की है। १२ तो पढ़ने में ही बज जायेगा। अच्छा हो आप इसे भी छपवा कर बटवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा यह बांट दी जायेगी। इसमें जो भूमि से संबंधित भाग है उसे आप सुन लेवें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

ख—भूमि वितरण

४—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए हों, की भूमिहीन विधवा, नाबालिग लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा माता-पिता को और गांव सभा क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों को गांव सभा की भूमि के आवंटन में वरीयता दी गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटन में भी वही वरीयता उपरोक्त प्रकार के फौज के आश्रितों तथा सैनिकों को इस अन्तर के साथ दी गई है कि गांव सभा क्षेत्र में रहने की बन्दिश नहीं होगी।

५—अतिरिक्त रेलवे विभाग की भूमि जो "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के अन्तर्गत काश्तकारों को उठाई जाती है, इसके बन्दोबस्त में भी मृतक फौजियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता श्रेणी में रखा गया है।

६—जिला नैनीताल के तराई-भावर क्षेत्र में कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों के रहने वाले सैनिकों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी स्थान की भूमि देने में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। भूमि की मांग करने वाले व्यक्तियों की अधिकता को देखते हुए भूमि आवंटन के विषय में यह नीति अपनायी गई है कि किसी व्यक्ति को ३-१/८ एकड़ से अधिक भूमि न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे न पढ़ें। ५०० रु० तकावी का प्राविजन है। जो मर गये हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये यूनिवर्सिटी तक के लिये फीस माफ करने और जो जख्मी हुए हैं उनके बच्चों की हाई स्कूल और इन्टर तक का प्राविजन है।

एक सदस्य—

हाई स्कूल या इन्टर तक के लिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, अभी इसको स्थगित कर दें ताकि इसे हम लोग पढ़ लें।

एक सदस्य—

भूमि वाला प्राविजन इसमें है?

श्री उपाध्यक्ष—

भूमि वाला इसमें है। अधिकारियों को छोड़ कर नहीं रखा गया है।

अब आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, इसे कुछ साफ कर दें कि हाई स्कूल तक या इन्टर तक.....

श्री उपाध्यक्ष—

हाई स्कूल है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इस पर दो घन्टे की चर्चा का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

रोजगार के लिये प्रशिक्षण की सुविधा इस परिपत्र में है वह बांट दिया जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, एक बात रह गई है और जो परिपत्र पढ़ा गया है वह इसमें नहीं आई है। धनियों और बड़े लोगों की हजारों बीघा सीलिंग की जमीन का सैनिकों में बंटवारा सरकार क्यों नहीं कर सकती है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, सीलिंग की भूमि के आवंटन में भी इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। पहले जो लोग मारे गये हैं उनके आश्रितों को दी जायगी और जो सेवा से निवृत हुये हैं उनको दी जायगी।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय, यह जानकारी है कि काफी लोग भूमिहीन हैं; और उनकी संख्या काफी है जो देश के लिये हताहत हो चुके हैं, अपंग हो गये हैं और हरिजन भी हैं। इनको देख कर क्या माननीय मंत्री जी यह विचार करेंगे कि १९५७ में जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी—जैसे श्री सुरेन्द्र सिंह मजीठिया जी हैं, उनके पास की हजारों एकड़ जमीन सरकार छीन कर सैनिकों को दे।

श्री उपाध्यक्ष—

छीन कर जमीन दी जाय या.....

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिन लोगों को भूमि के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उनसे सरकार जमीन नहीं छीन सकती है। दूसरे यह बड़ा एलोबरेट प्रोसेस है। उनके लड़के जो काम करते हैं उनसे उनके बड़ों के कसूर की वजह से जमीन छीनी जाय यह उचित नहीं मालूम होता है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के महीने में एक सर्क्यूलर समस्त डी० एम्स को गया है कि गांव समाज की जो फालतू जमीन है, सीलिंग्स से जो जमीन बची है वह बमुकाबिले सैनिकों, भूमिहीनों के उन लोगों को दी जाय जो उद्योगपति हैं। उनके लिये वह भमि रिजर्व रखी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय नेता विरोधी दल कल उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे जिस समय यह प्रश्न उठा था। शासन से एक पत्र गया था और विधान परिषद् में मैंने उसका उत्तर भी दिया था। वह पत्र गलती से चला गया था और उसके कोई अर्थ नहीं हैं।

श्री चरण सिंह—

क्या माननीय राजस्व मंत्री ने उस ड्राफ्ट को देखा था? इसका महत्वपूर्ण मसला और उसके ड्राफ्ट को बिना देखे जारी कर दिया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय, उस ड्राफ्ट को मेरे विभाग ने नहीं बल्कि उद्योग विभाग ने जारी किया था।

श्री चरण सिंह—

उद्योग विभाग ने बिना राजस्व विभाग के मशविरे के ही उस पत्र को जारी कर दिया। सरकार तो एक ही है, उनकी इसमें पूरी जिम्मेदारी है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय, इसमें थोड़ी सी भ्रान्ति है। उद्योगों को अपने प्रदेश में तरजीह देने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है। जो उद्योग लगते हैं उनके लिये भूमि का प्रबन्ध तो करना ही होगा और उद्योगपतियों को उसके लिये भूमि तो देनी ही होगी वह कहीं से भी दी जाय। इसमें अक्सर किसानों की जमीन भी एववायर की जाती है और बहुतसे उद्योगों को लगाने के लिये किसानों की जमीन भी ली गई, खेतीबाड़ी की भी जमीन एक्वायर की गई है। यह कहा गया कि किसानों की जमीन न एक्वायर की जाय उद्योगों को लगाने के लिये। अब प्रश्न है हमारे प्रदेश में उद्योगों के लगने की आवश्यकता है उसके लिये भूमि कहां से प्राप्त की जाय? यह विचार किया गया था कि जो हमको जमीन फाजिल मिले उनको उद्योगों के लगाने के लिये रिजर्व रखा जाय। उसकी मंशा यह लगाई गई कि अब किसी को भमि मिलने वाली नहीं है और खाली उद्योगों के लगाने के लिये ही जमीन रिजर्व कर दी गई है। यद्यपि उसकी यह मंशा नहीं थी।

श्री चरण सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा नीति का प्रश्न है और इसके अन्दर कई प्रश्न आ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदन का ऐसा रुख मालूम होता है कि वह इसमें बहस करना चाहते हैं। आप अगर लिखकर इसको भेज देंगे तो हम इसकी इजाजत दे देंगे।

श्री चरण सिंह--

सर्क्यूलर की कापी भी भेज दीजियेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह जमीन केवल उद्योगों क लिये ही दी जाय यह मंशा नहीं है। जो आदेश यहां से गये थे उनको निरस्त किया जा रहा है।

श्री चरण सिंह--

सवाल यह है कि उद्योगों के लिये कितनी जमीन चाहिये? बड़े उद्योगों को तरजीह दी जायेगी जिससे अपने प्रदेश की तरक्की होगी। आखीर उनको कितनी जमीन चाहिये। ५ एकड़ के स्थान पर ५० एकड़ एक्वायर की जाती है। १९४८ का सरक्यूलर है कि कल्टीवेटेड कृषि भूमि को तरजीह दी जाय। उस पर अमल नहीं हुआ। आपके समाजवादी ढांचे में रहते हुये इस प्रकार की गलती हुई कैसे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गलती हो जाने की बात नहीं है। मैंने कहा कि कुछ भ्रान्ति हो गयी। जब जमीन इस तरह से दाखिल-खारिज हो और हमको मिल जाय तो आवश्यकता यह हुई कि किसानों की जमीन हम न लें। छोटे-बड़े सभी उद्योग हमें लगाने हैं, उसकी मांग होती रही है। यह दसरी बात है कि किसी की यह राय हो कि बड़े उद्योग न लगें, केवल छोटे ही लगें। हमारी राय है कि दोनों ही लगने चाहिये। अब सवाल यह है कि किसानों की जमीन उसके लिये ली जाय या नहीं। नियम यह था कि यथासम्भव खेती की जमीन न ली जाय। ऊसर, बंजर, नजूल-पे जो जमीनें हों उनमें उद्योगों को लगाने की कोशिश की जाय! अब पत्र में निकल गया "उद्योग-पतियों के लिये"। उससेभ्रान्ति हो गयी। भ्रान्ति यह हो गयी स्थानीय अधिकारियों को कि इसके माने यह हैं कि इन जमीनों को रिजर्व रखें उद्योगों को लगाने के लि और किसी को न दिया जाय। यह बात नहीं है। जो प्रायरटी है वह मौजूद है। उद्योगों को लगाने के लिये यथा-सम्भव वही जमीन ली जाय जो खती की नहीं है। यह मतलब है। इसमें समाजवाद की या भूल की कोई बात नहीं है।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय जो आपने आदेश दिया है, मैं लिख दूंगा चर्चा के लिये। मैं समझता हूं कि भ्रान्ति अफसरों को नहीं हुई भ्रान्ति यहां से हुई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन् जो उत्तर दिया गया है उसमें यह है कि जो वीरगति प्राप्त हो गये या अपंग हो गय उनको एक हजार से दो हजार रुपये तक दिया जायेगा। तो क्या वह समझते हैं कि इस एक हजार की धनराशि से वह अपने जीवन का निर्वाह कर पायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न दुहरा दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, उत्तर में यह दिया है कि जो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं उनके आश्रितों को एक हजार से लेकर पांच हजार तक दिया जायगा और जो अपंग हो गये हैं उनको एक हजार से लेकर दो हजार तक दिया जायेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी धनराशि में क्या उनके और उनके परिवार के जीवन यापन के लिये पर्याप्त होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसके तो और नियम हैं। यह तो इस संकट काल में उनके लिये एक प्रतीकात्मक सम्मान प्रदर्शन मात्र है। यह कोई नहीं कह सकता कि इस धनराशि में उनका या उनके परिवार का जीवन निर्वाह हो जायगा। इसके लिये बड़े व्यापक नियम बन रहे हैं भारत सरकार की ओर से, जिसमें यहां तक सोचा गया है कि जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी वह तनख्वाह उनको, अगर अपंग हो गए हैं तो, जीवन पर्यन्त मिले और जो चले गये हैं तो उनके परिवार वालों को मिले।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस समस्या के बारे में जो चर्चा हुई उससे पता चलता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं और बहुत सी कठिनाइयां सैनिकों की ऐसी हैं जिनका ज्ञान हमको भी नहीं है और कदाचित सरकार को भी नहीं है। और जो सरकार ने सहायता दी वह प्रतीक मात्र है, वह तो ठीक है। तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है कि इस बात को जानने के लिये कि सरकार अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत और क्या-क्या कर सकती है, कोई एक समिति का गठन कर दे जिसमें एक प्रतिनिधि मिलेटरी का भी हो जो अपनी कठिनाइयों को सामने रख सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बहुत सी कार्यवाही इसमें की गयी है। जैसे कि नौकरी देने में उनके परिवार वालों को पहले स्थान दिया जायगा, भूमि देने के लिये जो प्रायरटी है, उसमें सैनिकों को पहले दी जाय, पब्लिक सैक्टर में जो जगह है उनमें पहले उनको जगह दी जाय। कहीं-कहीं पर अगर जगह नहीं भी है तो जगह क्रीएट कर दी जायें ताकि उनमें हम उनको लगा सकें। भारत सरकार इस संबंध में बड़े व्यापक रूप से विचार कर रही है और इसकी घोषणा पार्लियामेन्ट में हो भी चुकी है। एक विशद बिल इस संबंध में शीघ्र ही शायद आने वाला है और शीघ्र ही आयेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने तो एक भी प्रश्न नहीं किया है। क्या राजस्व मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि श्री सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की जो जमीन है, वह सन् १९५७ में देश में बगावत की जमीन है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[१ले गुरुवार में नियम ३८ (२) में सं० ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग के स्थायी व अस्थायी भन्डारपाल

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कितने भन्डारपाल कार्यरत हैं तथा अभी तक सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा कितने पद भन्डारपाल के स्थायी घोषित किये गये हैं वे कितने भन्डारपाल स्थायी हैं ?

(सिंचाई उप मंत्री)— श्री वीर बहादुर सिंह

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत भंडारपालों की अद्यावधि संख्या २४३ है। शासन द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या १३ है जिनके विरुद्ध अभी ५ भंडारपाल स्थायी घोषित किये गये हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको सर्विस करते हुये २७ वर्ष हो गये हैं और अभी तक उन्हें स्थाई नहीं किया गया है? यदि हां, तो स्थायी किये जाने के संबंध में शासन की क्या नीति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सरकार की तरफ से यह घोषणा की गयी है कि जो स्थायी सर्विसेज हैं उनमें ६० प्रतिशत पोस्ट्स स्थायी करते जा रहे हैं। फिर सरकार की तरफ से ऐसा उत्तर क्यों आता है कि हमें नोटिस चाहिये ? दोनों में विरोधाभास है। इसका स्पष्टीकरण चाहिये।

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

यह प्रश्न पूछा गया था कि विभाग में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो २७ वर्ष से टेम्पोरेरी हैं ? उसका उत्तर दिया गया कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इनसे पूछ लें कि इनकी नीति क्या है ?

श्री राम लखन—

जो कर्मचारी ३ साल की सर्विस से ज्यादा के हैं और वे पोस्ट्स जिन पर कि वे काम कर रहे हैं बराबर चलती रहेंगी उन सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १३ स्थानों के होते हुये केवल ५ व्यक्तियों को ही स्थायी किया गया है जब कि कर्मचारी कई सालों के पुराने हैं ?

श्री राम लखन—

कर्मचारियों को स्थायी करने से पहले उनके कागजात देखने पड़ते हैं। इसलिये विलम्ब हो गया है, जल्दी ही स्थायी किया जायेगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

पिछले बजट सेशन में अनुदानों के संबंध में उत्तर देते हुये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में उन समस्त कर्मचारियों को परमानेन्ट करने के संबंध में जिन्होंने ३ साल की सर्विस पूरी कर ली है एक कमेटी बना दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस कमेटी ने क्या उत्तर दे दिया है ? केवल ३ वर्ष की सर्विस के ही नहीं २०, १५, १२ वर्ष तक की सर्विस के कर्मचारी पड़े हैं। क्या सरकार उन सभी कर्मचारियों को, जिनकी कि ३ साल की सर्विस हो चुकी है, परमानेन्ट करने की घोषणा करेगी ?

श्री राम लखन—

इसका उत्तर तो दे दिया है कि इस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

२४३ स्थानों में से केवल ५ भन्डारपालों को ही स्थायी किया गया है। तो मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि शासन की स्पष्ट नीति क्या है ? कितने वर्ष के बाद और किस तरह से उनको स्थायी किया जायेगा ?

श्री राम लखन---

बतला तो दिया है कि जो कर्मचारी ३ वर्ष की सर्विस के हैं और उनके बराबर चलते रहने की आशा है उन्हें स्थायी करने की सरकार की नीति है।

श्री राम प्यारे---

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर दिया कि स्थायी करने की कार्यवाही चल रही है। कब तक स्थायी करेंगे, इस वर्ष में या अगले वर्ष में करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को बुलाया नहीं गया।)

खो नदी, शेरकोट, पर रिंग बांध का टूटना

*३---श्री चेतराम गंगवार---

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि वर्ष १९६९ में एक अस्थाई रिंग बांध खो नदी पर (रामगंगा प्रोजेक्ट) शेरकोट के पास कायम रखा गया और वह बाढ़ में टूट गया जिसके कारण विभाग को चार लाख रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ? उपरोक्त नुकसान की कोई जांच किसी अधिकारी के विरुद्ध अभी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह रिंग बांध ४०,००० क्यूसेक्स के बहाव से, जो लगभग २५ वर्ष में एक बार आता है, कार्य के बचाव हेतु बनाया गया था। ५ अगस्त, १९६९ की रात्रि को ९.३० बजे बाढ़ की मात्रा अचानक ७०,००० क्यूसेक्स तक पहुंच गई। इतनी बाढ़ लगभग ७५-८० वर्ष में एक बार आती है। चूंकि इतनी बड़ी बाढ़ को रोकने के लिये न तो रिंग बांध व न ही शेरकोट कस्बे की ओर नदी के किनारे पर बनी सड़क के बंधे सक्षम थे। अतएव शेरकोट कस्बे को बड़ी हानि होने की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस वजह से इस बंधे को काट दिया गया। इस बाढ़ से विभाग को ४४,३७१ रु० की हानि हुई। इस संबंध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच की गई थी और कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

श्री चेतराम गंगवार---

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा कि ७५-८० वर्षों के बीच में यह आती है तो क्या यह जानते हुये भी विभाग द्वारा उक्त बांध कायम रखा गया ? जो कि ५ अगस्त को टूट गया, जिससे जन धन की और सरकार की इतनी क्षति हुई है, तो क्या कारण है कि ५ अगस्त तक उसको बनाये रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह बांध तो उस काम को करने के लिये बनाया गया था, कोई उस बाढ़ को रोकने के लिये नहीं बनाया गया था।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मंत्री जी ने कहा बांध काटा गया था, तो क्या यह बांध काटा गया था या कट गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बांध काटा गया था।

श्री चेतराम गंगवार---

मेरी निश्चित जानकारी है कि यह काटा नहीं गया था, पानी इकट्ठा हो गया था, इसलिये आटोमेटिकली कट गया। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी यह माना है, तो क्या आप इसकी पुनः जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन---

यह पहले बताया जा चुका है, नदियों में पुल या बैरेज बनाने के लिये कभी-कभी ऐसे बांधों के बनाने की आवश्यकता होती है। यह टेम्पोरेरी होते हैं परमानेन्ट नहीं। जिस बांध का जिक्र है वह वर्षा काल के आरम्भ में एकाएक बाढ़ आ गई थी, इसलिये काटा गया था, न काटा जाता तो कस्बे के लिये खतरा पैदा हो जाता।

श्रमदान से निर्मित रामपुर वन्धे को पूरा करने की मांग

*४---श्री सन्तूराम---

क्या सरकार ब्लाक क्षेत्र हैसर बाजार, जिला बस्ती में छपरा से बहराडाडी तक जनता द्वारा श्रमदान से निर्मित रामपुर बन्धा को पूरा करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं। यह बंधा सिंचाई विभाग की देख-रेख में नहीं है। अतः इस बंधे का कार्य पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सन्तू राम---

यदि वह सिंचाई विभाग का नहीं है तो क्या किसी दूसरे तरीके से मंत्री जी उसे पूरा कराने की कृपा करेंगे ? जिससे कि किसानों को बड़ी हानि हो रही है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

छपरा से बहराडाडी तक का जो बांध है वह जनता के जन धन की बड़ी हानि करता है, इसके बारे में सरकार ने यह जवाब दिया है कि इसको बनाने का दायित्व सिंचाई विभाग पर नहीं है, इसलिये सरकार उसे बनाने का विचार नहीं कर रही है। किन्तु पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो सरकार की तरफ से और मुख्य मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि जिन बांध आदि का पता नहीं है कि किसके हैं उनको भी सरकार अपने हाथ में लेकर बनवायेगी, देखभाल करेगी ? तो क्या उस नीति के अनुसार इसको भी बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन---

उस बांध को तकनीकी दृष्टि से बनाना उचित नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वह तकनीकी दृष्टि क्या है ? कृपया बतायेंगे ?

श्री राम लखन---

यह बांध नदी घाघरा के नजदीक बना हुआ है और अब इसकी बांध की शक्ल भी नहीं रह गयी है। यदि बनाना जरूरी समझा जायगा तो इसका सर्वे कराना पड़ेगा और नदी से दूर हटाकर बनाना पड़ेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर यह बांध गलत था तो इसका सुझाव देने वाले कौन थे ? और सरकार ने लाखों रुपया इस पर खर्च करने का निर्णय क्यों लिया ?

श्री राम लखन---

इसका तो पहले उत्तर दे दिया गया है कि सिंचाई विभाग से इसका संबंध नहीं है। इसे श्रमदान या टेस्ट वर्क के द्वारा बनाया गया था।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सदन में राजस्व मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि श्रमदान वगैरह से जितने बांध बनाये गये हैं उनकी देख रेख का काम सरकार करेगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात मंत्री जी की जानकारी में है? अगर है, तो इस विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की और अगर कार्यवाही की तो क्या यह बांध उस सिलसिले में आता है या नहीं?

श्री राम लखन---

इस बांध की जानकारी जब प्रश्न किया गया तब सरकार को हुई, तकनीकी दृष्टि से वहां पर इसको बनाना ठीक नहीं है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों की आवास व्यवस्था

*५---श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अधिकारियों के रहने के लिये आवास की व्यवस्था है? यदि हां, तो कितने अधिकारी ऐसी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं और उनके नाम क्या हैं तथा विभाग को उनसे कितना रुपया किराये के रूप में प्राप्त होता है?

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

परिवहन आयुक्त के कार्यालय भवन में तीसरी मंजिल पर एक कमरा और एक बाथ-रूम बाहर से आये हुय अधिकारियों के ठहरने के लिये उपलब्ध है। जिसमें अभी तक उपस्कर आदि की व्यवस्था नहीं है। इस समय कोई अधिकारी उसका उपयोग नहीं कर रहा है। श्री य० के० सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त ने कुछ समय तक इसका उपयोग किया था। उनसे इसके किराये के वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिव प्रसाद पांडिया---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कितना माहवार किराया उनसे लिया जा रहा है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, उसी विभाग के कर्मचारी थे इसलिये किराया निर्धारण का जो प्रश्न है, अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

वह अधिकारी कितने दिन उस आवास में रहे और कितने दिनों में किराये का निर्धारण हो जायगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

१८-३-७१ से २६-११-७१ तक यह रहे, बिना फर्नीचर का कमरा था। सरकार के विचाराधीन है, शीघ्र ही इसका फैसला कर दिया जायगा।

श्री शिव प्रसाद पांडिया---

माहवार किराया क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कोई किराया तय नहीं था माहवार। किराया तय किया जायगा।

तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में बहुगुल नदी पर बनने वाले पुल का अंकन

*६—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि जिला बरेली के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से तहसील नवाबगंज में बहुगुल नदी पर उनके विभाग से बनने वाले पुल का estimate जो बरौर ग्राम पर बनना है अप्रैल, मई, १९७१ को स्वीकृति हेतु आया था ? यदि हां, तो स्वीकृति न मिलने के कारण क्या थे तथा कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बरेली, तहसील नवाबगंज में बरौर ग्राम के निकट बहुगुल नदी पर स्थित पुल की मरम्मत का अंकन जो अप्रैल–मई १९७१ में अधिशासी अभियंता रुहेलखंड, नहरखंड, बरेली द्वारा बनाया गया था, उसमें काफी कमियां थीं, जिनको दूर करने के लिये अंकन लौटा दिया गया था। अंकन में संशोधन करके अधिशासी अभियंता ने पुनः प्रस्तुत किया था जिस पर अधीक्षण अभियंता ने ४–९–७१ को स्वीकृति दे दी।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्वीकृति नया पुल बनाने हेतु या पुराने पुल की मरम्मत हेतु मिली है ? और कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बहुगुल नदी पर नया पुल बनाने को है। १२ हजार २३० रुपये इसका इस्टीमेट बना हुआ है।

फर्रुखाबाद जिले की मुख्य सड़कों में पानी तथा मरम्मत

*७—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य मार्गों पर फर्रुखाबाद लाल दरवाजा के पास लगभग एक फर्लांग तथा कन्नौज–सरायमीरा एक फर्लांग सड़क पर पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

जी हां। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*८—श्री महराम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद के घटियाघाट तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क की हालत वर्षा से बहुत खराब हो गई है ? क्या सरकार तुरन्त इन सड़कों को ठीक कराने के लिये आदेश जारी करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी हां। इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री महरम सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने आज प्रश्नों का जवाब दिया है, वह आज की स्थिति में दिया है ? या जब प्रश्न किया गया था उस समय की स्थिति को देखते हुये दिया गया है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह प्रश्न दो ढाई महीने पहले किया गया था जिस समय वह इलाका गंगा की बाढ़ से प्रभावित था, उस घटना के समय प्रश्न किया गया था, विभाग ने उत्तर दिया है आज की स्थिति में, जब पानी बाढ़ का नहीं रहा।

श्री महरम सिंह

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जांच इसकी करायेंगे कि विशेष स्थिति क्या थी और आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में क्या अन्तर था ?

श्री राज बिहारी सिंह---

स्थिति जो पहले थी वह खराब थी और आज वह ठीक हो गयी है । जिस समय श्री महरम सिंह देख कर आये थे तब बरसात थी और उस समय वह ठीक हो नहीं सकती थी ।

केन्द्रीय सिंचाई आयोग कोष्ठ के कर्मचारियों को वेतन भुगतान न होना

*९---श्री राम प्यारे---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि सचिवालय में लगभग ३ माह पूर्व "केन्द्रीय सिंचाई आयोग कोष्ठ" के नाम से एक विभाग का सृजन हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हो गई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि जिन पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है उन सभी पदाधिकारियों को पिछले तीन माह से अभी तक वेतन नहीं दिया गया है ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग---मितव्ययता की दृष्टि से केवल सहायक के एक पद को छोड़कर सभी पद भर लिये गये हैं ।

प्रश्न का तृतीय भाग :---जी हां, प्रारम्भ में आवश्यक औपचारिकता के पूर्ण न हो सकने के कारण लगभग तीन माह कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका था । इस वेतन का भुगतान किया जा चुका है और अब कर्मचारियों को वेतन समय से मिल रहा है ।

फतेहपुर में राजकीय नलकूप

*१०---श्री जय नारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में तारीख १३ जुलाई, १९७१ तक कितने स्टेट ट्यूबवेल लगे हैं जो कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इस जनपद में और स्टेट ट्यूबवेल लगाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---

फतेहपुर जिले में दिनांक १३-७-७१ तक केवल एक राजकीय नलकूप कार्य कर रहा था । इसके अतिरिक्त १० राजकीय नलकूपों का छिद्रण और हो चुका है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग---

जी हां, इसी वर्ष १९७१-७२ के अन्त तक १५ नलकूप और लगाने प्रस्तावित हैं ।

*११---श्री जय नारायण सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद की तहसील फतेहपुर का वह क्षेत्र जो जमुना से मिला है और जहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है, स्टेट ट्यूबवेल लगवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितने और कब तक ?

नोट-(तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया)

श्री राम लखन---

फतेहपुर जिले की तहसील, फतेहपुर का वह क्षेत्र जो जमुना से मिला है और जहां पर कोई राजकीय सिंचाई का साधन नहीं है, अब तक कोई राजकीय नलकूप लगाना प्रस्तावित नहीं है ।

आजमगढ़ में रोडवेज बसों के टायर का अभाव

*१२---श्री लालसा (जिला आजमगढ़)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपक्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत रोडवेज की बसें कितनी टायर के अभाव में गत माह अप्रैल से जून, १९७१ तक कितने दिनों से खड़ी थीं और उन गाड़ियों के प्रयोग न होने के कारण सरकार को कुल कितने रुपये का घाटा हुआ ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के ट्यूबवेल डिवीजन के राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों को टी० ए० न मिलना

*१३---श्री मोहम्मद नबी खां (जिला बस्ती)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष सन् १९७०-७१ ई० में बस्ती जिले में ट्यूबवेल डिवीजन के कितने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को टी ०ए० नहीं मिला है ? उसकी धनराशि क्या है और न मिलने का कारण क्या है ?

श्री राम लखन---

सम्बन्धित खण्ड में वर्ष १९७०-७१ में एक राजपत्रित एवं १४ अराजपत्रित कर्मचारियों को दो हजार छः सौ इक्यावन रुपये धनराशि के टी० ए० बिल नहीं दिये जा सके थे । विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं---

१---सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा टी०ए० बिल समय से कार्यालय में न जमा करना ।

२---सहायक अभियन्ता द्वारा तत्परता से बिलों को अधिशासी अभियन्ता के यहां अग्रसारित न करना, तथा

३---बिलों में त्रुटि होने तथा उनकी जांच करने हेतु पत्र व्यवहार की आवश्यकता ।

अब तक केवल २ बिलों को छोड़कर अन्य बिलों का भुगतान हो चुका है ।

गोरखपुर रीजन के बुकिंग क्लर्क व कन्डक्टर की नियुक्ति

*१४---श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में जनवरी, १९७१ से जून, १९७१ तक कितने बुकिंग क्लर्क, कन्डक्टर तथा अन्य प्रकार की नियुक्तियां जनरल मैनेजर ने की हैं और वह नियुक्तियां क्या रोजगार दफ्तर से नाम मंगवाकर हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्या छान-बीन कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

गोरखपुर रीजन में जनवरी, १९७१ से जून, १९७१ तक की अवधि में १२ बुकिंग क्लर्क, एक सहायक यातायात निरीक्षक, ११५ कन्डक्टर, ७९ चालक और १०९ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त किये गये । इनकी नियुक्तियों की कार्यावधि के बारे में परिवहन आयुक्त को जानकारी कर शासन को आख्या भेजने को कहा गया है ।

*१५—श्री राम करन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में नौकरी हेतु उम्मीदवारों का इम्तहान हाल में हुआ था ? यदि हां, तो १० जुलाई, १९७१ तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

परिचालक जूनियर बुकिंग क्लर्क और कार्यालय सहायक द्वितीय के पदों के लिये गोरखपुर रीजन में २८-३-७१ को एक लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा के आधार पर क्या कार्यवाही की गई, इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर परिवहन क्षेत्र की आय में वृद्धि

*१६—श्री वासुदेव सिंह वैद्य, श्री पारस नाथ सिंह तथा श्री भगौती (जिला बहराइच)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती और गोरखपुर रीजन में गत वर्ष मार्च, १९७० से जून, १९७० की अपेक्षा चालू वर्ष मार्च, १९७१ से जून, १९७१ तक की आमदनी से क्रमशः पचास हजार व बीस हजार रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती रोडवेज का कोई क्षेत्र नहीं है। यह गोरखपुर क्षेत्र का एक डिपो है। यह सही नहीं है कि बस्ती और गोरखपुर डिपो में मार्च, ७१ से जून, ७१ की अवधि में मार्च, ७० से जून, ७० की अपेक्षा आय में कोई गिरावट हुई है। इसके विपरीत इस अवधि में गोरखपुर डिपो की आय में रु० १,२६,३८३.५४ पैसे की वृद्धि हुई है तथा बस्ती डिपो में रु० ४,१५४.०६ पैसे की आय में वृद्धि उपरोक्त अवधि में हुई है। पूरे गोरखपुर क्षेत्र, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोन्डा एवं बलरामपुर आदि डिपो आते हैं की कुल आय में भी मार्च, ७१ से जून, ७१ तक की अवधि में मार्च, ७० से जून, ७० की अपेक्षा रु० ३,६७,०२६.२२ पैसे की वृद्धि हुई है।

*१७—श्री वासुदेव सिंह वैद्य, श्री पारस नाथ सिंह, तथा श्री भगौती—

क्या सरकार को यह सूचना है कि बहराइच से जरवल रोड पर चलने वाली रोडवेज बसों से होने वाली आय गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बहराइच से जरवल रोड चलने वाली रोडवेज बसों से होने वाली आय गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष (मार्च, ७० से जून, ७० की अपेक्षा मार्च ७१ से जून, १९७१ तक) कम नहीं है। अपितु रु० १८,२३१, बढ़ी है।

आजमगढ़ उपक्षेत्रों के रोडवेज के ड्राइवरों के टेक्निकल वेतन का भुगतान

*१८—श्री लालसा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मन्डल के उपक्षेत्र, आजमगढ़ के अन्तर्गत रोडवेज विभाग के जिन ड्राइवरों का टेक्निकल वेतन जो माह नवम्बर, सन् १९७० से अब तक बकाया पड़ा है, भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? क्या मन्त्री जी इसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, वाराणसी के अन्तर्गत आजमगढ़ उप क्षेत्र में रोडवेज विभाग के ड्राइवरों के टेक्निकल वेतन का भुगतान माह जुलाई, १९७१ तक का किया जा चुका है। नवम्बर, १९७० या उससे पूर्व का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

ओबरा डैम निरीक्षण गैलरी में रिसाव

*१९—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा डैम निरीक्षण गैलरी में पानी के भारी रिसाव (झिराव) की शिकायतें १९६६ में हुई थीं ? क्या यह सही है कि तत्कालीन इन्जीनियर इन-चीफ व मुख्य अभियन्ता दोनों ने एक साथ उस गैलरी का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उस गैलरी की मरम्मत कराने में सरकार का कितना धन लगा ? उसके लिये विभाग का कौन अधिकारी जिम्मेदार है और क्या डैम की लाइफ को उसमें कोई खतरा है ?

श्री राम लखन—

जून, १९६६ में ओबरा बांध प्रायोजना के अन्तर्गत रिहन्द नदी के घाट पर मुख्य बांध के निर्माण हेतु नदी की धारा को मोड़कर स्पिल-वे प्रखंड (१ से ६ तक) द्वारा जल प्रवाहित किया गया तो उस समय स्पिल-वे व रोधक दीवार (Retaining wall) के कुछ प्रखंडों की निरीक्षण गैलरी में पानी का मामूली रिसाव पाया गया ।

द्वितीय भाग—

जी हां ।

तृतीय भाग—

गैलरी में मरम्मत कार्य का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और सरकार को कोई धन नहीं व्यय करना पड़ा । इसके लिये विभाग का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । इससे डैम की लाइफ पर कोई खतरा नहीं है ।

टिहरी-गढ़वाल, बाल गंगा पर पैदल पुल का निर्माण

*२०—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि टिहरी-गढ़वाल में बालगंगा पर फतेहपुर में जिस पैदल पुल का निर्माण हो रहा था वह बनकर तैयार हो गया है या नहीं ? अगर नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

पुल अभी पूरा नहीं बन पाया है । पहिले यहां झूला पुल बनाने का विचार था । फिर गर्डर पुल यहां पर अधिक उपयुक्त समझा गया । इसलिये निर्माण कार्य देर से आरम्भ हुआ । अब यह पुल मार्च, १९७२ तक यातायात के लिये उपलब्ध हो जावेगा ।

रोडवेज में जूनियर लिपिक तथा बुकिंग क्लर्क की पदोन्नति

*२१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज में नियुक्त जूनियर लिपिक तथा बुकिंग क्लर्कों की पदोन्नति किन-किन पदों पर की जाती है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

रोडवेज में नियुक्त जूनियर लिपिक तथा बुकिंग क्लर्कों की पदोन्नति कार्यालय सहायक प्रथम, सहायक स्टोर कीपर, सहायक कैशियर तथा सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर की जाती है ।

जिला बुलन्दशहर में अनूपशहर तहसील की सड़कों की स्वीकृति

*२२—श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सावजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील, अनूपशहर में किन-किन सड़कों का निर्माण इस वर्ष १९७१-७२ में हो रहा है ?

श्री महमूद अली खां—

जिला बुलन्दशहर की तहसील, अनूपशहर के अन्तर्गत वर्ष १९७१–७२ में जिन सड़कों का निर्माण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है उसकी सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५५ पर ।)

इलाहाबाद से सराय अकिल जाने वाली रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु

*२३—श्री धर्मवीर (इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० जून, १९७१ को इलाहाबाद से सराय अकिल जाने वाली रोडवेज बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई ? यदि हां, तो उसमें कितने यात्री मरे और कितने घायल हुये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक ३० जून, १९७१ को रोडवेज बस संख्या यू० पी० सी० ९९९३ सराय अकिल से इलाहाबाद आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

उपर्युक्त दुर्घटना में एक दस वर्षीय बालक यात्री तथा बस के परिचालक की मृत्यु हो गयी तथा ७ व्यक्ति घायल हुये।

लखनऊ रीजन के बस कन्डक्टरों के वेतन का भुगतान

*२४—श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन आयुक्त, के पत्र संख्या ५६०८–पी० ई० टी०/१९५/रि०प०/६४, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६९ के अनुसार लखनऊ रीजन के कुल कितने बस कन्डक्टरों के वेतन का भुगतान ३० जून, १९७१ तक किया जा चुका है और कितनों का उक्त तिथि तक शेष रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ५६०८-ई० पी० टी०/१९५/रि० प०/६४, दिनांक ६–१०–६९ के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, लखनऊ क्षेत्र, के कुल २२ बस कन्डक्टरों के वेतन का भुगतान ३० जून, १९७१ तक किया जा चुका था और ३३ बस कन्डक्टरों के वेतन का भुगतान उक्त तिथि तक होना शेष था।

स्थायी सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

*२५—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६४ के स्थाई सहायक अभियन्ताओं के पदों के लिये विभिन्न स्रोतों द्वारा भर्ती किये गये सहायक अभियन्ताओं में से हर श्रेणी के कितने लोगों की प्रोन्नति की गई है ? यदि केवल एक ही वर्ग के लोगों की प्रोन्नति की गई है, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन—

केवल अस्थाई सहायक अभियन्ताओं के लिये आवंटित १९६४ की स्थाई रिक्तियों में स्थायी किये गये सहायक अभियन्ताओं में से ६४ की अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ रूप से कार्य हित में प्रोन्नति की गई है।

*२६—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के लिये सन् १९६३ में श्री बी० बी० लाल कमेटी ने अपनी आख्यायें दी थीं, जिसे सन् १९६९ में इसी कार्य के लिये नियुक्त श्री जे० डी० शुक्ला समिति ने भी अनुमोदित किया परन्तु उन पर पालन किये बिना ही प्रोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन---

सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री बी०बी० लाल की अध्यक्षता में कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी ।

हां, श्री बी० बी० लाल, तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई विभाग के कक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक १९-७-१९६३ को हुई थी जिसमें ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में कुछ सिद्धान्त तय किये गये थे जिनका अनुमोदन बाद में गठित, श्री जे० डी० शुक्ला समिति ने किया है । समिति की रिपोर्ट पर अभी शासनादेश जारी नहीं हुए हैं । अतः प्रोन्नतियां करने में उनका पालन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जनपद में वाटर ड्रेनेज बनाने के लिये किसानों की भूमि का अधिग्रहण

*२७---श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९६१ अथवा १९६२ ई० में मुरादाबाद जनपद की हसनपुर तहसील के ठकिया भूड़, नगला माफी, खादगूजर दरियापुर बुजुर्ग, भानपुर तथा चौबारा आदि ग्रामों के किसानों की हजारों एकड़ जमीन सरकार द्वारा वाटर ड्रेनेज बनाने के लिये अधिग्रहण की गई थी जिसका मुआविजा भी इन्हीं वर्षों में दिया जा चुका है तथा १९६४ में चकबन्दी द्वारा यह जमीन उपरोक्त नाले के लिये छोड़ी भी जा चुकी है ? यदि हां, तो यह नाला अब तक क्यों नहीं खुदाया गया, और इसके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राम लखन---

जी हां । ड्रेन बनाने के लिये ४९.८९१ एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई थी । नाले का निर्माण न होने का कारण यह है कि इस पर रेल विभाग का पुल पड़ता है जिसके पुनः निर्माण की लागत वहन करने के लिये रेल विभाग सहमत नहीं है । रेल विभाग से यह मामला तय होने पर परियोजना प्राक्कलन को राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के सामने रक्खा जायगा जिसकी स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य हो सकेगा ।

जनपद गोंडा के उतरौला बस स्टेशन का पुराना भवन

*२८---श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)---

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि जनपद गोंडा में उतरौला बस स्टेशन का भवन अत्यन्त ही पुराना है तथा मौजूदा वर्षा में सम्पूर्ण भवन में यत्र-तत्र पानी टपकता है तथा दीवालें एवं छतें चिटकी हुई हैं जिसके कभी भी गिर जाने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये भवन को निर्मित करने की योजना बनायेगी, तथा मौजूदा भवन को गिरने से बचाने का तुरन्त कोई उपाय करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह सही है कि उतरौला बस स्टेशन का भवन पुराना है और इस भवन की छतों से कहीं-कहीं पानी टपकता है । इस त्रुटि को दूर करने के लिये छत की गिट्टी विभाग द्वारा बदलवायी जायेगी । यह सही नहीं है कि इस भवन की दीवारें चटकी हुई हैं अथवा इसके गिर जाने की कोई संभावना है । यह भवन काफी मजबूत है । चूंकि वर्तमान भवन काफी मजबूत है अतएव इसके गिरने या इसके स्थान पर अन्य भवन बनाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कानपुर में क्लेक्टरगंज बस स्टेशन की निर्माण योजना

*२९---श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित कलक्टरगंज बस स्टेशन को बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह भवन कब तक बन कर तैयार होगा ? क्या यह सच है कि इस भवन के निर्माण के लिये विगत तीन साल पहले राज्य सरकार द्वारा टेन्डर मांगे व स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३० लाख रुपये की लागत पर कलेक्टरगंज बस स्टेशन निर्माण करने की योजना है। भवन के पूरी करने की लक्ष्य तिथि अभी निश्चित नहीं की जा सकी है।

यह सही है अप्रैल, १९६९ में निर्माण करने के लिये टेन्डर मांगे गये थे किन्तु निर्माण स्थल के परिवर्तन के कारण उसके आधार पर कार्य आगे नहीं चल सका।

पंचवर्षीय योजना में बस्ती जिले की कच्ची-पक्की सड़कें

*३०––श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में पंचवर्षीय द्वितीय और तृतीय योजना में कितनी पक्की और कितनी कच्ची सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनी? तथा अब पंचवर्षीय योजना में कितनी लम्बी सड़क बनाने की योजना हैं?

श्री महमूद अली खां––

द्वितीय तथा तृतीय योजना काल में १८८.०० कि० मी० पक्के मार्गों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्वीकृत किन्तु तृतीय योजना काल की समाप्ति के बाद अप्रैल, १९६७ से मार्च, १९७१ तक ११७.२० कि० मी० पक्के मार्गों का निर्माण हुआ। किसी कच्चे मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आयोजनागत १०४.९० कि० मी० तथा आयोजनेतर ३५.०० कि०मी० पक्के मार्गों का निर्माण शासन द्वारा स्वीकृत है।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् का मान्यता प्राप्ति संबंधी प्रार्थना-पत्र

*३१––श्री जयराम यादव––

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद रीजन में केवल यू० पी० रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ही रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त संस्था है किन्तु उक्त यूनियन के विरोध में दूसरी यूनियन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् गठित की गई है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बलराम सिंह यादव––

इलाहाबाद रोजन में यू० पी० रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ही रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त संस्था है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् का मान्यता प्राप्ति के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन नहीं है, अतः इसके संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ–बुलन्दशहर संबंधित मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय

*३२––श्री शम्भूनाथ चौधरी––

क्या सरकार ने कुछ नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो वे नये मार्ग कौन-कौन हैं और बलिया जिला का कौन मार्ग इसमें सम्मिलित है तथा सरकार के मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का आधार क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी हां। इस वर्ष केवल मेरठ-बुलन्दशहर तथा संबंधित मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया है और इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८-सी के अन्तर्गत २७ नवम्बर, १९७१ के सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है।

राष्ट्रीयकरण का आधार किसी मार्ग विशेष पर जनहित में सुचारु, उपयुक्त , मितव्ययी तथा समुन्नित रूप से समन्वित पथ परिवहन सेवा प्रदान करना है।

सीतापुर जिले के महोली-हरगांव मार्ग पर पर अत्यधिक बसें चलाने की मांग

*३३—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के अन्तर्गत महोली-हरगांव मार्ग पर महोली बाया हरगांव-लखीमपुर को केवल एक ही बस अर्से से चल रही है इस पर अधिक बसें चलाये जाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

१ दिसम्बर, १९७१ से इस मार्ग पर २ अप व २ डाउन सेवाएं संचालित की जा रही हैं ।

जिला पीलीभीत एवं शाहजहांपुर की रोड फंड बजट से सड़क पक्की करना

*३४—श्री हरनारायण—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में यू० पी० रोड फण्ड एवं वर्ष १९७०-७१ के बजट से किन-किन मार्गों को पक्का करने का निर्णय हुआ है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महमूद अलीं खां—

सूचना सदन की मेंज पर रखी है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५६–६५७ पर)

फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल की सड़क खराब होना

*३५—श्री महराम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल से उतरने वाले यात्रियों को पुरानी पक्की सड़क तक लगभग ५ फर्लांग रास्ता खराब होने तथा पानी भरे रहने के कारण विशेष कठिनाई हो रही है और बाढ़ के पानी को उसी स्थान से गंगा पार क्षेत्र में पचासों गांव की बाढ़ से क्षति हो चुकी है । तथा अब भी फसलों के समाप्त हो जाने का खतरा मौजूद है ? क्या सरकार तुरन्त उसकी व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

*३६—श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत रास्ता कुछ टूट गया था । इसकी मरम्मत कर दी गई है और यातायात को कोई कठिनाई नहीं है । इस सड़क का बाढ़ से कोई संबंध नहीं है । गंगा व रामगंगा के बीच के गांव हर बड़ी बाढ़ में पानी से घिर जाते हैं ।

श्री महराम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा के पक्के पुल से पैदल यात्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य सवारी को उतरने पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तुरन्त आवश्यक व्यवस्था कर यातायात की सुविधा के लिये आदेश जारी करेगी ?

श्री महमूद अली—

फतेहगढ़ में गंगा पर नव-निर्मित पुल पर से किसी सवारी आदि के गुजरने पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

नैनीताल जिले के नानक सागर बांध का टूटना

*३७—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में स्थित जो नानक सागर बांध सन् १९६७ अगस्त में टूट गया था उसमें कितने ग्राम बह गये थे ? कितने जन व धन की हानि हुई ? क्या बांध के टूटने के कारणों की जांच पूरी हो चुकी है ? यदि, हां तो जांच के बाद कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और बांध में क्या खराबी थी ? यह भी बताया जाय कि नानक सागर बांध टूटने से प्रभावित पीड़ित ग्राम समूहों का पुनर्वास तथा व्यक्तियों को क्या सहायता पहुंचाई गई ?

श्री राम लखन—

नानक सागर बांध सितम्बर, १९६७ में टूटा था जिससे ३६८ ग्राम प्रभावित हुए। २९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ६५,८०,७६७ रुपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त लगभग ३९.४३ लाख रुपया टूटे हुए बांध के मरम्मत में व्यय हुआ। बांध के टूटने के कारणों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच से मोटे तौर से बांध का निर्माण संतोषजनक पाया गया किन्तु बांध टूटने के पूर्व बांध के रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य उचित ढंग से नहीं किया गया जिससे बांध टूट गया। जिन अधिकारियों पर दोषारोपण किया गया है उन पर उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग की रिपोर्ट मिलने पर ही दोषी पाये गये अधिकारियों के विषय में निश्चय रूप से बताया जा सकेगा। बांध टूटने से प्रभावित व्यक्तियों को १,१९,४८१ रुपये की अहेतुक सहायता तथा ३,३६,७१८ रुपये की आपदकालीन तकावी की सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त ४,०८५.८७ रुपये की विभिन्न आवश्यकता की वस्तुएं क्षतिग्रस्त व्यक्तियों में बांटी गयी। माल-गुजारी की भी छूट दी गयी।

(दिनांक ५ जनवरी, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

सिंचाई विभाग के वर्कशाप के फौरमैन का स्थायीकरण

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की वर्कशाप सर्किल में आजकल कार्य करने वाले कितने फोरमैन अब तक अस्थायी हैं तथा इन्हें कब तक स्थायी किये जाने की योजना है ?

श्री राम लखन—

सिंचाई विभाग के वर्कशाप सर्किल में आजकल कार्य करने वाले २१ फोरमैन अब तक अस्थायी हैं। जिनके स्थायीकरण का मामला इंजीनियर-इन-चीफ के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा।

बाढ़ नियन्त्रण के संबंध में दिल्ली में हुई सिंचाई मंत्रियों की कान्फ्रेंस

*२—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ अक्तूबर को दिल्ली में हुई सिंचाई मंत्रियों की कान्फ्रेंस में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये क्या निर्णय लिये गये और उनको उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने के लिये क्या निर्णय लिये गये और उनको उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने के लिये कितनी पूंजी एवं कितना समय लगेगा ?

श्री राम लखन—

इस कान्फ्रेंस में कोई निर्णय नहीं लिये गये थे बल्कि कुछ सुझावों पर विचार-विमर्श हुआ था और यह तय किया गया था कि इन सुझावों पर उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल की कान्फ्रेंस में विचार किया जाय।

अनुरक्षण खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुरक्षण खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को १९६८ में रेगुलर कर दिया गया था फिर भी इन लोगों को वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जिन कर्मचारियों को १९६८ में रेगुलर किया गया था उन्हें बराबर वेतन प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार डिपो में बसों के माडल तथा उनका कन्डेयुनेशन माइलेज

*४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार डिपो में रोडवेज की किस-किस माडल की बसें हैं तथा कोटद्वार से देहरादून, फैड़खाल और मुसागली के लिये कब रोडवेज की बसें आरम्भ की गईं और कब समाप्त कर दी गईं और इन सड़कों का वहां के जनरल मैनेजर ने कितनी बार निरीक्षण किया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वारा डिपो में इस समय कुल ५० बसें हैं जिनमें से निम्नलिखित माडेल की हैं :—

माडेल				बसें
१९५७	..	..	..	१
१९५८	..	..	..	६
१९५९	..	..	..	२
१९६१	..	..	..	२
१९६२	..	..	..	२
१९६३	..	..	..	२
१९६४	..	..	..	४
१९६५	..	..	..	२७
१९६६	..	..	..	२
१९६८	..	..	..	२
कुल				५० बसें

कोटद्वारा से देहरादून मार्ग पर रोडवेज की बसें दिनांक १-१२-६५ से आरम्भ की गयी यह सीजनल सर्विस है जो चंडीघाट का पुल बनने पर चलती हैं। कोटद्वारा से फड़खाल (फरखंडा) तथा कोटद्वारा से मूसागली मार्गों पर विभागीय बसें क्रमशः दि० ४-५-६८ से एवं ४-६-६८ से प्रारम्भ की गई थीं। इन दोनों मार्गों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर, देहरादून से परमिट न मिलने के कारण विभागीय बसें दिनांक १२-३-७१ से बन्द हैं।

इन मार्गों का निरीक्षण प्रधान, प्रबन्धक द्वारा नहीं किया गया।

*५—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की बसों का कन्डेमनेशन माइलेज पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में एक ही है? यदि हां, तो ऐसा क्यों है?

श्री बलराम सिंह यादव—

रोडवेज की बसों के जीवन काल की सीमाएं विशेषज्ञ उच्चाधिकारियों द्वारा, जिन्हें आटो-मोबाइल इंजीनियरिंग का सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान होता है, निर्धारित की गई थीं, और १ अप्रैल, १९७१ से पहले तक रोडवेज की बसों का कन्डेमनेशन माइलेज पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में एक ही था।

१ अप्रैल, १९७१ से रोडवेज की मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली डीजल गाड़ियों का जीवन-काल ४.८० लाख किलोमीटर कर दिया गया है और पर्वतीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों का जीवन काल निर्धारित करने का मामला विचाराधीन है।

एटा जिले की कृषि योग्य सिंचित व असिंचित भूमि

*६—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एटा जिला के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि कृषि योग्य है? कितनी- कितनी भूमि की सिंचाई राजकीय नलकूपों, नहरों, निजी नलकूपों तथा अन्य साधनों द्वारा की जाती है और कितनी-कितनी भूमि किस-किस विधान सभा-क्षेत्र में असिंचित है? असिंचित भूमि को सिंचित करने की सरकार की क्या योजना है और यह कब तक पूरी हो जावेगी?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कासगंज जिला एटा के लिये सड़कों तथा पुलों को पक्का करने की योजना

*७—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सतीश चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला के विधान सभाई क्षेत्र कासगंज में वर्ष १९६९-७० व १९७०-७१ व १९७१-७२ में किन-किन सड़कों तथा पुलों को पक्का करने की योजना शासन से स्वीकृत हुई है और इन योजनाओं पर कितना-कितना व्यय सरकार का होगा और वह योजना कब तक पूरी हो जावेगी?

श्री महमूद अली खां—

सूचना सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ६५८ पर)

फैजाबाद के स्थानिक अभियन्ता का मुख्यालय में तुलसीपुर स्थापित करने का आदेश

*८—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पता है कि फैजाबाद विभागीय सेतु निर्माण इकाई के स्थानिक अभियन्ता द्वितीय, तृतीय तथा पंचम को शासन ने आदेश दिया था कि वे अपना-अपना

मुख्यालय तुलसीपुर स्थापित करें ? यदि हां, तो क्या यह सही ह कि आदश क बावजूद भी अभियन्ता पंचम ने अपना मुख्यालय तुलसीपुर नहीं बनाया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, आदेश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिया था। लेकिन तुलसीपुर में मकान न मिलने एवं वर्षा के निरन्तर होने के कारण मुख्यालय तुलसीपुर नहीं ले जाया जा सका।

कानपुर जिले मे सिकन्दरा से बिलहौर तक सड़क का निर्माण

*९—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की स्वीकृत सिकन्दरा से बिल्हौर की सड़क को बनाये जाने का कार्य कहां-कहां से शुरू किया गया है और अब तक के कार्य की क्या प्रगति है ? इसमें देर होने का कारण क्या है और सम्पूर्ण सड़क कब बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण तीन भागों में स्वीकृत किया गया है।

(१) नानामऊ-बिल्हौर रसूलाबाद मार्ग (४२.२७५ कि० मी०) का नवनिर्माण—

इस भाग में कार्य बिल्हौर से रसूलाबाद की ओर आरम्भ किया गया है और लगभग ५ कि० मी० में मिट्टी का कार्य हो चुका है।

(२) रसूलाबाद-झींझक मार्ग (१३ कि० मी०) का पुनःनिर्माण एवं सुधार—

इस सड़क का निर्माण कार्य बीच-बीच में कई जगह से आरम्भ किया जा चुका है और दो किलोमीटर में सतह मोटी करने का तथा २ किलोमीटर में मध्य सतह का कार्य हो चुका है। शेष मार्ग में मिट्टी का एकत्रीकरण किया जा रहा है।

(३) झींझक-सिकन्दरा मार्ग (२६ कि० मी०) का नव निर्माण—

कार्य झींझक और सिकन्दरा दोनों ओर से आरम्भ कर दिया गया है। लगभग ७५ प्र० श० पुलियों तथा ३ किलोमीटर में मिट्टी का कार्य समाप्त हो चुका है। मध्य सतह के लिये गिट्टी एकत्रित कर ली गई है और शेष भाग में एकत्रित की जा रही है।

ईंटों का उचित मूल्य पर न मिलना, रेल बैगनों का उपलब्ध न होना तथा रोड रोलरों की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी है।

आशा की जाती है कि सम्पूर्ण सड़क जून १९७५ तक पूर्ण हो जायेगी।

लखनऊ रोडवेज के अस्थायी द्वितीय सहायक

*१०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रोडवेज में कार्य करने वाले ऐसे कितने सहायक (द्वितीय) हैं जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है तथा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के लखनऊ क्षेत्र में ५९ अस्थायी कार्यालय सहायक द्वितीय कार्य कर रहे है। स्थायी पदों के उपलब्ध न होने के कारण अभी इन्हें स्थायी नहीं किया गया है।

गोरखपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर के विरुद्ध बेलदारों और गैंग मैनों से निजी काम लेने की शिकायतें

*११--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों की ओर से उन्हें यह शिकायत मिली है कि १५ सितम्बर से ५ अक्तूबर, १९७१ तक ओवरसियरों द्वारा सड़क पर काम करने वाले मजदूरों से निजी काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के संबंध में सरकार ने क्या किये हैं ?

श्री महमूद अली खां--
केवल एक ओवरसियर के विरुद्ध दो व्यक्तियों की अक्षरशः एक-सी ही शिकायत जिलाधीश, गोरखपुर और मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुई थी। यह शिकायतें जांच करने पर गलत पाई गयीं ।

बेलदारों और गैंग के आदमियों से निजी काम न लेने और इस प्रकार की शिकायतों को गम्भीरता से लिये जाने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं।

बांसगांव तहसील में राजकीय नलकूप कौड़ीराम व धनौड़ा की नालियां टूटना

*१२--श्रीमती मसाली देवी--
क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में राजकीय नलकूप कौड़ीराम एवं धनौड़ा की नालियां टूट गई हैं जिन्हें न बनवाने का कारण क्या है ?

श्री राम लखन--
जी हां। इन दोनों नलकूपों की नालियां जो बरसात में टूट गई थीं उनकी मरम्मत करा दी गई है।

देवरिया जिले के सरया धर्मखोरकरन एवं झरना घाट के रेगुलेटर टूटना

*१३--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--
क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में सरया, धर्मखोरकरन एवं झरना घाट के पास खनुवानदी के नालों पर बने रेगुलेटरों के टूट जाने और मरम्मत न होने से लाखों रुपये की फसल इस बाढ़ से बरबाद हो गई है ? यदि यह सही है तो रेगुलेटरों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री रामलखन--
देवरिया जिले में सरया, धर्मखोरकरन एवं झरनाघाट के पास खनुवा नदी में मिलने वाले नालों पर बने रेगुलेटर टूटे नहीं हैं। इस वर्ष (१९७१) भीषण वर्षा तथा अधिक बाढ़ के कारण इन रेगुलेटरों के ऊपर तथा किनारों से मिट्टी कट कर बह गई है। जिसके कारण खनुवा नदी के बाढ़ का पानी नालों में होकर उपरोक्त ग्रामों के आसपास फैल गया और फसलों को हानि हुई है। इन रेगुलेटरों का निर्माण ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत हुआ था। इनकी देखरेख सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की जाती है बल्कि यह ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।

गोरखपुर जिले की फरेन्दा-धानी--उस्का धानी रोड पर रोडवेज की बसें

*१४--श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)--
क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा धानी रोड और उस्का धानी रोडवेज पर १ जनवरी से ३० जून, १९७० तक किन-किन तारीखों में रोडवेज की बस चलाई गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर जिले में फेयर वेदर (Fair weather) में एक बस फरेन्दा-धानी उस्का होकर लुम्बनी तक जाती है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर-सुनौली मार्ग की एक बस सुनौली से धानी, फरेन्दा होकर जाती व आती है।

१ जनवरी से ३० जून, १९७० तक चलाई गई इन बसों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

गोरखपुर रीजन के निलम्बित राजकीय बस कन्डक्टर

*१५—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रीजन में १९६९ से ३० सितम्बर, १९७१ तक कितने राजकीय बस कन्डक्टर (परिचालक) गलत कार्य करने हेतु सस्पेंड किये गये और प्रबन्धक, राजकीय रोडवेज ने नाजायज तरीके से बहाल कर दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहेड़ी, जिला बरेली के टूटे पुल का निर्माण

*१६—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहेड़ी जिला बरेली में जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुन्डीया नबी बख्स को जाती है, उस पर बना हुआ पुल जो सैलाब से सन् १९६९ में गिर गया था, कब बना, और उस पर क्या लागत आयी थी ?

श्री महमूद अली खां—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१७—श्री शफीक अहमद खां—

क्या उपरोक्त पुल सन् १९६९ में गिर जाने के पश्चात् इसी जगह सन् १९७० में एक लकड़ी का पुल विभाग ने बनाया और बाद को भी उस पर मिट्टी वगैरह से मरम्मत होती रही ? यदि हां, तो इस पर क्या खर्चा हुआ और क्या सन् १९७१ के सैलाब में वह भी टूट गया ? इसके क्या कारण हैं और इसकी किस पर जिम्मेदारी है ?

श्री महमूद अली खां—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं स्थाई-करण हेतु विचार

*१८—श्री शम्भनाथ चौधरी तथा श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २९ जून, सन् १९७१ को कालागढ़ में सिंचाई अभियन्ताओं का एक प्रतिनिधि मन्डल अपनी समस्याओं के समाधान के लिये, उनसे मिला और उन्होंने कुछ समस्याओं के हल के लिये शासनाधिकारियों के लिये निर्देशन भी दिये ? यदि हां, तो वे निर्देशन तथा समस्यायें क्या हैं और शासन ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम लखन---

जी हां। सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं स्थाई-करण की समस्याओं के समाधान हेतु वर्तमान नियमों में सुधार करने के दृष्टिकोण से विचार करने के लिये निम्नांकित निर्देश दिये थे :---

१---निर्माण कार्य पर निरन्तर चल रहे ६६ प्रतिशत अस्थाई पदों तथा परिकल्प, अनुसंधान एवं नियोजन, अन्वेषण तथा रखरखाव के शत-प्रतिशत वर्तमान पदों को स्थाई करने पर विचार किया जाय, प्रतिबन्ध यह हो कि केवल वे पद स्थाई किये जांय जो तीन वर्ष से अधिक समय से चल रहे हों ।

२---लोक सेवा आयोग द्वारा केवल अस्थाई रुप से ही सहायक अभियन्ताओं को भर्ती किये जाने पर विचार किया जाय ।

इन प्रश्नों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा विचार के पश्चात् मामला मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा गया था। मंत्रि-परिषद् ने भी विचार कर लिया है तथा इस दिशा में आगे कार्यवाही की जा रही है।

गोवर्धन ड्रेन डिवीजन, मथुरा के लिये स्टाफ की नियुक्ति

*१९---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष गोवर्धन ड्रेन मथुरा के लिये कोई धनराशि मन्जूर हुई ? यदि हां, तो कब और कितनी और क्या यह भी सही है कि इस कार्य को करने के लिये वहां एक अधिशासी अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता और उनके स्टाफ की नियुक्ति एक साल से हुई ? यदि हां, तो क्या कार्य दिनांक २५ अक्तूबर, १९७१ तक हुआ है ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम तथा दूसरा भाग---वर्तमान वित्तीय वर्ष में गोवर्द्धन ड्रेन डिवीजन, मथुरा के लिये निम्नलिखित धनराशि की प्रविष्टि की जा चुकी है और स्टाफ की नियुक्ति भी हुई थी :

		लाख रु०
(१)	रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नहर निर्माण	३.००
(२)	बोरया, पैंथा एवम् गऊघाट ड्रेनों का निर्माण	०.५०
(३)	बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत	०.३५
(४)	गोवर्धन ड्रेन का निर्माण	०.०५
(५)	लामा रेगुलेटर के गाइड बन्धों को सुदृढ़ करना ..	०.३०
	योग ..	४.२०

प्रश्न का तीसरा भाग:---वित्तीय वर्ष १९७०-७१ तथा १९७१-७२ में इस खंड द्वारा किये गये कार्य संलग्न तालिका में दिये हुये हैं।

(देखियें नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६६० पर)

डाडा अमौली लिफ्ट योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण

*२०---श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर के अन्तर्गत डाडा अमौली लिफ्ट योजना के अन्तर्गत नहर के निर्माण का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राम लखन---

जी हां। हेड रीच पर भूमि का अधिकरण प्राप्त होते ही कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा।

*२१---श्री इन्द्रजीत---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भमि सीचने को पानी दिया जावेगा और कब तक दिया जावेगा ?

श्री राम लखन---

उपरोक्त योजनाओं के पूर्ण होने से करीब १५०० एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करना सम्भव होगा।

अलीगढ़ में नलकूप चालकों का स्थायीकरण

*२२---श्री कल्याण सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मंडल, अलीगढ़ में कार्यरत किस-किस खण्ड के कौन-कौन कूप चालकों को वर्ष १९७१-७२ में स्थाई किया गया है तथा उक्त पदों पर नलकूप विभाग में उनके आने की तिथि पृथक्-पृथक् क्या-क्या है ? क्या यह सच है कि कुछ एसे भी कूप चालकों का स्थायीकरण नहीं किया गया है जो स्थायी किये गये कूप चालकों से सेवा-अवधि एवं कार्यकुशलता की दृष्टि से ज्येष्ठ हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन---

इस मंडल के अन्तर्गत वर्ष १९७१-७२ में केवल नलकूप खन्ड (प्रथम) अलीगढ़ तथा नलकूप खण्ड (द्वितीय) अलीगढ़ में नलकूप चालकों का स्थायीकरण किया गया है। स्थाई किये गये ९२ नलकूप चालकों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट (१) जिसमें प्रत्येक नलकूप चालक के विभाग में आने की तिथि भी अंकित है।

इस खण्ड में १३ ऐसे कूप चालक हैं जिनका स्थाईकरण उनकी वार्षिक कारगुजारी अपेक्षित स्तर की न होने के तथा वार्षिक दन्ड मिलने के कारण नहीं किया गया है। यह कहना ठीक न होगा कि इन १३ कूप चालकों की कार्य कुशलता स्थाई किये गये कूप चालकों से श्रेष्ठ है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६६१-६६३ पर)

आर० टी० ओ० लखनऊ के कार्यालय में जनता के बैठने व पानी की व्यवस्था की कमी

*२३---श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लू और तपन काल में आर०टी०ओ०, लखनऊ के कार्यालय में आम पब्लिक के बैठने व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

आर० टी० ओ० लखनऊ के कार्यालय में आम पब्लिक के बैठने की व्यवस्था है।

*२४---श्री श्याम सुन्दरलाल गुप्त---

क्या परिवहन मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि आर० टी० ओ०, लखनऊ के कार्यालय में जो भी काउन्टर है वह या तो टीन की छत के नीचे है या खुली जगह में है जहां भीषण गर्मी में वहां के कर्मचारियों को बैठना पड़ता है या पब्लिक को धूप में लाइन लगाकर घन्टों खड़ा रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय जल्द से जल्द राहत दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सही है कि आर० टी० ओ०, लखनऊ के कार्यालय के कुछ काउन्टर टीन की छत के नीचे हैं। यह मकान किराये का है, और जो भी संभव सुविधा हो सकेगी उसे करने के लिये संभागीय परिवहन अधिकारी को कहा जायगा ।

गोण्डा शहर में सिटी बस न चलना

*२५--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोण्डा शहर में सिटी बस चलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से चलाने जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोण्डा शहर में सिटी बस चलाने का कोई विचार नहीं है ।

बुलन्दशहर के शिकारपुर जहांगीराबाद में नई स्वीकृत सड़क का निर्माण न होना

*२६--श्री त्रिलेक चन्द्र--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में नव निर्माण हेतु शिकारपुर जहांगीराबाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो अब तक इस सड़क पर निर्माण कितना हो चुका है और कितना शेष है तथा सम्पूर्ण सड़क कब तक निर्मित हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है लेकिन जून १९७४ तक इस कार्य के पूर्ण हो जाने की आशा है ।

*२७--श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद रोडवेज विभाग में ए० टी० आई० के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*२८--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग के इलाहाबाद मन्डल में कितने ए० टी० आई० की जगहें रिक्त हैं ? तथा कब तक इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग के इलाहाबाद मन्डल में ए० टी० आई० की कोई जगह रिक्त नहीं है । अतः रिक्त स्थानों की पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जौनपुर जनपद में 'डी' टाइप के क्वार्टर के एलाटमेन्ट मे गड़बड़ी

*२९--श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जौनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के पीछे "डी" टाइप के क्वार्टर कम तनख्वाह पाने वाले अधिकारी को न देकर बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों को दो-दो क्वार्टर एलाट कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे एलाटमेंट का आधार क्या है ?

श्री महमूद अली खां--

जौनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के पीछे बने "डी" टाइप के दो दो क्वार्टर किसी बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी को नहीं आवंटित किय गये हैं ।

बिना स्वीकृत अवकाश पर रहने वाले सिंचाई विभाग के अधिदर्शकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*३०—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सिंचाई विभाग में ऐसे भी अधिदर्शक हैं जो (१९७०–७१ में) एक वर्ष से भी अधिक समय में बिना स्वीकृत अवकाश पर रहे हैं ? यदि हां तो वह कौन-कौन से हैं तथा उनके विरुद्ध क्या अनुशासकीय कार्यवाही की गई ?

श्री राम लखन—

संलग्न तालिका में उल्लिखित सिंचाई विभाग में कार्यरत १६ अधिदर्शक वर्ष (१९७०–७१) में एक वर्ष से अधिक समय तक बिना स्वीकृत अवकाश पर रहे हैं। इनमें से श्री शाह आलम को बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया है और श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत कर दिया गया है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६६४ पर)

नानमैट्रिक बुकिंग क्लर्क तथा नानमैट्रिक बुकिंग कन्डक्टरों का वेतन मान

*३१—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नान मैट्रिक बुकिंग क्लर्क तथा नान-मैट्रिक कन्डक्टरों का वेतन क्रम सरकार ने निर्धारित किया है ? यदि हां, तो आजमगढ़ उपक्षेत्र भी उसमें शामिल है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। सरकार ने नान मैट्रिक बुकिंग क्लर्क तथा नान मैट्रिक कन्टडक्टरों का वेतन मान तथा प्रोन्नति की सुविधायें निर्धारित की हैं। यह आदेश आजमगढ़ उपक्षेत्र में भी लागू होते हैं।

आजमगढ़ उपक्षेत्र रोडवेज कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*३२—श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ उपक्षेत्र के रोडवेज कर्मचारियों को १० रु० अन्तरिम सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सभी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।

हरैया तहसील में राजकीय नलकूप लगाने के लिए सर्वेक्षण

*३३—श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती), श्री रामरकन सिंह तथा श्री अवधेश प्रताप मल्ल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ मार्च, १९६९ से १५ अक्तूबर सन् १९७१ तक हरैया तहसील में कितने गांव में नलकूप लगाने के लिये सर्वे हो चुका है ? तथा राजकीय नलकूप लगाने के लिये जिला सलाहकार सिंचाई, समिति ने जनवरी १९७१ से १५ अक्तूबर सन् ९१७१ तक कितने गांव में नलकूप बनाने का प्रस्ताव पारित किया है और उनमें से कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये हैं कितने बाकी हैं तथा बाकी होने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

बस्ती जिले के हरैया तहसील में ३ मार्च १९६९ से अक्तूबर १९७१ तक ३३ स्थानों का नलकूप निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया।

प्रश्न का द्वतीय भाग—

जिला सलाहकार सिंचाई समिति ने जनवरी १९७१ से अक्तूबर १९७१ तक कुल दो ग्रामों में नलकूप निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था ।

प्रश्न का तृतीय भाग—

उक्त दो नलकूपों का निर्माण ग्राम बांसगांव रतनपुरराई तथा मिश्रौलियाधीश में किया जा चुका है ।

प्रश्न का चौथा भाग—

इस क्षेत्र में जिला सलाहकार समिति द्वारा पारित किसी भी नलकूप का निर्माण किया जाना शेष नहीं है ।

बुलन्दशहर में जमुना नदी की बाढ़ से मकनपुर ग्राम बचाने की योजना

*३४—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में जमुना नदी के बाढ़ से मकनपुर ग्राम को बचाने के लिये सरकार ने लगभग २ लाख रुपये स्वीकृत किये थे जिसमें से कुछ ही रुपये लग पाये थे कि भयंकर बाढ़ पुश्तों को बहा ले गई ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम लखन—

जिला बुलन्दशहर में यमुना नदी की बाढ़ से मनकपुर खादर गांव को बचाने के लिये लगभग १,१५,००० रु० व्यय हुये हैं ग्राम मकनपुर को बचाने के लिये वर्षाकाल में ही अस्थाई पुश्ते इत्यादि बनाये गये थे जिसमें से कुछ पुश्ते भयंकर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये परन्तु मकनपुर गांव को यमुना के कटान से बचाने का ध्येय पूर्ण हो गया ।

बलिया जिले की सुमेरपुर ठोकर की मरम्मत पर व्यय की धनराशि

* ३५—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले में सुरेमनपुर ठोकर की मरम्मत और निगरानी में १९७० और १९७१ में कुछ धनराशि व्यय दिखाई गई है ? यदि हां, तो कितना किन-किन कार्यों पर और क्या इन कार्यों के सम्पादन हेतु टेंडर आमंत्रित किया गया है या वर्क आर्डर द्वारा किया गया है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां ।

प्रश्न का दूसरा भाग—

इसका ब्योरा संलग्न है । यह कार्य वर्क आर्डर द्वारा किये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६६५ पर)

प्रदेश में बाढ़ निरोधक कार्य

*३६—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बाढ़ निरोधक कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये कितना रुपया व्यय करने का प्राविधान है तथा उसमें कितना रुपया किस-किस प्रोजेक्ट पर व्यय होगा ?

श्री राम लखन—

प्रदेश में बाढ़ निरोधक कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में रु० २.०६ करोड़ का प्राविधान है । विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर व्यय हेतु जितनी-जितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है उसका ब्योरा संलग्न है । आवश्यकतानुसार इस में संशोधन किया जा सकता है ।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ ६६६–६६९ पर)

*३७—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

*३८—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[५ वें मंगलवार में प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय विकास परिषद्, जिला टिहरी-गढ़वाल द्वारा स्वीकृत सड़कें

*३९—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् ने वर्ष ७१–७२ के लिये जिला टिहरी-गढ़वाल में किन-किन सड़कों के निर्माण की योजनायें स्वीकृत की हैं और ३१ अक्तूबर सन् ७१ तक किन-किन पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री महमूद अली खां—

पर्वतीय विकास परिषद् की उप समिति ने १९७१–७२ में टिहरी जिले के लिये नई सड़कों के लिये ३१ लाख रुपया, पुलों के लिये ११ लाख रुपया और सड़कों के सुधार के लिये १० लाख रुपया की अनुमानित लागत के कार्य लेने का सुझाव दिया है । नई सड़कों में प्राथमिकतानुसार चमियाला-बूढाकेदार मार्ग, किलकिलेश्वर-सिलगाखाल मार्ग और बद्रीगाड़-बनचौरा मार्ग लेने का सुझाव दिया गया है ।

इन सड़कों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं और ३१ लाख रुपये में जिन कार्यों का निर्माण संभव होगा वह लिया जायेगा ।

इन्जीनियरों के प्रतिनिधायन की शर्तों के संबंध में आदेश

*४०—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इंजीनियर विद्युत परिषद् से डेपुटेशन पर अप्रैल, १९७० में सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत् यांत्रिक) में बुलाये गये थे, उनके डेपुटेशन का विस्तृत शासकीय आदेश अब तक (१५ माह के बाद भी) नहीं जारी हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

संबंधित इंजीनियरों के प्रतिनिधायन की शर्तों के संबंध में शासकीय आदेश १८–८–७१ को जारी कर दिये गये हैं ।

देवरिया जिले से निकलने वाली जसुई बेलपार ड्रेन पर ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्यवाही न करना

*४१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बेलपार पंडित तप्पा हवेली, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के खसरा नं० ८७६ से निकलकर भाटपाररानी और सोहनपार के बीच से पचोखरताल होते हुए कटाई टीकर के रेलवे पुल से निकलने वाली नाला ड्रेन सरकार द्वारा

स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका टेंडर जनशक्ति विभाग द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् भी अब तक उसकी खुदाई न होने का कारण क्या है ?

श्री राम लखन—

ग्राम बेलपार पंडित तप्पा हवेली, जिला देवरिया से निकलकर भाटपार रानी और सोहनपार के बीच से पचोखर ताल होते हुए कटाई टीकर के रेलवे पुल से निकाले जाने वाली जसुई बेलपार ड्रेन ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित थी परन्तु ग्रामवासियों के कड़े विरोध के कारण इस प्रस्तावित ड्रेन के निर्माण के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

गोरखपुर की रीजन रोडवेज में बस कन्डक्टर व बुकिंग क्लर्क

*४२—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी, १९७० से ३१ अगस्त, १९७१ तक गोरखपुर रीजन में कितने बस कंडक्टर व बुकिंग क्लर्क नियुक्त हुए और क्या यह भी सही है कि केवल एक ही गांव भेजा ठकरहा, थाना धनहा, सूबा बिहार के ७ कन्डक्टर इस अविधि में नियुक्त हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४३—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कसया-तुरपट्टी मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाने के लिये स्थानीय जनता कई वर्षों से मांग करती चली आ रही है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसी कोई मांग शासन को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है । यह अराष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर रोडवेज की बसें चलाने का कोई विचार नहीं है ।

*४४—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बाढ़ और वर्षा से बजट में स्वीकृत निर्माण-कार्य स्थगित न करना

*४५—सुरेंद्र विक्रम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से वित्तीय वर्ष ७१–७२ के बजट में स्वीकृत कुछ निर्माण कार्य को स्थगित किया जा रहा है । यदि हां, तो वे कौन-कौन से निर्माण कार्य है?

श्री महमूद अली खां—

स्वीकृत किये गये किसी निर्माण-कार्य को स्थगित नहीं किया जा रहा है ।

*४६—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[३रे पहर के लिये प्र०सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर जनपद की बिल्हौर स्थित मनोह ग्राम की झील के पानी की निकासी

*४७—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की तहसील बिल्हौर स्थित मनोह ग्राम की झील के बरसाती पानी के निकास की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या रूप है तथा उसका निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री राम लखन—

कानपुर जनपद बिल्हौर स्थित मनेह झील तथा अन्य पानी से भरे भू-भाग का पानी निकालने के लिये भौसाना नाम के तीन-तीन लम्बे नाले के निर्माण के प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया गया है तथा इसे पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया जाना संभव होगा ।

बरेली रेंज में बिना परमिट के बसें पकड़ी जाना

*४८—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मन्त्री को यह ज्ञात है कि बरेली रेंज में मुरादाबाद–दिल्ली और मुरादाबाद-रामपुर, मुरादाबाद काशीपुर के रास्तों पर कुछ ऐसी बसें चलती हैं जिनके पास उन रूट्स के परमिट नहीं हैं और वे मुरादाबाद से दिल्ली को सवारी भरकर ले जाते हैं ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

संदर्भित मार्गों पर बिना परमिट के चलते हुए कुछ बसें पकड़ी गयीं जिनका चालान किया गया। इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिये प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग की जाती है।

आगरा के सिंचाई अनुसंधान विभाग के अनुसंधान कार्य

*४९—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा स्थित सिंचाई अनुसन्धान विभाग जो कि २ वर्ष पूर्व सरकार की चम्बल घाटी सिंचाई योजना सम्पन्न करने हेतु खोला गया था, उसने उस क्षेत्र में क्या अनुसन्धान कार्य किये हैं और उसे इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

श्री राम लखन—

१—यह खंड ४ जुलाई, १९७० से सृजित हुआ है। चम्बल घाटी योजना पर इस खंड द्वारा अनुसन्धान कार्य नहीं कराया गया है।

२—खंड द्वारा जिला आगरा में उटंगन बांध योजना तथा यमुना नदी पर नौरंगीघाट के समीप बैराज बनाने के प्रस्तावों पर जांच हो रही है। खंड द्वारा जिला झांसी में राजघाट, मिर्चवारा, खजनम, रोहनई, बन्धई, जिला हमीरपुर में बिरमा अमिल बांध योजनाओं तथा मेरठ-देहली में हिन्डन बैराज एवं नरौरा के पास एक नये बैराज की योजनाओं पर अनुसन्धान और सर्वेक्षण किया गया है।

द्वितीय उपखंड ज्ञानपुर, वाराणसी के सरकारी नलकूपों का निरीक्षण

*५०—श्री राम निहोर राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय उपखण्ड ज्ञानपुर, वाराणसी के किन-किन सरकारी नलकूपों का निरीक्षण दिनांक १८ सितम्बर, ७१ को किया गया और निरीक्षणकर्ताओं ने क्या कोई गड़बड़ी पायी ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम लखन—

१८ सितम्बर, १९७१ को निम्न नलकूपों का निरीक्षण किया गया—

१—नलकूप सं० २८४ भुड़की।

२—नलकूप सं० १६ अमवां।

३—नलकूप सं० ३७ सरायगांधी।

४—नलकूप सं० २३५ सीखापुर।

नलकूप अमवां एवं सराय गांधी यांत्रिक खराबी के कारण बन्द थे। इनकी खराबी को दूर कराके इन्हें दिनांक २६ सितम्बर, ७१ एवं २७ सितम्बर, ७१ को क्रमशः चालू करा दिया गया है।

शेष दो नलकूप उस समय चालू दशा में थे और पूर्ण रूप से सिंचाई कर रहे थे। नलकूप सीखापुर की नई नाली जो हाल ही में बनी थी, कृषकों द्वारा मिट्टी काट लेने के कारण कहीं-कहीं बह रही थी तथा पम्प हाउस एवं नलकूप चालक आवास गृह के फर्श में भी कुछ खराबी थी, उक्त त्रुटियों को भी ठीक करा दिया गया था।

*५१--श्री राम निहोर राय--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप निर्माण मंडल, वाराणसी के अन्तर्गत विभिन्न उपखंडों के नलकूपों में जो अनियमितता बरती गयी है, उसकी जांच टेकनिकल आडिट या सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम लखन सिंह--

इस समय तथा कथित कोई मंडल कार्यालय वाराणसी में नहीं है। सम्बन्धित प्रखंड का नाम नलकूप निर्माण नियंत्रण प्रखंड वाराणसी है। ऐसी कोई अनियमिततायें शासन की जानकारी में नहीं हैं जिनके कारण टेक्निकल आडिट सेल या सी० आई० डी० द्वारा जांच आवश्यक हो।

महानगर तथा बादशाहनगर कालोनीज में सरकारी आवासों का आवंटन

*५२--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा निर्मित भवनों के आबंटन किस आधार पर किये जाते हैं? क्या यह सत्य है कि महानगर तथा बादशाह नगर कालोनीज में ऐसे व्यक्ति भी इन भवनों में रह रहे हैं जिनके नाम में आवंटित नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है?

श्री महमूद अली खां--

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सरकारी आवासों के आवंटन के लिये एक समिति गठित की गई है और आवासों का आवंटन उक्त समिति द्वारा यथा सम्भव वेतन के आधार पर वरीयता तथा आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

महानगर तथा बादशाहनगर कालोनीज में अनधिकृत रूप से रहने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा के असिंचित क्षेत्र

*५३--हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या यह सही है कि आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद में दो तिहाई क्षेत्र असिंचित है? अगर हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सरकारी नलकूप बनाकर शीघ्र से शीघ्र इस क्षेत्र को सिंचित बनाने का प्रयास करेगी?

श्री राम लखन--

प्रश्न का प्रथम भाग

जी हां, क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पर्याप्त नहीं है।

प्रश्न का दूसरा भाग

जी हां, सतत प्रयास जारी है।

राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन में बस दुर्घटना से मृत्यु

*५४—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि १ जुलाई, सन् १९७१ ई० से ३१ अक्तूबर, १९७१ तक राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन के अन्तर्गत कुल कितनी पैसेन्जर बसें किन-किन तारीखों पर किन-किन क्षेत्रों में दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुयीं और इन दुर्घटनाओं से कितने व्यक्तियों की जानें गयीं तथा इन दुर्घटनाओं की कितने मामलों पर मजिस्ट्रीयल जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट से दुर्घटनाओं पर क्या तथ्य ज्ञात हुये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

१ जुलाई, १९७१ से ३१ अक्तूबर, ७१ तक राजकीय रोडवेज कुमायूं रीजन की कुल १३ बसें दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुईं। ये दुर्घटनायें निम्नलिखित तारीखों पर सामने दिये गये क्षेत्रों में हुईं।

(क) कुमायूं क्षेत्र

जुलाई ११ व १५, १९७१,
अगस्त २, ८, ९ व २४, १९७१,
सितम्बर ४ व २७, १९७१,
अक्तूबर २४, १९७१।

(ख) बरेली क्षेत्र

सितम्बर ८ व २५, १९७१,
अक्तूबर २३, १९७१।

(ग) मेरठ क्षेत्र

अक्तूबर ७, १९७१।

उक्त दुर्घटनाओं में से दिनांक ११ जुलाई, १९७१ को भीमताल में हुई दुर्घटना में बस संख्या यू० एस० आर० ३११३ से १५ व्यक्तियों की जानें गयीं तथा शेष १२ दुर्घटनाओं में से किसी की जान नहीं गयी। इन सभी दुर्घटनाओं की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। भीमताल में दिनांक ११ जुलाई, १९७१ को हुई दुर्घटना की मजिस्टीरियल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है शेष दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयिल जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भीमताल में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में मजिस्टीरियल रिपोर्ट हाल में प्राप्त हो गयी है। इंक्वायरी में सड़क की खराबी तथा बस चालक द्वारा बस ठीक से न चलाये जाने, को दुर्घटना का कारण बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर से मोतीराम अड्डा होकर झंगहा थाने तक नई लोकल बस सेवा

*५५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में मोतीराम अड्डा तक जाने वाली लोकल बस को झंगहा थाने तक चलाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री बलरामसिंह यादव—

गोरखपुर से एक नई लोकल बस सेवा मोतीराम अड्डा होते हुए झंगहा थाने तक दिनांक १ दिसम्बर, १९७१ से चला दी गई है।

*५६—डाक्टर भगवत दयाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

देबारा क्षेत्र के सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के गांवों में नलकूप योजना

*५७—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवारा क्षेत्र के सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के शिवपुर, आमानी देवारा कदीम ग्राम, महेशपुर, हरखपुर आदि गावों में सरकार की ओर से नलकूप लगाने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो आज तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री राम लखन—

प्रश्नगत क्षेत्र में नलकूप निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

*५८—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जिले के सिंचाई विभाग की ओर से उपरोक्त गांव के सम्बन्ध में अपना सुझाव विभाग ने भेजा है ? यदि हां, तो उनके क्या सुझाव हैं और उस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां। देवारा क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुआ था।

प्रश्न का दूसरा भाग—

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार नये नलकूपों का निर्माण वहीं होना चाहिए जहां उनके ३०००, ४००० घंटे चलने की सम्भावना हो। इसके विरुद्ध सुझाव यह था कि यहां चलित घंटों का मापदंड १०००, १५०० घंटे किया जाय तो ही नलकूप बन सकते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में नलकूपों के इससे अधिक चलने की संभावना नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि नलकूपों के निर्माण के सम्बन्ध में शासन द्वारा नये सिरे से नीति निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इलाहाबाद जिले की घूरपुर-प्रतापपुर सड़क का निर्माण-कार्य

*५९—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की घूर पुर-प्रतापपुर सड़क का निर्माण, जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में तीन लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री राम लखन—

प्रशासकीय अनुमोदन, प्राविधिक स्वीकृति दिये जाने तथा भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त इस सड़क पर वर्ष १९७२–७३ में कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है और इस पर निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगभग २ वर्ष का समय लगेगा।

जिला आल्मोड़ा-नैनीताल व पिथौरागढ़ में रोडवेज की दुर्घटना से क्षतिग्रस्त बसें

*६०—श्री इन्द्रलाल—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई सन् १९७१ से ३१ अक्टूबर, ७१ तक राजकीय रोडवेज की कितनी यात्री बसें किन-किन तारीखों पर जिला अल्मोड़ा-नैनीताल व पिथौरागढ़ में दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुई और इन दुर्घटनाओं में कुल जनक्षति कितनी हुई और इन दुर्घटनाओं की क्या कोई जांच करायी गई ? यदि हां, तो इनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोन्डा जनपद में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६१—श्री श्रीराम सिंह (गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष १९७०–७१ में यात्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणों में कितने कर्मचारियों को नियम विरुद्ध कार्य करते पाया गया और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर जनपद की अकबरपुर तहसील के ग्राम देवराय निवादा की निचली सतह में पानी का भराव

*६२—श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की अकबरपुर तहसील स्थित ग्राम देवराय निवादा में रामगंगा नहर व बम्बों के कारण बरसाती पानी भरा रहता है ? जिससे लगभग ६००० बीघे कृषि योग्य भूमि वर्ष भर पानी से भरी रहती है ? क्या विभाग इस पानी के निकासी के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री राम लखन—

कानपुर जिले की अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम देवराय निवादा, पश्चिमी इलाहाबाद शाखा के मील ४०व४१ के मध्य उत्तर दिशा में आबाद है । यह कहना उचित नहीं है कि प्रश्नगत क्षेत्र में रामगंगा नहर व उसके बम्बे बन जाने के कारण बरसाती पानी भरा रहता है । बल्कि इस ग्राम की भूमि निचली सतह में होने के कारण पानी से भरी रहती है । वर्तमान समय में लगभग १६५ एकड़ कृषि योग्य भूमि वर्षा-ऋतु में पानी से भर जाती है । इस स्थिति के निराकरण हेतु देवराय निवादा नामक नाले के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके निर्माण को अंतिम रूप विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात दिया जायेगा जो कि १९७२–७३ में पूर्ण होना संभव हो सकेगा ।

जनपद गोरखपुर सदर तहसील में राप्ती गोरी नदियों पर तटबंध के लिये प्रार्थना-पत्र

*६३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में राप्ती गोरी नदियों के दोआबा में तटबन्ध निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता ने माह अक्टूबर, १९७१ ई० में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या शासन ने तटबन्ध निर्माण हेतु निर्णय लिया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

प्रश्न का तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल जनपद में बम्बई योजनान्तर्गत सड़क का विकास

*६४—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पौड़ी-गढ़वाल जनपद में बम्बई योजना के अनुसार सड़क विकास अन्य पर्वतीय जिलों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूर्ण करने के लिए अधिक धन का प्राविधान करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में २५०.०० लाख रूपये की अनुमानित लागत पर, पांच पर्वतीय जिलों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण तथा सुधार के लिये प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में से सबसे अधिक, अर्थात् ७५.० लाख रूपये की अनुमानित लागत के कार्यों का सम्पादन गढ़वाल जनपद में किये जाने का निश्चय किया गया है।

रामगंगा परियोजना के वर्कचार्ज कर्मचारियों को इन्सेन्टिव बोनस

*६५—चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस वर्ष रामगंगा परियोजना कालागढ़ के वर्कचार्ज कर्मचारियों को इन्सेन्टिव बोनस दिया गया तथा कितना और किस आधार पर ?

श्री राम लखन—

राम गंगा परियोजना कालागढ़ के वर्कचार्ज कर्मचारियों को इन्सेन्टिव बोनस वर्ष १९७०–७१ तथा १९७१–७२ में निम्नलिखित दरों के अनुसार दिया गया:

वर्ष	दर
१९७०–७१ ..	.. १ माह के वेतन के बराबर धनराशि
१९७१–७२ ..	.. आधे माह के वेतन के बराबर धनराशि

यह बोनस कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के उपलक्ष में इनाम के तौर पर दिया गया है ताकि उनकी कार्य क्षमता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़े तथा कार्य जल्दी हो सके।

*६६—श्री हरवंश प्रसाद—

[चौथे गुरूवार में प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय आवास बस्ती रावतपुर के भवनों व सड़कों के निर्माण में गड़वड़ी की जांच

*६७—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय धर्म सिंह जी के मंत्रित्व-काल में राजकीय आवास बस्ती रावतपुर (कानपुर) के भवनों और सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी की एक जांच की गई थी और वहां से दीवारों का प्लास्टर तथा सड़कों का मैटीरियल जांच के लिये लखनऊ लाया गया था ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला और उसमें दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

निर्माण में कुछ त्रुटियां पाई गई थीं। उनके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के स्पष्टीकरण मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट सहित मांगी गई है जो प्रतीक्षित हैं।

जिला एटा में गंगा नदी पर उड़ैर बांध का टूटना

*६८—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष घोर वर्षा तथा गंगा नदी में बाढ़ आने से जिला एटा में गंगा नदी पर बंधे उड़ैर बांध टूट जाने के कारण हजारों एकड़ भूमि जल मग्न होने से खरीफ की फसल की भीषण क्षति हुई है? यदि हां, तो सरकार जिला एटा के इस उड़ैर बांध को पक्का बनाने का कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री राम लखन—

एटा जिले में गंगा नदी के दायें किनारे पर छोटे-छोटे चार तटीय बांध उड़ैर बांध के नाम से पुकारे जाते हैं। गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो कोई न कोई भाग टूट जाता है और भूमि जलमग्न हो जाती है जिससे फसल को क्षति होती है।

इस बांध को सुदृढ़ बनाने व पक्के टीस्परों द्वारा इसके बचाव की २०.५० लाख रुपये की योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद में ११-७-७० को प्रस्तुत की गई थी। क्योंकि इस योजना में अधिक धन के व्यय होने पर केवल ३५०० एकड़ भूमि ही लाभान्वित होगी अतः परिषद द्वारा बांध को सुदृढ़ तथा पक्का न करने का निर्णय लिया गया।

ठाकुरद्वारा तहसील, मुरादाबाद मे तोमड़िया डैम से पलेवा की सिंचाई

*६९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें १९६९-७० में ठाकुरद्वारा तहसील (मुरादाबाद) के कृषकों का कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है कि ममड़िया डम से निकलने वाली नहर से होने वाली सिंचाई पर केवल पलेवा की सिंचाई ही ली जाये। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

विभाग में कोई मुमडिया डैम नहीं है। सम्भवतः सदस्य महोदय का तात्पर्य तोमड़िया डैम से है। इस डैम से संबंधित कृषकों का इस आशय का एक मांग पत्र शासन को वर्ष १९७० में प्राप्त हुआ इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रार्थनापत्र विभाग को प्राप्त हुए थे।

प्रश्न का दूसरा भाग

इस क्षेत्र के कृषकों ने १० जनवरी, १९६९ से पहले ईख का पलेवा कर लिया था नियमानुसार उनसे सिंचाई कर लिया गया।

लखनऊ सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

*७०—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी कर्मचारी आवास हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९६७-६८, ६८-६९ तथा ६९-७० में कितने आवास गृह बनाये गये, उनमें से कितने आवंटित किए गए और कितने आवास गृह विभाग के पास सरकारी कर्मचारियों के आवंटन हेतु उपलब्ध है?

श्री महमूद अली खां—

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सन् १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में सरकारी कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित आवास निर्मित हुये—

सन	आवास
१९६७–६८	१९९
१९६८–६९	३०
१९६९–७०	२०

उपर्युक्त सभी आवास आवंटित कर दिये गये। विभाग के पास कोई आवास आबंटन हेतु उपलब्ध नहीं है।

*७१—श्रीमती सियादुलारी—

प्रत्येक उपरोक्त वर्षों में आवंटित न होने के कारण कितने आवास गृह खाली रहे और कितने रुपये का वार्षिक नुकसान शासन को उठाना पड़ा ?

श्री महमूद अली खां—

उपर्युक्त सभी आवास आवंटित कर दिये गये अतः नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद में कजगांव शीतला तक नगर बस चलाने की मांग

*७२—श्री जंगबहादुर यादव तथा श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में कजगांव शीतला चौकिया तक नगर बस चलाने का शासन का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

*७३—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

*७४—श्री कल्याण सिंह—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

जिला फतेहपुर में हुसैनगंज, हथगाया-छिउलाहा सड़क का निर्माण

*७५—श्री कृष्णदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो जिला फतेहपुर में हुसेनगंज से हथगाया वाया छिउलाहा सड़क का पक्का किया जाना स्वीकार किया गया था उसका निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया है ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग के निर्माण के १६,६६,२०० रु० के विस्तृत आगणन को प्रशासकीय अनुमोदन तथा इतनी ही लागत की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा १ सितम्बर, १९७१ को प्रदान की गई थी । कार्य के आगणन को प्राविधिक स्वीकृति १६ अक्टूबर, १९७१ को मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी गई । निर्माण कार्य में प्रगति लाने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं ।

*७६—श्री उपेंद्र नाथ दीक्षित—

[३रे बुधवार में तारांकित प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७७-७८—श्री शिवदास तिवारी—

[३रें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

सिधौली बस स्टेशन के बुकिंग क्लर्क का स्थनान्तरण

१—श्री राम लाल राही—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर, लखनऊ के मध्य सिधौली बस स्टेशन से बुकिंग स्टाफ को हटा दिया गया है और अब बुकिंग का कार्य परिचालकों (कंडक्टरों) द्वारा लिया जाता है ? यदि हां, तो टिकट बुकिंग स्टाफ को हटा लिये जाने के क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सिधौली बस स्टेशन में तैनात ५ बुकिंग लिपिकों में से दो बुकिंग लिपिकों का स्थानान्तरण जून,११,१९७१ को लखीमपुर में नई सेवाओं के संचालन हेतु किया गया था। इन दो बुकिंग लिपिकों का बुकिंग संबंधी कार्य बसों के परिचालकों के द्वारा करने की व्यवस्था की गई थी ।

उक्त दो बुकिंग लिपिकों के स्थान पर दिनांक १७-८-७१ को एक बुकिंग लिपिक की तैनात सिधौली में कर दी गई है । दूसरे बुकिंग लिपिक की तैनाती शीघ्र की जायगी ।

अकबरपुर बस स्टेशन के फर्श निर्माण हेतु मांगे गये टेन्डर की सिक्योरिटी वापस करना

२—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में अकबरपुर बस स्टेशन के फर्श आदि के निर्माण हेतु सन् १९६८-६९ में कोई टेंडर मांगे थे और उनकी सिक्योरिटी मनी जमा हुई थी ? यदि हां, तो क्यों उनकी सिक्योरिटी मनी वापस हो गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक २८-१०-६८ को अकबरपुर बस स्टेशन में "कन्सट्रक्शन आफ स्टार्टिंग रोड, थ्री रूम ब्लाक, सेनिटरी फिटिंग, ब्रिक पेविंग इत्यादि" के लिये टेंडर प्राप्त किये गये । सर्वश्री बांके बिहारी लाल तथा जगन्नाथ ठेकेदारों ने टेंडर दिये । श्री जगन्नाथ का टेंडर जनरल सेक्यूरिटी पर तथा श्री बांके बिहारी लाल ने टेंडर के साथ ५०० रु० अर्नेस्ट मनी जमा की थी है दोनों टेंडर नामंजूर कर दिये गये । श्री बांके बिहारी लाल की अनेस्ट मनी वापस की जा चुकी है ।

वर्ष १९६८-६९ में ही एक दूसरा कार्य "कवरिंग वास प्लेटफार्म ऐंड कन्सट्रक्शन आफ स्मिथी ब्लाक शेड" के लिये भी टेंडर मांगे गये, इस कार्य के लिये श्री रमेश कुमार शुक्ला का टेंडर मंजूर हुआ । उनकी सिक्यूरिटी अभी वापस नहीं की गई है क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है और फाइनल बिल का भुगतान भी अभी नहीं हुआ है।

जिला हमीरपुर के सिंचाई विभाग द्वारा विश्रामालय बनाने के लिये कृषकों की भूमि न लेना

३—श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुमेरपुर, जिला हमीरपुर में सिंचाई विभाग की ओर से एक विश्रामालय बनाने के लिये रेलवे स्टेशन के पास दो किसानों श्री मन्नी पुत्र

कालीदीन व लल्ली पुत्र रामाधीन के खेत लिये गये किन्तु विश्रामालय वहां न बन कर दूसरी जगह बन गया है ? किन्तु उपर्युक्त किसानों के खेत अभी तक नहीं छोड़े गये ? क्या मंत्री जी उन्हें किसानों को उनके खेत वापस दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन—

खसरे में इन्द्राज के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों की भूमि नहीं ली गई थी वरन् उक्त अभिप्राय के लिये अन्य लोगों की भूमि ली गई थी ।

सुमेरपुर निरीक्षण गृह के साइट प्लान में परिवर्तन होने के कारण निरीक्षण गृह को दूसरे स्थान पर बनवाया गया जिससे ली गई भूमि सिंचाई विभाग के इस्तेमाल में न आ सकी । इस भूमि की परिवहन विभाग को बस स्टेशन निर्माण हेतु तथा कृषि विभाग को उर्वरक गोदाम के लिये आवश्यकता थी इसलिये उक्त भूमि उन्हें हस्तांतरित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में भूमि किसानों को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर के मीरानपुर कटान से खुदागंज तक सड़क पक्की करने की स्वीकृति

४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में मीरानपुर कटरा से खुदागंज तक पक्की सड़क बनाये जाने की स्वीकृति सरकार से प्रदान की हुई है। यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायगा ।

श्री महमूद अली खां—

शाहजहांपुर जिले में कटरा-खुदागंज १७.६० किलोमीटर लम्बे मार्ग का निर्माण १४,५८,००० रु० की अनुमानित लागत पर, शासन द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है । आशा है यह निर्माण कार्य जनवरी, १९७२ तक प्रारम्भ हो जायगा ।

जिला इलाहाबाद के देवघाट पुल से टौल टैक्स की वसूली

५—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद के देवघाट पुल के रखरखाव में कितना व्यय प्रतिवर्ष होता है और उससे प्रतिवर्ष टोल टैक्स से कितनी आय है ।

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत पुल के रख रखाव पर कोई व्यय अभी तक नहीं हुआ है । जब से टोल टैक्स लागू हुआ है तब से टोल की वसूली निम्नवत् है।

दिनांक २०-२-६९ से ३१-३-६९ तक	७०२.३४ रु०
दिनांक १-४-६९ से ३१-३-७० तक	७,३८८.०६ रु०
दिनांक १-४-७० से ३१-३-७१ तक	७,४४३.७७ रु०
दिनांक १-४-७१ से ३०-६-७१ तक	३,१५९.३९ रु०
कुल	१८,६९३.५६ रु०

बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

६—श्री रामगोपाल संड—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार प्रदेश में कुछ बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों का एवं कब से ?

श्री बलरामसिंह यादव---

जी हां । वर्ष १९७१-७२ में निम्नलिखित मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया---

(१) टनकपुर-पियौरागढ़-धारचुला।
(२) जलालपुर-तारुन

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनायें भी शासन के विचाराधीन हैं:---

१---बाराबंकी-फैजाबाद ।
२---हमीरपुर-कालपी ।
३---जौनपुर-केराकत सैदपुर मिन्हाजपुर ।
४---कालपी-झांसी ।
५---हल्द्वानी-टांडा-रुद्रपुर ।
६---अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग ।
७---अलीगढ़-खेर टप्पल ।
८---अलीगढ़-अनूपशहर वाया विवई ।
९---बरेली-कासगंज वाया बदायूं ।
१०---सीतापुर-हरदोई तथा उन्नाव-हरदोई ।
११---कैराना-दिल्ली वाया शामली ।
१२---सहारनपुर-दिल्ली ।
१३---लखनऊ-हरदोई-शाहजहांपुर ।
१४---बिजनौर-नजीबाबाद वाया कीरतपुर ।
१५---मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर ।
१६---इटावा-मैनपुरी वाया कड़हल ।
१७---पीलीभीत-बीसलपुर-बिलसंडा ।
१८---वाराणसी-सैदपुर ।
१९---बांदा-बबेरू ।
२०---नगीना-धामपुर-कालागढ़।
२१---शाहजहांपुर निगोहा-बीसलपुर ।
२२---मेरठ-बुलन्दशहर ।

उपरोक्त मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनायें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८-सी के अन्तर्गत प्रकाशित की जा चुकी हैं और प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई का कार्य संबंधित अधिकारी द्वारा किया जा रहा है । चूंकि प्राइवेट चालकों द्वारा राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही में समय समय पर कठिनाइयां उत्पन्न की जाती रहती हैं अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस तिथि से हो सकेगा ।

नये ट्यूबवैल डिवीजन का खोला जाना

७---श्री मो० असरार अहमद---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७०-७१ एवं १९७१-७२ में १५ अक्तूबर, १९७१ तक कितने ट्यूबवेल डिवीजन नये कब और कहां-कहां खोले गये ?

श्री रामलखन—

१९७०-७१ में चार नये ट्यूबवेल डिवीजन रिग्स खंड कानपुर, नलकूप खंड द्वितीय मुरादाबाद, नलकूप खंड द्वितीय बदायूं तथा नलकूप निर्माण खंड मेरठ के नाम से कानपुर, मुरादाबाद, बदायूं तथा मेरठ में खोले गये। वर्ष १९७१-७२ में १५ अक्तूबर, १९७१ तक कोई नया डिवीजन नहीं खोला गया।

सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, सिंचाई विभाग में नहरों, नलकूपों के रख-रखाव के लिये सर्किल

८—श्री मो० असरार अहमद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सिंचाई (नहर व ट्यूबवेल के अलग-अलग) के कितने सर्किल हैं और इन सर्किलों में कौन-कौन से सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं और कब से ?

श्री रामलखन—

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में अधीक्षण अभियन्ता के कुल ६२ पद हैं। इन से मुख्यतः नहरों में रखरखाव पर १२ सर्किल हैं, तथा मुख्यतः नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई के रख रखाव पर ८ सर्किल है। २ सर्किल ऐसे हैं जिनमें नहरों तथा नलकूपों दोनों के रख-रखाव के कार्य हैं। परियोजनाओं के निर्माण, परिकल्प, रिसर्च, अनुसन्धान एवं नियोजन तथा प्रोक्योरमेंट इत्यादि पर ४० सर्किल है।

उपरोक्त सर्किलों में कौन-कौन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर काम कर रहे हैं और कब से. यह सम्पूर्ण सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६७०—६७३ पर)

कानपुर के रूरापुर के डेरापुर तक बाई पास सड़क का निर्माण

९—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के रूरा के डेरापुर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिलौली ग्राम के बाहर से बाईपास सड़क का निर्माण कब कब किया गया था और वह यातायात के लिये कब से चालू है और पुरानी सड़क को क्या सार्वजनिक प्रयोग के लिये छोड़ दिया गया है ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत बाई पास का निर्माण जून, १९६९ में पूरा हुआ था, किंतु इसे यातायात के लिये जून, १९६८ से ही खोल दिया गया था।

बाईपास का निर्माण पूरा होने के बाद पुरानी सड़क सार्वजनिक उपयोग के लिये छोड़ दी गई है।

राजकीय रोडवेज, इलाहाबाद रीजन में लाभ

१०—श्री राम गोपाल सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० में गवनमेंन्ट रोडवेज, इलाहाबाद रीजन में कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, इलाहाबाद क्षेत्र में वर्ष १९६८-६९ एवं १९६९-७० में निम्न प्रकार से शुद्ध लाभ हुआ :

वर्ष	शुद्ध लाभ ब्याज तथा हेडक्वार्टर्स व्यय घटाने के उपरान्त रु०
१९६८-६९	६,५२,९६१
१९६९-७०	२,८०,०४६

महमूदाबाद से बिसवां--रामपुर मार्ग मिलाने का प्राविधान

११--श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के रामपुर-मथुरा ब्लाक को पक्की सड़क द्वारा महमूदाबाद तक मिलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां--

महमूदाबाद से बिसवां-रामपुर-मथुरा मार्ग मिलाने वाले मार्ग के ७ किलोमीटर लम्बाई का भाग के निर्माण के लिए वर्ष १९७१-७२ के आय-व्ययक में प्रविधान किया गया है। आगणन तैयार होने के बाद उसकी प्रशासकीय व प्राविधिक स्वीकृति के पश्चात् निर्माण का प्रारम्भ होगा।

कानपुर--विधुना मार्ग पर बसें स्थगित करना

१२--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलाएंगे कि कानपुर के चुन्नीगंज डिपो के कानपुर विधुना मार्ग पर १०-७-७० से १०-७-७१ तक कितनी संख्या में बसें स्थगित की गई, इन स्थगित की गई बसों से कुल कितने कि० मी० को कमी हुई और इससे परिवहन विभाग को लगभग कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

१३--श्री त्रिवेणी सहाय--

(२रे मंगलवार में प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बन्धी प्रखन्ड राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा ह्यूम पाइप का क्रय

१४--श्री रामनिहोर राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्धी डिवीजन राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता ने लगभग दो लाख रुपए का विभिन्न व्यासों का पाइप गत वित्तीय वर्ष में मंगाया था ? क्या इन सभी पाइपों का उपयोग किया गया ? यदि नहीं, किया गया तो कब किया जायगा ?

श्री राम लखन--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी हां, बन्धी प्रखंड राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कुल १,०८,९६७.८० रु० का विभिन्न व्यासों का ह्यूम पाइप क्रय किया गया था।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

जी नहीं, सभी पाइपों का उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका।

प्रश्न का तृतीय भाग--

अधिकांश पाइपों का उपयोग जून, १९७२ तक हो जायगा तथा कुल पाइपों का उपयोग १९७३-७४ तक हो जायगा।

परिवहन विभाग में तीन साल से अधिक एक स्थान में कार्य करने वाले ए०जी०एम०

१५--श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में कितने ए० जी० एम० गत तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं किन-किन जिलों में ?

श्री बलराम सिंह यादव--

३१ दिसम्बर, १९७१ को तीन ए० जी० एम० अपने नियुक्ति स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। यह स्थान है--गोरखपुर, लखनऊ तथा रायबरेली।

१६--श्री राम प्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक स्थान में रहने वाले ए० जी० एम० में से कितनों के ट्रांसफर होकर फिर रोक दिये गये ? वे कौन-कौन और किस किस जिले के हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उपर्युक्त कथित ए० जी० एम० में से किसी के भी स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किये गये हैं। कथित तीन ए० जी० एम० सर्वश्री आर० डी० वर्त्त, पी० एन० प्रसाद तथा एस० एस० जौहरी हैं। श्री वर्त्त का होम डिस्ट्रिक्ट बलिया है तथा सर्वश्री प्रसाद एवं जौहरी के होम डिस्ट्रिक्ट बरेली है।

नवाबगंज-ढोमघाट जनपद, गोण्डा की सड़क का निर्माण-कार्य

१७--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नवाबगंज-ढोमघाट जनपद, गोंडा में जो बाढ़ क्षेत्र की प्रमुख (रास्ता) सड़क है इस सड़क के निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जायगा? यदि अभी नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां--

प्रश्नगत मार्ग के आगणन तैयार किये जा रहे हैं आगणन की औपचारिक स्वीकृति के बाद ही निर्माण-कार्य शुरू हो सकेगा।

नहल काजिमाबाद जुझरका नालों का निर्माण

१८--श्री कल्याण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या विधान सभाई क्षेत्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत नहल, काजिमाबाद, जुझरका के नालों का निर्माण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनके निर्माण की पूर्ति का लक्ष्य क्या निर्धारित किया जायगा ?

श्री राम लखन--

नहल तथा काजिमाबाद नालों के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के पश्चात् इनके प्राक्कलन पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उनके निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा। जुझरका नाले के निर्माण का कोई विचार नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में जनपद गोंडा की तहसील तरबगंज में नलकूप

१९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा में सिंचाई विभाग की तरफ से तहसील तरबगंज में सन् १९७१ ई० में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाने जा रही है और किन स्थानों पर उनके नाम तथा पता क्या हैं, साथ ही लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत किन-किन तालाबों एवम् झीलों में सिंचाई की जायेगी और कितने ग्राम प्रभावित तथा कितने एकड़ भूमि सिंचित होगी ?

श्री रामलखन—

जनपद गोंडा के तहसील तरबगंज में सन् १९७१–७२ में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की तरफ से दो नलकूप क्रमशः कूप सं० २६ टी० जी० , ग्राम करौदा में तथा कूप संख्या २७ टी० जी०, ग्राम धनेशपुर में लगाया गया है। तथा उक्त अवधि में लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसी भी तालाब एवं झीलों के निर्माण कराने का लक्ष्य है।

२०—श्री कल्याण सिंह—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

२१—श्री कल्याण सिंह—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित।]

उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन जारी किये गये आदेशों एवं विनियमों से सम्बन्धित प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर मुझे खेद है कि गवर्नमेंट प्रेस से यह प्रतिवेदन अभी तक छप कर आ नहीं सका है। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि इस प्रतिवेदन की कुछ मुख्य बातें सदन के सम्मुख रख दूं। उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रगतिशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य को सुनिश्चित ढंग से नियंत्रित करने का है और इस योजना के कार्यान्वित के लिये सर्वोच्च शक्ति शासन में और कंट्रोलिंग अथारिटीज में निहित है। कंट्रोलिंग अथारिटीज इस प्रदेश के अन्दर संख्या में २२ है। इस अधिनियम की धारा ५ और १४ में क्रमशः कंट्रोलिंग अथारिटी को और शासन को आदेश प्रसारित करने की शक्ति प्रतिनिहित है। इस प्रदेश की प्रतिनिहित विधायन समिति तथा केन्द्र की प्रतिनिहित विधायन समिति ने यह सिफारिश की है जो अधीनस्थ शक्ति प्रतिनिहित की जाय तो अधिनियम के पारित होने के ६ महीने के अन्दर उस शक्ति का प्रयोग अवश्य हो जाना चाहिये। शासन ने इस शक्ति का प्रयोग दो वर्ष के बाद किया। यह अधिनियम ५८ में पारित हुआ लेकिन शासन ने आदेश सन् १९६० में बनाये। समिति ने इस पर आपत्ति प्रकट की है और २२ कंट्रोलिंग अथारिटीज में से केवल ३ कंट्रोलिंग अथारिटीज ने ही आदेश बनाये हैं और १९ कंट्रोलिंग अथारिटीज ने १३ वर्ष के बाद आज तक कोई भी आदेश नहीं बनाये हैं। इन कंट्रोलिंग अथारिटीज के चेयरमैन साधारणतया प्रदेश के कमिश्नर्स हैं।

---

†छापा नहीं गया।

दूसरा बड़ा कर्त्तव्य जो शासन का इस अधिनियम के अन्तर्गत था वह अपीलें हैं। अपीलों के दायर करने की रीति और उनके निस्तारण की नीति के सम्बन्ध में शासन को विनियमन बनाने थे। १३ वर्ष बीत गये किन्तु आज तक शासन ने इस अधिनियम के अन्तर्गत जो शक्ति प्रतिनिहित की गयी थी अपीलों के निस्तारण तथा दायर करने के सम्बन्ध में विनियमन बनाये जायं वे आज तक नहीं बनाये गये हैं। ३० जुलाई, १९६९ को इस आदरणीय सदन में प्रश्न द्वारा इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। सरकार ने एश्योरेंस दिया परन्तु आज तक वह विनियमन नहीं बनाये गये हैं और प्रदेश की २२ कंट्रोलिंग अथारिटीज विभिन्न प्रक्रियायें अपीलों के दायर करने और उनके निस्तारण के सम्बन्ध में बरत रही हैं। यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है। एक राज्य के अन्दर समाज अवस्था में नागरिकों के साथ विभिन्न प्रकार का बरताव किया जाय यह रूल आफ ला के विरुद्ध है। शासन को चाहिये कि अविलम्ब अपीलों के सम्बन्ध में विनियमन बनाने का जो उत्तरदायित्व है उसे पूरा करे।

मान्यवर सरकार ने अपीलों के ज्ञापन पर विनियमन ९ बनाये हैं और इसके ऊपर १५ रुपये से लेकर ५० रुपये तक शुल्क निर्धारित है। जब कमिश्नर्स समिति के समक्ष आये थे तो उनमें से किसी भी कमिश्नर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस पर सरकार ने कोई विनियम बनाये हैं और उनमें से कुछ तो अपीलों पर कोई शुल्क लेते भी नहीं थे। कुछ कमिश्नर्स का कहना था कि वे केवल स्टाम्प्स फीस लगा दिया करते थे। मान्यवर, कमिश्नर्स को सरकार के इन विनियमों की कोई जानकारी न हो, यह तो बड़ी ही गम्भीर बात है तथा गवर्नमेंट के अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों को निर्वहन करने की जानकारी न हो बड़े दुख की बात है। इससे सरकारी कोष को बड़ी हानि पहुंची है। इससे ज्यादा गम्भीर बात और हो ही क्या सकती है। मैं इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सरकार को कहीं से कोई धनराशि प्राप्त होती है तो संविधान के अनुसार उसको संचित निधि में जमा होना चाहिये। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी और कंट्रोलिंग अथारिटी को आय हुई है उसे बिना संचित निधि में जमा हुये ही पांचों कारपोरेशन्स को दे दिया जाय तो यह मेरी वैधानिक आपत्ति है और यह बड़े खेद का विषय है कि वित्त विभाग ने उसकी स्वीकृति दे दी। समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र किया है और सरकार से समिति आशा करती है कि वह इन दोषों को शीघ्र दूर करेगी और जो सुझाव समिति ने दिये हैं उनको पूरा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। इधर से कुछ शोर हो रहा है।

मारवाड़ी कालेज, कानपुर में अध्यापकों पर गुण्डों द्वारा आक्रमण तथा स्थानीय माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सत्याग्रह के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत ववतव्य

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नित्यानन्द स्वामी ने एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री के वक्तव्य एवं चर्चा हेतु उठाया है जो कानपुर के मारवाड़ी इंटर कालेज की एक घटना के सम्बन्ध में है।

यह घटना दिनांक २९ दिसम्बर, १९७१ को प्रथम घंटे में दो कक्षा ६ के छात्रों में एक सीट पर बैठने के कारण हुए झगड़े के कारण हुई थी जिससे एक छात्र को कुछ चोट आ गई। वह छात्र अपने घर चला गया और वहां से अपने सम्बन्धियों आदि को उस कक्षा के अध्यापक, श्री उदय नारायण पांडेय, के विरुद्ध उत्तेजित करके स्कूल ले आया। इन सम्बन्धियों आदि ने

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

गाली-गलौज करके और श्री पांडे को खींच कर मारने का प्रयत्न किया । संभवत: कुछ मारपीट भी हुई । पुलिस के आने पर ही मामला शान्त हुआ । अब तक इस सम्बन्ध में पुलिस ने ५ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है । मामले की छानबीन चल रही है ।

इस घटना पर अध्यापकों ने क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया था और दिनांक ३ जनवरी, १९७२ को कानपुर के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में हड़ताल रही ।

दिनांक ४ जनवरी, १९७२ को अधिकारियों ने अध्यापकों से वार्तालाप करके हड़ताल वापस करा दी है और इस समय स्थिति सामान्य है । दिनांक २९ दिसम्बर, १९७१ के बाद मारवाड़ी इंटर कालेज में अन्य कोई घटना नहीं हुई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार की घटनायें तो आगे भी हो सकती हैं इसलिये अभिभावक सीधे अध्यापक के पास जायें और उनसे अपनी बात कहे, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाये ।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह तो संस्थाओं से लिखा-पढ़ी करके कह सकते हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, ये जो पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं वे किस धारा के अन्तर्गत हुये हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण मणि ।

(श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी बोलने के लिए खड़े हुए ।)

राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के संबंध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने नियम ३०१ में नोटिस दिया है और बड़ा महत्वपूर्ण है । उसको सुनने की कृपा करें और उसके बारे में कोई व्यवस्था करें । आपको ध्यान होगा कल, परसों इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न आया था कर्मचारियों के अन्दर असंतोष के बारे में । उसके उत्तर में यह कह दिया गया था कि अभी जबतक वेतन आयोग से रिपोर्ट नहीं आयेगी तबतक हम उसका फैसला नहीं कर पायेंगे । आपको ध्यान होगा, समाचार-पत्रों में उत्तर प्रदेश के ५ लाख कर्मचारियों ने वेतन आयोग का बहिष्कार कर दिया है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जो नहीं होनी चाहिये । यदि उनका बहिष्कार चलता रहा और सरकार और उनके बीच में तालमेल ठीक न बैठा तो प्रदेश की प्रगति में बाधा पड़ जायगी, इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इस विषय को टाल रही है । केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचरियों को राहत दी है और अब वह संकटकालीन स्थिति भी नहीं है कि सरकार इस मांग को टालती रहे । आज जो बड़ी गरीबों की, कर्मचारियों की, मजदूरों की, हितैषी अपने को बतलाने वाली सरकार है, उसने एक पैसा भी इंटेरिम राहत का इन राज्य कर्मचारियों को नहीं दिया है । जो मिला है वह पहले मिला है । वित्त

मंत्री जरा सुन लें। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के आधार पर, जो केन्द्रीय सरकार ने दिया है वह इनको राहत दे दें ताकि यह आपसी झगड़ा निपट जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो भाषण दे दिया ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय सस्दय देहरादून ने जो इस संबंध मे अपनी दिलचस्पी दिखाई है वह सराहनीय है, लेकिन यह सही नहीं होगा यह कहना कि प्रदेश के कर्मचारियों ने बड़ा बहिष्कार कर दिया है। मैं तो श्रीमन् आपके द्वारा प्रदेश के शासन के, सरकार के सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस संकट काल में बड़ा साथ दिया है, सहयोग दिया है और आज भी सहयोग देने के लिये तत्पर हैं। वह बात तो १५ जनवरी के बाद की है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस संबंध में निर्णय हो जायगा १५ जनवरी तक, इतना मैं बता दूं ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप सूची ७ को छोड़कर ८ पर न जायं। हमने और हमारे साथियों ने एक कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

फाइल के आने में देर हुई, यह एक असावधानी हुई । यह नहीं आई तब मैंने कहा कि दो मिनट बाद सुना दूंगा। अब मैं सुनाता हूं। जो-जो प्रस्ताव आये हैं उनमें एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांडेय और माननीय गिरजाशंकर तिवारी का है। यह कल भी उन्होंने दिया था। यह अविलम्बीय नहीं है, इसमें प्रश्न किया जा सकता है। मात्र समाचार-पत्रों पर आधारित सूचना नाकाफी है ।

दूसरा माननीय अनन्तराम जायसवाल ने जो बनारस विश्वविद्यालय के संबंध में दिया है तो वह कार्य-मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट कर दिया है, इस सूचना को उसमें शामिल कर लिया जाय। और उनका नाम जोड़ दिया जायगा जब बहस होगी, उसको हमने स्वीकार किया है ।

तीसरा भी श्री बंशीधर पांडेय जी, मा० रामबिलास और गिरजाशंकर तिवारी का है। को आपरेटिव सहकारी समिति के बारे में जो संशोधन आ रहा है, उस पर बहस के दौरान अगर उनको समुचित समय नहीं मिलेगा तब अगर वह इसको देंगे तो स्वीकार किया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप देख लीजिये, सारा सहकारी समितियों का मामला चौपट कर रखा है। सब म सरकार ने जबरदस्ती रुपया वसूल करवाना शुरू कर दिया है बिना प्रस्ताव के, इतनी धांधली मची हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कल मौका नहीं मिलेगा आपको तो.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

कल का क्या मतलब ? यह एक निश्चित विषय है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निश्चित कहना चाहता हूं कि आज आप इस पर कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करन की इजाजत दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सारे प्रदेश में सहकारिता की दुश्मन सरकार बैठी हुई है। इसने लाखों करोड़ों रुपया जबरदस्ती वसूल कराना शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

कल जो बिधेयक सहकारिता का आ रहा है उस पर यदि आपको अपने विचार व्यक्त करने का समय नहीं मिलेगा तो उसके संबंध में हम विचार कर लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

तब तक यह कर दीजिये कि आज की तारीख म सरकार यह निश्चित कर दे कि किसी प्रकार की वसूली कोआपरेटिव बैंक द्वारा नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप इसको रुकवा दीजिये । करोड़ों रुपया गड़बड़ी में जा रहा है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि कोई जबरदस्ती वसूल करने का सवाल नहीं है । यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये जिसके माननीय सदस्य भी उतने ही चिंतित हैं और उन्होंने तथा उनके दल ने पूरा सहयोग दिया है । इस पुनीत कार्य के लिये उनका भी उतना ही योगदान है जितना हम लोगों का है । अगर कोई सहकारी समिति सुरक्षा फंड के लिये या बंगला देश के लिये चन्दा दे रही है तो वह अपनी स्वेच्छा से दे रही है और कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिये.....

श्री उपाध्यक्ष---

कल सहकारिता के विधेयक पर बहस होगी उस समय आप कहें ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप विश्वनाथ कपूर जी को बोलने का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके हुक्म से मैं थोड़ें ही सुनूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

नहीं, आप उनको सुन लें ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

सारे प्रदेश में अधिकारी घूम रहे हैं और जबरदस्ती लोगों से चन्दा ले रहे हैं । मैं डिप्टी रजिस्ट्रार से मिला था । इस तरह की जबरदस्ती की जा रही है ।

(व्यवधान)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ †—(क्रमागत)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जो सदन में शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि "इंटरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ को सदन की एक प्रवर समिति

---

†४ जनवरी, १९७२ की कार्यवाही से ।

के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास में सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे और उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो।"

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं--(क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि कल यदि आपको मौका नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे। अभी मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अब किस बात पर मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी हम आगे चले गये हैं। आप नियमों को पढ़ लें। अभी मैंने अस्वीकार किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

ठीक है आपने अस्वीकार किया है। यह सरकार नंगा नाच कराती रहेगी और आप अस्वीकार करते रहेंगे। जो आप कल की बात कह रहे हैं वह किससे कह रहे हैं?

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

जबरदस्ती चन्दा वसूल किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आप सुन लीजिये। इस तरह से यह गाड़ी नहीं चल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी कोई औचित्य नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इस तरह से कैसे गाड़ी चल सकती है?

श्री जगन्नाथ खन्ना--

बंगला देश के लिये जबरदस्ती चन्दा वसूल किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

अभी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि फैजाबाद के डी०आर० उनको डरा धमका रहे हैं। इसके बावजूद आप कोई समय इसके लिये नहीं दे रहे हैं यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

हम आगे चले गये हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने अपनी बात पूरी नहीं की आप आगे कैसे चले गये । आप जो कल के लिये कह रहे थे वह किस बात का अवसर मिलेगा । कोआपरेटिव वाले लोगों को धमका और डरा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता है कि एक तो सदस्य जब चाहें तब उनकी बात को लेकर किसी चीज पर बहस की जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह भी नहीं हो सकता है कि यह सरकार यहां पर नंगा नाच करती रहे और हम उसको देखते रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चले गये हैं । मैंने उस सवाल को अभी टाल दिया है इस वजह से उसको स्वीकार नहीं किया है कि कल आपको मौका मिलेगा । और कल आपको मौका नहीं मिलेगा तो परसों हम देखेंगे । आज इससे ज्यादा और बात नहीं हो सकती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कल किस बात का मौका मिलेगा यह आप हमको बतलायें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब सहकारिता बिल यहां पर आ रहा है तब उस बिल पर आपको अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अब इस समय क्या कठिनाई है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको बतला दिया कि आज यह नहीं हो सकता है । परसों आपको मौका मिलेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रकार से यह पैसा सरकार नहीं ले सकती है । यह सरकार करोड़ों रुपये का गड़बड़ घोटाला करने जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं एक सूचना चाहता हूं ? मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव काशी विश्वविद्यालय के बारे में दिया था जिसको आपने १० तारीख के लिये स्वीकार कर लिया है । यह दूसरी घटना के बारे में है तो उस विषय में क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आज आपका एक ही लिया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक पहले का है जिसके बारे में आपने कहा था कि तारीख लगाई जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बाद में आपको बतला दूंगा । यहां पर नहीं बतलाया जा सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उसके बारे में आपने कहा था कि १० तारीख को चर्चा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर तो तब चर्चा होगी । परन्तु इसके बारे म अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता है । उस पर तिथि तय नहीं हुई है । आज विश्वविद्यालय के बारे में निश्चित हुआ है । तो आपका नाम भी उसके साथ रहेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने जो यह सूचना दी है वह किस सूचना के बारे में है ?

श्री उपाध्यक्ष—

१० तारीख वाले में आपका भी नाम रहेगा । एक ही स्वीकार किया गया है । वह विश्वविद्यालय के बारे में वक्तव्य होगा । वह नियम ५६ में नहीं किन्तु ५१ में स्वीकार किया गया है । उसके साथ आपका नाम भी जोड़ दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस दिन असेम्बली बैठी थी उसी दिन मैंने काशी विश्वविद्यालय के बारे में दिया था जिसको आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया था । मुख्य मंत्री जी के कहने पर आपने कहा था कि चर्चा की तिथि फिर लगा दी जायगी?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में मैं अभी नहीं बतला सकता हूं । जो आज तय किया है वह यह है कि वह विश्वविद्यालय वाला १० तारीख को लिया जायगा । शेष के बारे में बाद को बतला दिया जायगा ।

इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ (क्रमागत)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह प्रस्तुत इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ इस सदन में एक बार आ चुका है । इससे पहले भी गत वर्ष एक आ चुका है और कल शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि परीक्षाओं के बारे में यानी विकेंद्रीकरण के संबंध में एक धारा इसमें जोड़ी गयी है।

मान्यवर, इंटरमीडिएट ऐक्ट, १९२१ इसी सदन द्वारा पारित हुआ था । उसको आज ५०–५१ वर्ष हो गये । बीच-बीच में एक-एक धारा जोड़-जोड़ कर उसकी दवा करने की कोशिश की जा रही है। १९२१ में शासन की ओर से गिनीगिनायी बहुत थोड़ी सी संस्थायें यानी २०–२५ संस्थायें थीं । इस वक्त जो मेरे पास आंकड़े हैं वह १९६९ तक के हैं उनके अनुसार माध्यमिक स्तर की १० हजार से ऊपर संस्थायें हमारे प्रदेश में हैं । लाखों विद्यार्थी उनमें पढ़त ह । लेकिन इतना अधिक उसका कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के बावजूद एक्ट हमारा वही १९२१ का चला आ रहा है । १९५९ म माननीय कमलापति

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

जी, जो इस समय मुख्य मंत्री हैं, उस समय शिक्षा मंत्री थे । उन्होंने उस समय एक अमेंडमेंट इस ऐक्ट में पेश किया था और कहा था तथा आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही अध्यापकों के और इन शिक्षा संस्थाओं के बारे में सम्यक रूप से एक बिल आयेगा जिसमें सारी समस्याओं पर विचार किया जायगा । लेकिन तब से कभी एक धारा जोड़ दी जाती है और कभी दूसरी, कभी कामा और कभी फुलस्टाप जोड़ दिया जाता है । आजकल भी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं वे भी इस सदन के ५७ में सदस्य थे और इंटरमीडिएट बोर्ड के भी मेम्बर थे । उनका मुझसे लगातार साथ रहा है । वह स्वयं ही अनुभव करते हैं कि एक-एक धारा को जोड़ने से माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता । वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय कमलापति जब मुख्य मंत्री हुए थे तब श्री वी०के० आर० वी० राव साहब ने एक लेख लिखा था जिसमें कमलापति जी को बधाई दी गई थी और शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा था । मैं उन्हीं क शब्दों को सदन को बता देना चाहता हूं। "उत्तर प्रदेश ने अपनी पुरानी महत्ता खो दी है । छात्र अनुशासनहीनता छात्र अध्यापक अशांति में नक्सलवादी पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर शेष प्रदेशों से आगे है । आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्षेत्र में अब यह भावना नहीं रही कि उत्तर प्रदेश उस ऊंची श्रेणी पर है जहां अंग्रेजी काल में या स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ काल तक था। भारत का हृदय उत्तर प्रदेश रोगी है अतः पूरा पुरुष स्वस्थ नहीं हो सकता"।

मान्यवर, यह श्री राव वी० राव का उद्धरण है जो उन्होंने ४–६ महीने पहले एक बयान दिया था। जब भारत के हृदय उत्तर प्रदेशकी हालत यह है कि उसके शिक्षा के ऐक्ट में एक-एक धारा का संशोधन हो रहा है तो फिर कैसे इस देश का उद्धार होगा, कैसे हमारी संस्कृति और हमारा राष्ट्रीय जीवन बनेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का सुधार कैसे होगा ? गतवर्ष में लखीमपुर खीरी गया था । माननीय चौधरी साहब उस समय यहां के मुख्य मंत्री थे । मेरी उनसे बातें हुई थीं । वहां पर एक फर्स्ट क्लास एम०एस० सी० जो एक बहुत बड़े अधिकारी का लड़का था, नक्सलवादी कार्य कर रहा था । क्या हम अपनी शिक्षा का यही स्वरूप बना रहे हैं ? अभी अखबारों में पढ़ा कि एक ८–१० बरस का लड़का मुक्ति-वाहिनी में सैनिक बनकर और लड़ाई में चोट खाकर बंगला देश से यहां आया था । इस प्रदेश में भी वही स्वरूप शिक्षा का होने जा रहा है और लड़के अध्यापकों पर हमला जगह-जगह कर रहे हैं ।

बनारस विश्वविद्यालय में तो अध्यापकों और प्राध्यापकों को कमरे में बन्द कर के चोटें मारी गयीं । यह नक्सलवादी रास्ता नहीं है तो और क्या है ? क्या शिक्षा मंत्री जी चाहते ह कि जब हमारी शिक्षा की सारी गण्य मान्य मान्यतायें समाप्त हो जायेंगी तब वह कोई सम्यक बिल लायेंगे या पहले से चेतेंगे । क्या उनको अभी संतोष नहीं हुआ कि हमारी माध्यमिक शिक्षा ऐसी स्थिति म पहुंच गयी है जहां अध्यापक अपने ट्यूशन करने या अपने आन्दोलन करने में लगे हुये हैं और छात्र नकल करने में, सर्टिफिकेट छीनने में, लायब्रेरी जलाने में लगे हुए हैं । इससे भयानक स्थिति और क्या हो सकती है? अखबारों में निकला था कि बंगला देश में ढ़ाका विश्वविध्यालय क छात्रों और अध्यापकों ने इस क्रांति को जन्म दिया और उसकी अगुवाई की । हमारे शिक्षा मंत्री जी समय से चेतें । क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का वही रूप होना चाहिये ? इसीलिये पाकिस्तानी फौजों ने जितने बुद्धिजीवी थे उनको मार दिया था क्योंकि वह जानते थे कि यही लोग आन्दोलन कराने वाले हैं । उत्तर प्रदेश में वही आग भीतर-भीतर भड़क रही है । शिक्षकों की दशा और शिक्षा को सुधारने की व्यवस्था नहीं है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् को बदलने की भावना नहीं है । उसके राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं चल रही है । शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सारे स्वरूप को बदलें । हजारों की संख्या में अध्यापक जहां हैं वहां उनका कोई रेप्रे-जेंटेशन नहीं है । चेम्बर आफ कामर्स का रेप्रेजेंटेशन है । आप चाहते हैं कि एक-एक,

दो-दो धारायें बदल कर सारी व्यवस्था ठीक कर दें । इसीलिये मैं चाहता था कि प्रवर समिति में यह जाय । अगर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व बोर्ड में होता, करीकुलम में सुधार करने की बात होती और राष्ट्रीयकरण योजना होती तो दूसरी बात होती। इस वक्त जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बोर्ड) के अध्यक्ष हैं वह शिक्षा संचालक ह और एग्जीक्यूटिव आफिसर भी हैं और साथही साथ वह पालिसी लेइंग बाडी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ह उसके अध्यक्ष भी हैं। उसको तो इतनी विस्तृत शिक्षा योजना को चलाने से ही फुर्सत नहीं है, पालिसी लेइंग बाडी के लिये उसको कहां फुर्सत है।पिछले १०-२० वर्षों के जो इंटर मीडिएट बोर्ड के प्रस्ताव हैं अगर शिक्षा मंत्री जी व्यापक रूप से उनको ही देख लिये होते तो उनको बड़ा प्रकाश मिल जाता । शिक्षा विभाग या डायरेक्टर आफ एजूकेशन कुछ सुझाव नहीं दे सकते ।

कोठारी कमीशन के बाद कितनी ही समितियां बन चुकीं । मैं तो सन् ३५ से इस विभाग में हूं । सन् ४७ में शिक्षा की एक योजना आयी । फिर १९५९ में कुछ परिवर्तन हुआ किन्तु किसी में कुछ सुधार नहीं हुआ और ज्यों ज्यों परिवर्तन किये गये त्यों-त्यों गड़बड़ी होती गयी । स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट करने का हक है । आप कहते हैं कि ३ वर्ष से ५ वष का समय दे दो । हरदोई म एक एस०डी० कालेज है । उसमें १५ वर्षों से लड़ाई हो रही है, दो-दो कमेटियां बनी हुई हैं, मुकदमा चल रहा है । इस तरह से थोड़े थोड़े सुधार लाने से क्या काम चलने वाला है, यह कोई वास्तविक दवा इस मर्ज की नहीं है और जैसा कि श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने सन् ५७–५८ में कहा था कि हमें शिक्षा का यह सारा स्वरूप व ढांचा बदलना होगा तभी वास्तविक सुधार हो सकता है।

शिक्षा विभाग में आप यह भी देखें कि पूरे विभाग में ऐसा कोई प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं है, हर चीज के लिये चाहे डायरेक्टर का पद हो या कोई पद हो आप आई०ए०एस० को लाकर बिठा देते हैं और इस तरह से जो शिक्षा जगत के प्रतिभावान लोग हैं या जो हमारे प्रतिभाशील विद्यार्थी निकलते हैं उनकी प्रतिभा रुक जाती है । अगर क्लास १ और २ के अलावा किसी और का हक डायरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर बनने का नहीं है और केवल आई० ए० एस० वालों के लिये ही आप सारे स्थान रखेंगे तो शायद कभी भी यह प्राथमिक माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्टेज की शिक्षा संस्थाओं में गड़बड़ी दूर न हो सकेगी । उन लोगों को तो कागज देखने से ही फुर्सत नहीं रहती वह किस तरह से शिक्षा का और डायरेक्टर का कार्य कर सकते हैं। आप ने आश्वासन तो दिया लेकिन कोई नहीं देखता कि किस तरह से एक डायरेक्टर यह सब काम कर सकता है, तीन डायरेक्टर, प्राइमरी स्टेज का अलग, माध्यमिक संस्थाओं का अलग और विश्वविद्यालयों के लिये अलग होने की बात थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । शिक्षा का विषय भी अलग-अलग एक टेक्निकल कार्य है और जो उस क्षेत्र में काम करने वाले हैं वे ही वहां के मामलों को समझ सकते हैं। जिस तरह से एक इंजीनियर का और एक डाक्टर का काम टेक्निकल है उसी तरह से यह शिक्षा का काम भी उस क्षेत्र के प्रतिभावान लोग ही समझ सकते हैं । जब अंग्रेजों का जमाना था और थोड़ी सी संस्थायें थीं तो इसका ख्याल किया जाता था, पी० डब्लू० डी० का सेक्रेटरी इंजीनियर ही हुआ करता था और वह सारे मामलात को समझता था नान-टेक्निकल आदमी रखने से हर तरह की गड़बड़ी होती है । अगर आप को वाकई में माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना है तो ऐसे व्यक्ति को आप इसका भार दें जिस को पूरी तरह से वहां की सब बातों की जानकारी हो । इसी तरह से विश्वविद्यालयों के मामलों को कोई भी बाहर का आदमी नहीं समझ सकता । अलग-अलग डायरेक्टर प्राइमरी, माध्यमिक और विश्वविद्यालय के स्तर के होने चाहिये लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा विभाग के लोगों का और वहां के प्रतिभा सम्पन्न लोगों का वह आदर नहीं है जो उन्हें मिलना चाहिये । नेशन बिलडिंग एक्टिविटीज में शिक्षा विभाग का सब से ऊपर स्थान है और वह उसे मिलना चाहिये । जो कुछ रूस में हो रहा है वह आप भी अपने यहां कर रहे हैं लेकिन रूस ने किस तरह से अपने प्रतिभावान विशेषज्ञों और वज्ञानिकों को किस तरह से सुविधायें और आदर दिया है वह

[श्री दीप नाराण मणि त्रिपाठी]

भी तो आप देखें, वहां पर टेक्निकल लोगों को हर चीज में प्राथमिकता है, वहां के एजूकेशनिस्ट को उच्च स्थान प्राप्त है और इसी कारण से अन्तरिक्ष के ज्ञान में और अनुसंधानों में वह देश आगे जा रहा है, उनके विवेक का फल भी वहां के समाज को इसीलिये प्राप्त हो रहा है ।

हमारे यहां देवरिया में सह-शिक्षा इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने एक लिये तमाम कोशिश की लेकिन बड़े-बड़े बाबुओं के मुकाबले में मकान और बड़ी लड़ाई के बाद कलेक्टर ने दफ्तर के लिये एक मकान दिया । हाउस के अलाटमेंट के उनको नहीं दिया गया आप यह विधेयक लाये हैं लेकिन आप ने इस तरह से जो अवहेलना है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । देवरिया में १५० एकड़ जमीन अलाट हुई लेकिन इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की कोशिश करने पर भी कोई जगह नहीं दी गई । हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी तो ऐसे वर्ग से आये हैं और वह बिवाई के फटने को जानते हैं और उनके पैर में पीर का अहसास है उन्हें तो एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये था जिसमें यह सब बातें रहतीं और उन सारी मुसीबतों का समाधान होता, मुझे उस पर बहुत खुशी होती है और मैं उनको साधुवाद देता ।

जापान जब रूस से अलग हुआ और जब वहां का राजा हटा तो वहां सारी परम्परा बदल दी गई और उन्होंने पुरानी सारी किताबों को जलवा दिया और नई किताबें नये सिरे से लिखाई, वे चाहते थे एक राष्ट्र बनाना । जापान जो आज सब राष्ट्रों में उन्नति करता जा रहा है, जैसा कि हमारे साथी माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वयं देखा कि वहां पर एक तरह की शिक्षा पद्धति है । बड़े से बड़े स्कूलों में वे ही पुस्तकें हैं और छोटे से छोटे स्कूलों में भी वे ही पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं । यहां पर डा० सीता राम जी के लड़के तो कन्वेन्ट्स और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन और हरिजनों के जो बच्चे हैं वे उन स्कूलो में पढ़ते हैं जहां पर न टाट है और न बिल्डिंग्स हैं । तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्यों नहीं इसे एक तरह की करते हैं । कहीं पंडितों के स्कूल हैं, कहीं पर हरिजनों के स्कूल्स हैं और कहीं पर और जातियों के हैं । अगर समाजवादी व्यवस्था लानी है तो इस भेदभाव को आपको समाप्त करना होगा । यदि हमारे माननीय मंत्री जी कोई इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाते या इस माध्यमिक परिषद में कोई परिवर्तन लाते तो मैं समझता कि वास्तव में उन्होंने कुछ करक दिखाया है । केवल ५ या ३ कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है । अगर इस परिषद् को सरकारी नियंत्रण में लाया गया तो फिर मनमाने ढंग से काम होने लगेगा और राजनीतिक प्रशर्स पड़ने लगेंगे । तो श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस परिषद के सारे स्वरूप को वे बदल दें । इसमें जो शिक्षा संचालक है वह शिक्षा से संबंध में रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये । दूसरी मेरी माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और अगर ऐसा न कर दिया गया तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा । दूसरे मैं चाहूंगा कि इसमें जो अध्यापक या शिक्षा विद् हों वे ही नीति निर्धारण करें और उनका कार्यान्वयन केवल शिक्षा विभाग करे । इसके अतिरिक्त यह भी होना चाहिये कि एक प्रकार के पे स्केल्स हों, एक ही प्रकार के सर्विस रूल्स हों ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यह जो संशोधन की परिधि है, उस तक ही रहें । माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कृपया सुन लें और वे भी इस पर ध्यान कि जो बहस हो वह जो उद्देश्य और कारण लिखे हुए हैं उन्हीं पर आधारित हो । खंडों में जो संशोधन आने वाले हैं तो यह प्रश्न उठता है कि बहस करायी जाय या नहीं । आप भी संशोधन की परिधि के बाहर जा रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

कल माननीय मन्त्री जी ने भी परिधि के बाहर ही भाषण दे दिया । एक बिल नहीं एक अमेंडमेंट कन्सीव कर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल उसका जवाब दे दिया गया था । कल अपनी इच्छा के विरुद्ध एक संशोधन की अनुमति दी थी । जो संशोधन सदन के अधिकार का विस्तारण करे तो मने उसकी अनुमति दे दी थी। कल जो माननीय शिवराज सिंह जी ने रखा था और जो सदन के अधिकार का विस्तारण करता था तो मैंने अनुमति दी थी अब प्रश्न बुनियादी प्रश्न हो जाता है कि यदि कोई संशोधन विधेयक आये तो मूल ऐक्ट में कुछ संशोधन रख सकते हैं कि नहीं । इस विषय में मेरा मन कल से चिन्तित था । मैंने इस विषय को गहराई से देखा । तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थायें हैं कि जो उसकी इजाजत नहीं देती हैं । लेकिन अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर परिधि को बढ़ायें और सीमा बढ़ाते हैं तो विरोधी पक्ष को भी अधिकार हो जायेगा कि वह व्याप्ति को बढ़ा दे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, आप देखे हैं कि इस सरकार ने बहुत से विधेयक जारी किये । लेकिन मान्यवर, इन्होंने जो यह बिल पेश नहीं किया था और उसके जो अमेंडमेंट्स हैं, उस पर भाषण शिक्षा मंत्री जी ने दे दिया । मान्यवर, जब कोई आर्डीनेंश निकाला जाता है तो उसका यह उद्देश्य होता है कि कोई ऐसी चीज आ गई कि जिसका अगर प्राविधान नहीं है, तो उसको कर दें । उद्देश्य और कारण जो हैं, वह तो बिल के साथ आते हैं । इनको यह पहले ही बतला देना चाहिये था कि ये उद्देश्य हैं और ये कारण हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो संशोधन विधेयक है, इसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं, उनसे कुछ बढ़कर आ आ जाते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इसमें ये वह धारा जोड़ना चाहते हैं ताकि जो स्कूल इनको सूट न करें, उनको लेते चले जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप थोड़ा धैर्य रखें और अपना आसन ग्रहण करें । मैं उसी विषय में बात को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी —

एक क्लास ऐडमिनिस्ट्रेटर के कारण को बढ़ाने का रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष —

जो बात हो, उसको तो पहले सुने । अगर सहमत न हों तो बाद में वह बहस पूरी हो जायेगी । मैं दोनों आपके लिये और सरकार के लिये कह रहा हूं । अभी तक जो व्यवस्थायें हैं, जैसे कौल और शर्कधर का जो मत है, वह पृष्ठ ४४८ पर है और शर्कधर ने साफ लिखा है पृष्ठ ५४ और ५५ तथा पृष्ठ ६४–६५ पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही, खंड १७ के पृष्ठ १३-१४, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही खंड १७ के पृष्ठ ४२८–४३१, हाउस आफ कामन्स १८५७-१९४८ पृष्ट ६९–७० और मेज पार्लियामेंट्री प्रक्टिस के पृष्ठ ५४९, इससे मैं संतुष्ट हूं कि जब कोई संशोधन रखा जाना चाहिये तो जो मूल ऐक्ट है उसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती लेकिन आपके और सरकार के विचार के लिये मैं इस राय का हूं कि अगर सरकार यह चाहती है कि जो संशोधन है वह कुछ बढ़ जाय, तो मूल ऐक्ट में कुछ संशोधन करने का अधिकार देना होगा। अगर इस समय सम्भव नहीं है तो आगे के लिय किया जा सकता है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]—

मन्त्री जी से पूछ लें ।

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, आप इस ऐक्ट के दीर्घ नाम को देखें तो मालूम होगा कि हम मूल अधिनियम जो हमारा है उत्तर प्रदेश इण्टरमीडीएट शिक्षा अधिनियम, 1921 अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक, उसमें संशोधन करने पर यहां विचार कर रहें हैं। इसलिये इसकी परिधि में आ जाता है, इसलिये एक संशोधन जो हमारा इसमें आ रहा है उससे हम कुछ बाहर बढ़ गये हैं, यह शंका निराधार है। लेकिन उसकी उपयोगिता है। माननीय सदस्य इसको देखें और जब अपना व्याख्यान दें तो सीमित होकर दें जिससे समझने में भी आसान होगा और समय की बचत भी होगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो मूल अधिनियम है उसमें संशोधन कर सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसमें बहस क्या है, मैंने आइंदा के लिये कहा है। अभी तो कोई अवसर नहीं है। भविष्य में आप और सरकार दोनों के लिये ही कहा है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

लेकिन मान्यवर, यह तो परिधि के बाहर की बात है। इसको आपको आउट आफ आर्डर कर देना चाहिये । फिर बाद में ले आवें। आप इसको इसी क्षण से लागू कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सामान्य बहस चल रही है। जब आप कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठायेंगे, तब देखेंग ।

एक सदस्य—

एक कमेटी बना दें तो एक दो दिन में इसको देखें...

श्री उपाध्यक्ष—

यह चीज आप देखिये ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। प्रश्न यह है कि संशोधन बिल की १६वीं धारा में न प्रस्तुत कर १३वीं धारा जो ऐक्ट की है उसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। जब आपने यह बात नहीं बताई और आपने वह स्वीकार कर लिया तो हम बहस से करेंगे। आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी बहस प्रारम्भ होने से पहले.... ।

उपाध्यक्ष—

अब इस समय नहीं। जब उसका समय आ जायगा, और आप व्यवस्था चाहेंगे तो दी जायगी। इस समय तो सामान्य बहस है।

श्री मोहनलाल कपूर—

हम बहस पर बोलेंगे कि नहीं...

उपाध्यक्ष—

आपको बोलने का समय देंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह शिक्षा मन्त्री से कह रहा था कि वह स्वीकार किया था कि इन्टरमीडिएट ऐक्ट में रह कर, कामा और फुलस्टाप करके उसका सारा स्वरूप ही बदले दे रहे हैं। अभी १३ में कर रहे हैं, १६ में कर रहे हैं। तो मैंने यह कहा कि सारा स्वरूप ही तब्दील कीजिये जब आपका संशोधन आयेगा तो मैं यह जरूर कहूंगा। मान्यवर, आप ने जो इशारा किया वह ठीक ही है और नियत सीमा के अन्दर ही है। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि शिक्षा का स्वरूप सही-सही जैसा मैं समझता हूं, वह क्या है। हमारे जन्म से लेकर मरने तक की प्रणाली है। हम सब जब शिक्षा में आते हैं तो एक निश्चित सीमा तक माध्यमिक विद्यालय में और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो शासन की ओर से क्या व्यवस्था है, इसकी चर्चा कर रहा था। मान्यवर, जब मैं चौधरी साहब से बात पिछली बार कर रहा था तो आप तो मुख्य मन्त्री हैं, हमारे यह लड़के लड़कियां सिनेमा में जाते हैं उन पर फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है। सब के सब फिल्म स्टार बनने के लिये उनकी नकल करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी दिल्ली में बात हुई थी। उसमें श्री वी० आर० मोहन हैं और वीना दुग्गल हैं। यह शिक्षा का स्तर कैसा है। १८ वर्ष की आयु पर पहुंचने पर लड़के के दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है वह तो सारे राष्ट्र को ही बिगाड़ देगा। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृपया इसका आमूल परिवर्तन करें और देखिये कि क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या प्लान ला सकते हैं। अब रही एक बड़ी सेंट्रल प्रणाली की बात। माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या होता है? ऐडमिनिस्ट्रेटर क्यों अप्वाइन्ट करते हैं? जिन शिक्षा संस्थाओं में गड़बड़ी चल रही है, उनके लिये। इसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापक और लड़के सभी हैं, इसलिये यह बड़ी व्यापक है। हमारा सभी ऐक्ट सर्वांगीण हैं। मान्यवर, शिक्षा प्रणाली को देखिये। मान्यवर, अभी इसी सम्बन्ध में आगरा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दोनों के सहयोग से ३१ अक्तबर, १९७१ को आयोजित एक सेमिनार में डा० डी० एस० कोठारी ने कहा था औरक्या कहा था। वह मैं शिक्षा मन्त्री जी को बताना चाहता हूं। मैं यह कह रहा था कि फिजिसियन (Physoian) हील दाईसेल्फ तभी आपकी डाक्टर की पदवी चरितार्थ होगी। हमारा शिक्षा जगत आपकी डाक्टरेट से लाभ नहीं उठा रहा है। जो रिपोर्ट छपी है उसमें लिखा है—

"The Chairman of the University Grants Commission, Dr. D. S. Kothari, speaking to day at the seminar, on the examination system, jointly organised by the Agra University and the University Grants Commission, described the examination system as an act of "irrationality" in the existing education system."

इसके माने यह हैं मान्यवर, बुद्धि और विवेक की शिक्षा प्रणाली में आवश्यकता नहीं है। अभी वह कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि हम पांच छः जोन बनावेंगे और जोनवाइज परीक्षा होगी। एक सेन्ट्रल बोर्ड होगा। जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षाओं का भी जिक्र है। मैं एक अखबार पढ़ रहा था उसमें साउथ इंडिया में कोई स्टेट है उसने परीक्षा का सिस्टम एक के स्थान पर दो कर दिया है शायद सातवीं और दसवीं पर। इसके अलावा सारी परीक्षायें समाप्त कर दी हैं। इससे क्या हुआ? इससे और भी ज्यादा टेंशन बढ़ेगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा। डे टु डे हमारी क्या प्रगति होती है इसकी हमको कोई जानकारी नहीं रहेंगी। टीचर्स और टाट दोनों की ग्रेडिंग होती तब लाभ था। कितना सीखना है और कितना सिखाना है इसको लड़के भी जानत। डे टु डे मार्किंग होती तब तो यह मालूम होता।

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—]
होड़ लगी होती। हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐडमिनिस्ट्रेटर को २ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष कर दिया है। जब चर्चा आयेगी तब मैं इस पर बातचीत करूंगा। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये एक ही रास्ता है वह है आमूल परिवर्तन करने का रास्ता। हमको देखना होगा कि वर्तमान समय में हमारी कैसी शिक्षा होनी चाहिये। बोर्ड के हिस्से कर देने से दो आफिसर यहां और दो आफिसर वहां रहेंगे। इससे न तो राष्ट्र का अथवा प्रदेश का कोई लाभ होने वाला है। जैसा कि श्री राय ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट का आरम्भ हमारा ही बनाया हुआ है। आप भी उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार से कर देंगे। वहां के लड़के लड़कियों ने वहां की स्थिति ही बदल दी और उसी प्रकार से यहां के अध्यापक और लड़के मिल कर सभी कुछ बदल देंगे। इसीलिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको प्रवर समिति में भेज कर इस पर विचार किया जाय।

*श्री मोहन लाल कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी अपने, इस बिल को एक सीमित उद्देश्य से लाये थे। मैं पढ़कर उसको आपको सुनाता हूं, "ऐसी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के सम्बन्ध में जिसके कार्यकलापों में कुप्रबन्ध हो अथवा जिसका प्रबन्धाधिकरण जानबूझ कर या लगातार अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा हो, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने तथा उसके द्वारा विद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की व्यवस्था है। प्राधिकृत नियंत्रक प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जा सकता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा उसका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। इस नियंत्रक को नियुक्त करने के लिये आप बिल लाये हैं। मूल नियम की धारा १६ (घ) है जिसका यह संशोधन है। मुझको अपने प्रदेश के शिक्षा विभाग से बड़ी निराशा है और मुझको बहुत अधिक खेद है और मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि गत शिक्षा स्थायी समिति की बैठक हुई थी। उसमें बहुत सी बात कही गयीं। उसके अनुरूप कोई भी बात नहीं लाई गई। अगर उन बातों के ऊपर आपने विचार किया होता तो सम्भवतः आपको यह संशोधन नहीं लाना पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी वह संशोधन खंडों में आयेगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, ५, ६ संशोधन हैं। ये संशोधन तो उनके अपने ही संशोधन हैं और सरकारी संशोधन हैं। तो मेरा कहना यह है...

श्री उपाध्यक्ष—

तब आपका मामला कमजोर हो जायगा।

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग ने पूरे तौर पर विचार नहीं किया, केवल एक छोटी सी समस्या पर ही एक छोटा सा बिल ले आये। इससे मुझे बड़ी निराशा हुई है। मैं चाहता था कि शिक्षा मन्त्री जी एक अच्छा और पूरा बिल लाते, उसका हम स्वागत करते। वैसे यह बात काफी हद तक ठीक है कि प्रबन्ध समिति पर नियंत्रक नियुक्त किया जाता है, वह करना चाहिये। समय कितना हो यह अलग बात है। इसके साथ-साथ जो महत्वपूर्ण बात थी उस पर मन्त्री जी का ध्यान क्यों नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल प्रबन्ध में ही खराबी नहीं है। जो इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल विद्यालय हैं उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अनेक प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति के द्वारा बिना किसी कारण के निलम्बित किये जाते हैं और दो-दो साल हो गये उन्हें भत्ता तक नहीं मिलता। मन्त्री जी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि प्रधानाचार्यों की सर्विस को कैसे बचाया जाय। इसी तरह से अध्यापक भी बिना किसी कारण के निलम्बित कर दिये जाते हैं। उस ओर भी उनका ध्यान नहीं गया। केवल एक छोटी सी बात की ओर ही उनका ध्यान गया। मैं तो ऐसा समझता हूं कि मन्त्री जी से कहा गया होगा कि शिक्षा विभाग की कोई चीज आनी चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा और वह जल्दी से बनाकर ले आये। मैं समझता हूं कि हमारा शिक्षा विभाग हमारे शिक्षा जगत के साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है। मुझ दुख है कि हमारे ऐसे योग्य और अनुभवी मन्त्री के होते हुए भी इस प्रकार का टूटा-फूटा और अधूरा बिल लाया गया है। मन्त्री जी को चाहिए कि शिक्षा जगत में सम्पूर्ण सुधार के लिए एक अच्छा और सम्पूर्ण बिल लायें।

हमने अभी १३ दिसम्बर को तय किया था कि प्राइमरी शिक्षा पर बिल लाया जायगा। मैं समझता हूं कि प्राइमरी शिक्षा की दुर्गति हमसे ज्यादा शिक्षा मन्त्री जी जानते हैं। लेकिन उसके सुधार के लिये आप क्या लाये? कुछ नहीं लाये? जिला परिषद् के हाथ में छोड़ कर किस प्रकार उसकी दुर्गति हो रही है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उस पर कोई बिल लाते, लेकिन आप नहीं लाए। आप कहते हैं कि यह एक छोटा सा संशोधन लाए हैं बोर्ड में सुधार करने का, इसको पास कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री जी जानते हैं कि सन् १९२१ के ऐक्ट के मातहत हमारा बोर्ड चलता है। आप देखें कि बोर्ड कितने पुराने तरीके से चल रहा है। विश्वविद्यालय बने, उनके प्रतिनिधि तो आ गए। लेकिन आज हमारे हाई स्कूल्स और इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। फिर भी वह दो-चार ही चुनकर आते हैं। अब की बार तो खंडसारी से भी चुन कर चले आए। तो आज वही पुराना ढर्रा चल रहा है। हमारे मन्त्री जी बहुत वर्षों तक मान्यता समिति में और बोर्ड में रहे। मैं तो समझता था कि वह बोर्ड में आमूल चल परिवर्तन करने के लिये बिल लायेंगे। लेकिन वह एक जरा सा संशोधन लाए हैं। केवल समितियां बनाना चाहते हैं। केवल समितियों का एक प्रकार से विघटन किया जाय, यही है। वह बोर्ड का विघटन चाहते हैं या समिति का चाहते हैं, बोर्ड में एक चेयरमैन चाहते हैं या दो चाहते हैं। एक सेक्रेटरी चाहते हैं या दो चाहते हैं। यह समितियां कहां बनेंगी और कैसे बनेंगी, कोई पूरी योजना नहीं है। केवल एक छोटी सी बात लाकर हाउस से पास कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं शिक्षा मन्त्री जी को इस प्रकार अधूरा बिल नहीं लाना चाहिये था। उन्हें बोर्ड का आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिये। उसके चुनाव और गठन का आमूल परिवर्तन करना चाहिये। आज जिस प्रकार से बोर्ड गठित होता है उसका सम्बन्ध शिक्षा से नहीं है। वहां पर बहुत सारे सदस्य ऐसे चुनकर आते हैं जिनसे शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है। करीकुलम बनते हैं, किताबें बनती हैं और सब कुछ होता है परन्तु शिक्षा जगत से चुनकर लोग नहीं आते हैं। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे बोर्ड में परिवर्तन करें और नियम लायें और संशोधन १३ (१) उसी समय आना चाहिए जबकि सम्पूर्ण बोर्ड में परिवर्तन करने के लिये नियम लायें।

कुप्रबन्ध वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब कहीं पर डिवीजन हो जाता है या २ समितियां बन जाती हैं तो इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रिपोर्ट करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं और फिर डायरेक्टर रिपोर्ट करते हैं तब जाकर कहीं नियन्त्रक नियुक्त होता है। हमारा जो विधेयक है उसमें ५ साल की मांग की है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कौन सी व्यवस्था करेंगे जिसके द्वारा नियन्त्रक जल्दी नियुक्त होगा। दो-दो, ढाई-ढाई साल लग जाते हैं और लोग इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर काट कर थक जाते हैं तब भी नियन्त्रक नियुक्त नहीं होता है। मैं आपको मेरठ और दूसरे स्थानों में ऐसे विद्यालय बता सकता हूं जहां पर नियन्त्रक नहीं नियुक्त हुए हैं।

[श्री मोहन लाल कपूर]

मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें ताकि नियन्त्रक जल्दी नियुक्त हो सकें ५ साल का जो समय मांगा है उसमें हमें आपत्ति है।

नियन्त्रक नियुक्त करने के सम्बन्ध में मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे ऐसी व्यवस्था करें ताकि विद्यालय को समुचित प्रगति हो सके। नियन्त्रक को जल्दी से जल्दी हटा भी दिया जाये ताकि चुनी हुई समितियां प्रबन्ध करें। नियन्त्रक को नियुक्त करके उसे असीमित समय दे देना ५ साल १० साल ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर चुनी हुई समितियां क्या करेंगी? इसके द्वारा क्या आप निजी क्षेत्र में विद्यालयों को बन्द करना चाहते हैं और एक प्रकार से विद्यालयों का राज्यीकरण करना चाहते हैं। इसलिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो नियन्त्रक नियुक्त हों वे जल्दी ही नियुक्त हों और दूसरी बात यह है कि यह जो ५ साल का समय मांगा है वह बहुत अधिक समय है। इसीलिये मैंने मांग की है कि ५ साल का समय न हो बल्कि २ साल तक ही हो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संशोधन पर विचार व्यक्त करें, आप तो खंड पर ही बार-बार विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

आपने सामान्य चर्चा की बात कही है, इसीलिये मैं यह चाहता था। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता था कि नियन्त्रक की सलाह के लिये अध्यापक होने चाहियें। प्रबन्ध से समितियां खत्म हो जाती हैं। प्रबन्ध समिति में अध्यापक ही आते हैं। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति की मेज पर भेज दिया जाय ताकि वहां पर भेज कर इसको फिर से देख लिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं मणि जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, संशोधन विधेयक मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। इससे साफ जाहिर है कि शिक्षा प्रणाली में जो गम्भीर गड़बड़ियां हैं, जिनकी तरफ माननीय त्रिपाठी जी और माननीय कपूर जी ने ध्यान आकर्षित किया, उनको दूर करने का कुछ उपाय किया जाय, सिर्फ इस संशोधन विधेयक का यही मकसद है। पूरी शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी एजूकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक उनमें क्या-क्या कमियां हैं, उसके लिए विस्तार से विचार करने के लिए, सुझाव देने के लिए, आवश्यक कदम उठाने के लिए, जितने भी सुझाव श्री त्रिपाठी जी और कपूर जी ने दिये हैं, वे उचित हैं और इसलिए उनकी तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि, इस समय शिक्षा संस्थाएं हमारे प्रदेश में जिस तादाद से बढ़ रही हैं, जिस रफ्तार से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, उसकी हालत को देखा जाए तो उन पर नियन्त्रण रखने के लिए तथा सुधार करने के लिए २–३ बातों की तरफ मंत्री जी ने जो ध्यान दिलाया है, वह बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज संस्थाओं में—मैनेजमेंट कमेटी में झगड़े होते हैं उसको भी हमें विचार में रखना है। मैंने तो जहां तक देखा है—अलग-अलग मैनेजमेंट कमेटी के स्कूल में अलग-अलग क्लासेज लगे देखे हैं। कुछ लड़के एक मैनेजमेंट कमेटी के क्लास में बैठे हैं और कुछ विद्यार्थी दूसरी मैनेजमेंट कमेटी के क्लास में बैठे हैं। इसी तरह से कुछ टीचर्स किसी मैनेजमेंट कमेटी को मानते हैं और दूसरे अन्य किसी दूसरी मैनेजमेंट कमेटी को मानते हैं। इसका नतीजा यह है कि मैनेजमेंट कमेटीज की पालिसी का असर विद्यार्थियों की जेहन और उनके फ्यूचर पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ता है, जो उन संस्थाओं में पढ़ते हैं। अगर कहीं इस तरह का गम्भीर झगड़ा पहुंच जाए कि लाठी-डंडे की नौबत आ जाए और वहां की जितने भी आदमी और धन-दौलत है उसके लिए छीना झपटी मच जाए तो फिर उसका कन्ट्रोल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसमें ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए और उसके बाद उस संस्था को ठीक किया जाय। ज्यादा से ज्यादा समय के लिए उसके बीच में उस संस्था का इंतजाम दे दिया जाए, इसलिए यह बड़ी जरूरी है।

दूसरी तरफ रिकगनिशन जो हर संस्था की तरक्की की बुनियाद है, उस पर भी परी तरह ध्यान देना है। जब तक रिकगनिशन न हो, उसको भिन्न-भिन्न प्रकार के फण्ड नहीं मिल पाते हैं आज जब हजारों संस्थाएं हो गई हैं और मान्यता देने वाले इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, जिन्हें पूरे सूबे से मान्यता देने के लिए एप्लीकेशन्स मिलती हैं, एप्लीकेशंस की जांच होती है, उसमें बहुत समय लग जाता है। नतीजा यह होता है कि बहुत सी संस्थाएं सारी शर्तों को पूरा करते हुए भी समय पर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाती हैं। फिर होता यह है कि इन संस्थाओं को प्राइवेट तरीके से अपने यहां के विद्यार्थियों के फार्म भराने पड़ते है, फार्म कहीं ब्लैक से और कहीं इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के माध्यम से उन्हें लेने पड़ते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है कि उन्हें सही समय पर मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए उसका विघटन करके जगह-जगह पर समितियां बना दी जाएं, जिससे संस्थाओं को समय पर मान्यता मिल सके, तो यह सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना को मजबूत बनाने के दिशा में एक सही कदम होगा। प्रजातन्त्र की एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जहां तक हो सके पावर डिसेन्ट्रलाइज होकर नीचे की तरफ चले तो उसकी तरफ भी यह एक प्रगतिशील कदम होगा।

इम्तहान की जो प्रणाली रही है, उसके बारे में भी कई सालों से देखने में आ रहा है कि समय पर रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती। उसके लिए भी जरूरी हो जाता है। इम्तहान में बैठने वाले विद्यार्थियों की तादाद लाखों में हो गयी है और एग्जामिनेशन सेंटर्स की तादाद हजारों में है—मुझे याद है १९४० में जब मैंने इम्तहान दिया, बरेली में इम्तहान दिया था, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर और बरेली .....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बरेली हो आये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

बरेली से मेरा बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। आपको परेशानी की जरूरत नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

खाली ही नहीं आये हैं, पास करके आये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

लेकिन आप पास करने जा रहे हैं।

हम लोग बरेली इम्तहान देने आये थे, आज हर जिले में नहीं, हर स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर है। उस वक्त हजारों की तादाद में विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडियेट का इम्तहान देने वाले थे और आज लाखों की तादाद में हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के इम्तहान देने वाले हो गये। ऐसी दशा में एक बोर्ड का एक जगह से इंतजाम करना बड़ा मुश्किल और परेशानकुन मसला है। अगर उसको डिसेंट्रलाइज करके और जगह समितियां बनायी जायं ताकि इम्तहान का रिजल्ट समय से निकल सके, सारे विद्यार्थियों को असुविधा न हो, तो एक अच्छा सुझाव इस संशोधन विधेयक के जरिये से सदन के सामने आया है। माननीय त्रिपाठी ने कहा कि प्रवर समिति में भेजा जाय। प्रवर समिति में इसको भेजने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली है प्राइमरी

[श्री रियासत हुसैन]--

स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक, उसमें कुछ ऐसा मूल सुधार करने की जरूरत है जिसमें आज के विद्यार्थियों की डिसिप्लिन और स्टैन्डर्ड उठ सकें और शिक्षा को कामर्शल लाइन पर जाने से बचाया जा सके। आज जो हालत हो गयी है उसके लिये जिस प्रकार माननीय त्रिपाठी ने कहा, कोठारी कमीशन की सिफारिशात हैं, दूसरे लोगों की सिफारिशात हैं, इन सारी चीजों को आधार बना कर शिक्षा के अन्दर मूल परिवर्तन करने के लिए प्राइमरी स्टेज से लेकर यूनिवर्सिटी स्टेज तक कदम उठाएं ताकि पढ़ने के बाद विद्यार्थी डिसिप्लिन्ड हो कर निकले, उसका भविष्य साफ हो, कि उसका कहां जा कर ठिकाना लगेगा, कहीं सर्विस मिलेगी या टेक्निकल लाइन में जायगा, उसका फ्युचर महफूज रहे। इस तरह माननीय मंत्री ध्यान दें। जितनी जल्दी हो इस किस्म का कोई कदम उठायें जिससे दूसरे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर विचार करके उसको परिवर्तित करके ऐसे सांचे में ढाला जा सके और यहां का विद्यार्थी पढ़ने के बाद डिसिप्लिन्ड होकर निकले। यह समझ सके कि वह इस प्रदेश की सम्पत्ति है, और उसको कुछ करना है जिससे इस प्रदेश और देश का कांस्ट्रक्शन हो सके। यह बात कह कर मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री इंद्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल) —

अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं। इस विधेयक पर पहले हमारे दो शिक्षा शास्त्री बोल चुके हैं। हमारे मंत्री महोदय भी शिक्षा के शास्त्री हैं। माननीय मुख्य मंत्री भी बड़े विद्वान है। लेकिन उत्तर प्रदेश या देश की शिक्षा प्रणाली जो हमारी आंखों के सामने आती है तो हमें बड़ा दुःख होता है। आज हम देखें कि शिक्षा के अन्दर गांवों से लेकर शहरों तक शिक्षा में कितना अन्तर है। जो सरकार अपने को समाजवादी कहती है, उस सरकार ने चपरासी के बच्चे में और एक बहुत बड़े अफसर के बच्चे में पहले शिक्षा से ही अन्तर है। चपरासी के लड़के को चपरासी होना है और आई० ए० एस० के लड़के को आई० ए० एस० होना है। मिनिस्टर के लड़के को मिनिस्टर होना है और एम० एल० ए० के लड़के को एम० एल० ए० होना है यह हमारे देश का समाजवाद है और यही उद्देश्य हमारे मुल्क में शिक्षा का है। अगर इस व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा मंत्री जी कोई विधेयक लाये होते तो हम उसका स्वागत करते और उसे स्वीकार करते। लेकिन जिस तरह का यह विधेयक लाया गया है यह उसी तरह का रवैया है जैसे यहिआ खां ने पूर्वी बंगाल में किया था। इससे इस सदन में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। जिला परिषद् के अध्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो उनको निकाला गया और उनके स्थान पर सरकार द्वारा अध्यक्ष चुने जायेंगे, इस तरह का एक बिल आ रहा है। यही बात इस शिक्षा विधेयक में हो रही है। यह सरकार माध्यमिक शिक्षा को नेशनलाइज कर दे। आजकल सरकार का कानून केवल इस बात के लिए है कि जिस स्कूल में सरकार की पार्टी के लोग न हों, जहां प्रधान अध्यापक दूसरे दल का हो वहां विद्यालय निरीक्षक के जरिये सरकार यह करने जा रही है कि वहां किसी तरह से मैनेजरों को हटा दिया जाय। इस प्रकार जो संस्था जनता द्वारा बनाई गई है उस पर सरकार अपना अधिपत्य जमाने के लिए कानून बनाने जा रही है। अगर सरकार यह करती तो मैं उसका समर्थन करता कि जो संस्था बनी हुई है वह रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर होगी। अगर एक मैनेजर खराब काम करता है तो दूसरे साल चुनाव करवा कर दूसरा मैनेजर आ जाय लेकिन सरकार अगर ५ साल तक कोई चुनाव न करावे और अपना आदमी मैनेजर बना दे तो यह गलत तरीका होगा। इस बिल को सरकार को प्रवर समिति को भेजना चाहिए ताकि वहां पर वाद-विवाद हो और समझ बूझ कर दूसरा बिल लाया जाय।

शिक्षा मंत्री ने कल कहा कि वह इसका विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो यह बहुत सुन्दर बात है। आप कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण रीजनल बेसिस पर करेंगे। मेरा निवेदन है कि हर स्कूल का विकेन्द्रीकरण कर दीजिए। प्रधान अध्यापक को ही उसका एजामिनर बना दीजिए

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया।

और वह जिसको पास कर दे उसको पास कर दिया जाय । अगर रीजनल बेसिस पर करेंगे तो ५,७ चेयरमैन होंगे । सरकार का खर्चा बढ़ेगा और इससे समस्या का हल नहीं होगा । अगर नवीं तक कोई प्रधान अध्यापक इम्तहान ल सकता है तो सरकार द्वारा फिर दसवीं का इम्तहान लेने की क्या आवश्यकता है, वही दसवीं का भी इम्तहान ले सकता है । आप प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक को इम्तहान लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दें तो मैं समझता हूं कि तब वास्तविक डिसेन्ट्रालाइजेशन हो जायेगा । इंग्लैन्ड में आप देख लीजिये, वहां पर उन्होंने अपने को समाजवादी नहीं कहा है वे कन्जर्वेटिव पार्टी के लोग हैं किन्तु वहां पर एक पियन और एक क्वीन दोनों के लड़कों के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा संस्थायें हैं। हमारे यहां तो माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री दोनों ही शिक्षा के शास्त्री हैं किन्तु यहां पर यह है कि एक तरफ तो दून स्कूल है और दूसरी तरफ गांवों में वे स्कूल हैं जहां पर कि लड़कों के बैठने तक के लिए कोई वस्तु नहीं है । इसलिए आप अपने को समाजवादी कहते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं । सभी बच्चों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए चाहे वह स्कूल हो या चाहे कोई फैक्टरी हो । जब आप ऐसा करेंगे तो समाजवाद अपने आप ही आ जायेगा । आप इसमें हमारा यानी अन्य पार्टियों का सहयोग भी चाहते हैं तो जब आप ऐसा कर देंगे तो अवश्य ही आपको हमारा योगदान मिलेगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस संशोधन को मान लीजिए तभी शिक्षा के जगत में एक बड़ी क्रांति आ जायेगी और तभी इस प्रदेश का नाम ऊंचा होगा । आप सब जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश उसकी संस्कृति का केन्द्र रहा है । आज जो भारतीय शिक्षा पद्धति है वह बिल्कुल नाकाम हो गई है इस बात को सभी जानते हैं । बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों और किसी की भी रिपोर्ट को आप उठाकर देखेंगे कि सभी ने इसे कन्डेम किया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को प्रवर समिति में ले जाकर शिक्षा के सम्बन्ध में इन सारी बातों पर विचार करेंगे और तब एक बढ़िया बिल हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और तभी हम आपका साथ दे सकेंगे ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल लाया गया है उसके लाने का एक ही उद्देश्य इस बिल के पढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह अनुभव किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इन्टरमीडिएट स्कूल्स हैं उन सभी में रोग व्याप्त हो रहा है और वह रोग है अव्यवस्था, कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार, जिसके निदान के लिए यह बिल लाया गया है । इस बात से कोई भी असहमति प्रकट नहीं कर सकता कि प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं उन सब में कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार और मनमानी बढ़ रही है । परन्तु उसका निदान इस बिल के द्वारा हो जायेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि किसी समस्या का हल यह सोच करके कि वहां कुछ सरकारी अधिकारी बिठा दिये जायं और उनसे समस्या का हल हो सके तो यह शायद उनकी गलतफहमी होगी क्योंकि पिछले बीसों साल के इतिहास में हमने देखा है कि जिस संस्था में हमने सरकारी कर्मचारियों को अधिकारी बिठाकर यह आशा की कि उसका प्रबन्ध ठीक हो जायेगा किन्तु उसका विपरीत ही परिणाम हुआ । आज जिस किसी भी संस्था को आप देख लीजिए, किसी फैक्टरी को देख लीजिये, या कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को ही देख लीजिए, उनका यही हाल हुआ है । अभी-अभी जिला परिषदों को जिलाधीशों के मातहत कर दिया गया है उनमें आप जाकर देखिए तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पहले जो जन प्रतिनिधियों के बीच में इन्तजाम हुआ करता था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर फैला हुआ है और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पुराने खन्ड को पहले देख लें जिसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रबन्धाधिकरण उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन न करें, तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद.....।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]—

धारा ४ में है कि "यदि उपधारा (३) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि (क) मान्यता प्राप्त संस्था के कार्यकलापों में कुप्रबन्ध है या (ख) संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने कर्त्तव्य पालन में जानबूझ कर या लगातार असफल रहा है या (ग) संस्था का संचालन प्रशासन योजना के अनुसार न किया जाकर अन्य प्रकार से किया जा रहा है या (घ) प्रशासन योजना का प्रारूप दिये गये समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है"...इन चार चीजों के मातहत अगर स्कूल का इन्तजाम नहीं चल रहा है तो आपका मंतव्य है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठा दें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश का ऐसा कौन सा विद्यालय है जहां इन चार बातों की कमी नहीं है। आज क्या इंसपेक्टर आफ स्कूल्स अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं? क्या मैनेजर्स अपने स्कूलों में बच्चों को नियमों के विरुद्ध अप्वाइंट नहीं करते, क्या स्कूलों में सिफारिशों के आधार पर इन्तजाम नहीं चल रहा है? आप जाकर देखिये।

मैं अपने जिले का उदाहरण देता हूं। गोंडा में इस समय ४ विद्यालय ऐडमिनिस्ट्रेटर के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं। कन्हैया-लाल इंटर कालिज के बारे में शिक्षा मंत्री जी को ख्याल होगा कि वहां कितना भ्रष्टाचार है। १७ चपरासी अप्वाइंट किये गये जबकि १३ चपरासी ऐक्चुअली काम कर रहे थे और ४ चपरासी हर माह निकाले जाते थे। ९-९ हजार वजीफा दिया गया, लेकिन लोगों को मिला नहीं, बाद में पेमेंट किया। सारी मालूमात होने के बाद भी आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। आपने जो ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया तो क्या उससे कोई सुधार हो सका? सुधार नहीं हुआ बल्कि हमारे जिले में ठा० सुजान सिंह, एम०एल० ए० ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इतना ही नहीं, अपने जिले में ४ ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, साल डेढ़ साल से नियुक्त हैं और फैसला किया जा रहा है कि कौन सी कमेटी जायज है और कौनसी नाजायज है। एक एक विद्यालय में दो दो कमेटियां बनकर बैठ गयीं हैं। ऐसी स्थिति में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने से क्या नतीजा हुआ? आज हालत यह है कि न तो इंसपेक्टर आफ स्कूल कुछ करता है, न डायरेक्टर, और न सरकार कर पाती है और अन्ततोगत्वा ऐडमिनिस्ट्रेटर तीन साल कुर्सीपुर में और फैजपुर में सब जगह बने हुए हैं। खूब भ्रष्टाचारिता होती है, नियुक्तियां होती हैं। मैं तो यही समझता हूं कि इस प्रकार का एक बिल लाकर के आप एक बात खाली पैदा करना चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में स्कूल में जो स्कूल खोलने की हमारी भावना है उसको आप ठेस मारेंगे। वेतन भुगतान बिल में भी ऐसे कानून बने हैं कि मैनजर और मैनेजिंग कमेटी जो स्कूल चलाते हैं तो वह भयभीत होकर छोड़ कर भाग जाय। आज देश और प्रदेश में आर्थिक संकट है। क्या आप के पास इतने फन्ड्स हैं कि सरकार हर गांव में हर शहर में स्कूल चला पायेगी? नहीं चला सकती। अगर यह सोच कर बिल ला रहे हैं तो यह भूल है। जिस तरह से इस बिल के द्वारा सरकारी अधिकारियों के शिकंजे में सारी चीजें जा रही हैं और स्कूल और विद्यालय तो बड़ी पवित्र संस्था है। बड़े-बड़े महापुरुषों ने उन्हें शुरू किया। बनारस विश्वविद्यालय महामना मालवीय जी ने अपने खून-पसीने की कमाई से उसे तैयार किया है। अगर इस तरह से छूट दे दी गई तो सारे विद्यालय सरकारी अधिकारियों के शिकंजे में फंस कर काल कवलित हो जायेंगे। अगर इसको सही रूप में लाने की बात सोचते हैं तो पहले अपने दिमाग को साफ करिये। शिक्षा का फल सरकारी नौकरी नहीं है, फल तो नैतिक स्तर है। आज जिस तरह से नैतिक स्तर अपने देश और प्रदेश का गिर रहा है, जिस तरह से लोग बेइमान होते जा रहे हैं, सच्ची राष्ट्रीयता और सच्ची भावना देश के प्रति जो होनी चाहिए वह निकलती जा रही है, उसको दूर करने की जरूरत है। उसके लिए आप को योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आदमी ईमानदार होगा, अच्छा होगा। फैक्टरियों के निर्माण की नहीं, आज तो आदमी के निर्माण की बात होनी चाहिये। अगर अच्छे आदमी निर्मित नहीं होते तो कोई भी संस्था ठीक चल नहीं सकती।

मूल हल यहां होना चाहिये। आज शिक्षा के बिल में संशोधन ला करके कि आप दुनिया को भले ही दिखा दीजिये आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि शिक्षा के ऊपर

सरकारी प्रभुत्व बना रहे, लेकिन इससे हल नहीं निकलेगा। यह आप के लिये काल बन जायेगा। यह आप इनको वरदान देकर अपना काल बुला रहे हैं। इस तरह का बिल नहीं लाना चाहिये। अगर आप को लाना है तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन कीजिये। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अध्यापकों के जीवन का सुधार कर सकेंगे। इस तरह से बिल ला करके और मैनेजिंग कमेटी के गले में शिकन्जा लगा करके आप सुधार नहीं कर सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप गांधी जी के पुजारी हैं। आप अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ चुके हैं। जो अंग्रेजों के खून में बात थी वही इन अफसरों के खून में भी है। वही शक्ल इन अफसरों की भी है। आप उनके हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि पाठशालायें खोलिये और उनके माध्यम से भारत के जीवन को बदलिये। लेकिन इन अफसरों के द्वारा स्कूलों को चला कर उनका जीवन नहीं बदल सकते हैं। अफसरों के लड़के अफसर होंगे और मिनिस्टरों के लड़के मिनिस्टर होंगे। यही क्रम चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिये आप बिल को अविलम्ब वापस ले लीजिये।

इसमें क्या शान है। आप ऐसी पार्टी में, जो देश के निर्माण कार्य में लगी हुई है और समाजवाद के बड़े-बड़े नारे लगा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से समाजवाद लायेंगे ? आप इन स्कूलों को इन अफसरों के चंगुल से छुड़ाइये। समाज सेवा के आधार पर जो समाज सेवी हों वे स्कूलों को चलायें तो इस तरह से सच्चे माने में देश का निर्माण होगा। कुछ झगड़े होते हैं उनके निपटाने की बात है। आपने अपने इंस्पेक्टर्स और डायरेक्टर महोदय को काफी पावर्स दे रखी हैं। अगर कोई झगड़ा है तो कोर्ट में जायं और वहां से उनका निबटारा हो सकता है। यह न करके आप चाहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, शिक्षा के ऊपर आप का प्रभुत्व होना चाहिये। सरकार का प्रभुत्व हर चीज पर नहीं होना चाहिये। इसको आप आज नहीं तो कल अनुभव करेंगे। सरकार होटल चलाये, स्कूल चलाये, फल तथा फूलों को बेचे, गमले बेचे। इसके हम खिलाफ हैं। शिक्षा मंत्री जी गांधी जी के चेले हैं इसलिये वे इस बिल को अविलम्ब वापस लें। मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक में संशोधन लाया गया है और जिसको श्री मोहनलाल कपूर ने प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है उससे मैं समझता हूं कि किसी की असहमति नहीं हो सकती है। भावना यह है कि जितने इंटरमीडियेट कालेजेज हैं उनमें प्रबंध समितियों के कुप्रबन्ध के कारण, उनके पक्षपात के कारण अध्यापक त्रस्त हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी ठीक नहीं चल रही है और ऐसी कार्य-वाहियां हो रही हैं जिनका यहां वर्णन करना भी कठिन है। उनकी भावना सराहनीय है लेकिन हमें एक सन्देह है जैसा कि माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हम खाई से निकल कर खड्ड में गिर जायं। जो प्रबन्ध समितियां आज हैं वे बहुत सी जगहें दुकानें बन गई हैं, पैसा कमाने तथा पक्षपात का अड्डा बन गई हैं। उन्होंने अध्यापकों के प्रति अत्याचार करने की ठान ली है और जिला निरीक्षक हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुये हैं। मैं नहीं समझता कि जो अधिकार दिये गये हैं उनका वे प्रयोग कर पा रहे हैं। कम से कम देहरादून के बारे में मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अध्यापकों के प्रति अन्याय हुआ है और बहुत से अध्यापक निकाल दिये गये हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दूं कि देहरादून में एक अध्यापक की माता की मृत्यु हुई। सुबह ८ बजे उसकी मृत्यु हुई। यह हिन्दू नेशनल इन्टर कालेज की बात है। आनन्दस्वरूप गुप्ता की माता की मृत्यु सुबह ८ बजे हुई और उसके बाद ही कालेज के अन्दर नोटिस निकाल दिया कि आज कालेज बन्द रहेगा। और नोटिस निकालने के एक घंटे बाद ही इस अध्यापक को निकालने का नोटिस भी उनके हाथ में दे दिया। उनको नोटिस दो दिन

[श्री नित्यानन्द स्वामी]—

बाद भी दिया जा सकता था। कोई मानवीय दृष्टिकोण भी तो होता है। कोई फासला रखा जा सकता था और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मैंने देखा है कि रजिस्टर के अन्दर से पन्ने गायब हो जाते हैं। फाइल गायब कर दी जाती हैं। इतना गबन किसी सरकारी महकमे में नहीं होता होगा जितना इन कालेजों के अन्दर हो रहा है। हजारों और लाखों रुपये का गबन इन कालेज और स्कूलों के अन्दर होता है। मैनेजमेंट कमेटी के अन्दर कैसे बटवारा होता है यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं इस बात का क्या सबूत है कि कोई ऐडमिनिस्ट्रेटर वहां पर जाकर इन खराबियों को दूर कर देगा ? यह बीमारी का इलाज तो जरूर है मगर कहीं बीमारी का इलाज करने के बजाय बढ़ न जाय। साथ ही ऐसा न हो जाय कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटर जो आप कायम करने जा रहे हैं वहां जाकर तानाशाह बनकर काम न करने लगे। वहां के अध्यापकों से मिलकर, अध्यापकों की समिति बनाकर, माध्यमिक संघ के प्रतिनिधियों से मिलकर अगर इस तरह की कठिनाइयों का हल निकाला जाय तो अधिक अच्छा होगा। उनकी समिति बनी हुई है या नये तरीके से बनाकर, अध्यापकों के साथ बैठकर ये मैनेजमेंट की समस्यायें हल हो सकती हैं। केवल यह नहीं हो सकता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर बढ़ा देने से ही उसका हल निकल सकता है। सब समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया जाय तो वह हल निकाल सकता है।

इसके अन्दर ५ साल तक की अवधि बढ़ाई गई है। यह ५ साल का अवसर इतना लम्बा है। आप ऐसी सीमा निश्चित कर दें कि तब तक यदि कोई हल न निकले तो ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो सकता है और तभी उससे लाभ हो सकता है। अगर वह हल न हो तो वह ऐडमिनिस्ट्रेटर अपने ढंग से फिर काम करे। इस तरह से वेस्टेड इन्टरेस्ट कायम नहीं होगा और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर से भी लोग बच जायंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ब्यूरोक्रेसी ही यहां पर हुकूमत करती है। यहां पर शिक्षा मन्त्री, रामजी लाल सहायक काम नहीं करते हैं। बल्कि ब्यूरोक्रेसी ही काम करती है। वही सब शासन कर रही है। इसलिये जितना भी आज मन्त्रिमंडल का काम हो रहा है वह सब यही अफसर कर रहे हैं। उनके पास जाइये तो बड़ी मीठी जबान से बोलते हैं। उनको टेलीफोन कर दीजिये तो बहुत सुन्दर और मीठा जवाब देते हैं कि अभी यह काम किया तो इन सब बातों को हम जानते हैं। मैनेजमेंट के हाथ से, निकल गया और अध्यापकों के हाथ से निकल गया तो यह बीच में ऐडमिनिस्ट्रेटर आकर बैठ गया। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। आप ऐडमिनिस्ट्रेटर को लायें लेकिन जब वहां पर इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो जाय जो असहनीय हो जाय तब आप लाकर उसको रखें। यह नहीं होना चाहिये कि पुलिस वालों की तरह से किसी को देखा यह बदमाश है तो उसको पकड़कर १०९ में बन्द कर दिया। इस हद तक जब बदइन्तजामी हो जाय तो उस समय कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। डी० आई० ओ० पर अगर आप छोड़ते हैं तो वह किस आधार पर निश्चय करेगा। आप इन सब बातों को पहले कम से कम तय करें कि जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तब उसके अन्दर दखल देंगे और तब ऐडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह नया कदम शिक्षा मंत्री जी ने उठाया है उसकी भावना की मैं सराहना करता हूं मैंने यह जो एक दो सुझाव इसलिए दिये हैं इनका समावेश कर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि जिस काम को मन्त्री जी करना चाहते हैं वह काम उचित प्रकार से हो पायेगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी —

मान्यवर, दोनों पक्षों ने मेरे प्रस्ताव का भावनात्मक समर्थन किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने जो यह संशोधन रखा है और जिसमें समय बढ़ा कर ५ वर्ष कर दिया गया है, जैसा कि मैंने पहलेभी कहा था यह उस मर्ज की दवा नहीं है। ऐसा विश्वास मंत्री जी को भी है। और खंडों में भी जो संशोधन रखे गये हैं, वह भी समस्या का हल नहीं है। इसलिये मैं पूर्णतया इस मत का हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। म यह मानता

हूं कि मंत्री जी की नीयत इसको लाने में सही है और हम भी उनको इसमें सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन यह अच्छा होता कि हम शांति से बैठकर इस सम्पूर्ण कानून पर विचार करते और समिति का जो प्रतिवेदन हो उसको यह हाउस स्वीकार करता। जब जब कोई बात हमारे सामने आयी, उसको लेकर संशोधन करने से, न तो सदन के समय का ही सदुपयोग हो पाता है और न लक्ष्य की ही प्राप्ति होती है। एक दो साल तो ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति ही नहीं होती और होती है तो समय बीत जाता है। और शासन को साल-साल परेशानी होती है लेकिन जो उन्होंने कठिनाई की दवा प्रस्तावित की है, वह है नहीं। संस्थाओं को चलाने की जो उनकी मंशा है, वह ठीक है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में विचार करने का मेरा प्रस्ताव मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस विधेयक पर कई सदस्यों और शिक्षाविदों ने अपने विचार प्रकट किये। एक बात सभी मानते हैं कि जो विधेयक मेरे द्वारा पेश किया गया है, वह उपयुक्त है। यह बात भी सभी मानते हैं कि विद्यालयों में कुप्रबन्ध है, झगड़े भी हैं और गबन भी है, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे सामने अपने सुझाव रखे हैं।

एक बात सभी साथियों ने कही कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। यह कोई नयी बात नहीं है। इससे पहले भी कई कमीशन बिठाये गये, बड़े-बड़े विद्वानों ने इस पर विचार किया। उसको हमने देखा है, पढ़ा है, लेकिन यह एक आसान मसला नहीं है कि एक दम से आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाय। हम और माननीय दीपनारायण जी सब इसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित होकर आये हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। बहुत बार मैं इस बात को कह भी चुका हूं कि आज के समय के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार हमें परिवर्तन करना होगा। अब कैसे करें, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। यह भी ठीक है कि इस मामले पर विचार करते हुए बहुत समय हो गया है लेकिन यह मसला एक बहुत बड़ा मसला है। इसका सम्बन्ध झोपड़ी से लेकर महलों तक और बड़ों से लेकर छोटों तक है। यह कारखाने नहीं हैं जहां कोई सामान बनता हो, यहां तो इन्सान बनाया जाता है। यह प्रश्न जितना विशाल और विस्तृत है उतना ही जटिल और कठिन भी है। बहुत से ऐसे विचार हैं जो हमको कुछ करने में घसीट लेते हैं, पीछे करने की बात सोचते हैं। फिर भी मुझे विश्वास है इस बात का कि यदि हमारे माननीय सदस्य और यह सदन सहायता करेगा इस मामले में और लिख कर भी मुझे भेजेगा तो सम्भवतः मैं शीघ्र ही शिक्षा में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य करूंगा।

प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये। भाई कपूर साहब ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा। वह हमारी शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं, वहां भी कहा था। मैं स्वयं मानता हूं कि इसकी अच्छी दशा नहीं है। हमारे भाई इन्द्रमणि जी ने कहा कि प्रधानाचार्यों को दे दीजिये। तो भीड़ देख कर जरूर यह बात समझ में आती है कि देना पड़ेगा। बच्चों की तादाद बढ़ रही है, शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है। उस वक्त देखेंगे इस बात को। लेकिन आज यह जरूर है कि कुछ न कुछ हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि हम इस दिशा में क्या-क्या करें। हम सोच रहे थे, दूसरे सूबों में भी गये। वहां भी हमने कुछ देखभाल की। उन्होंने कुछ अदल बदल किया है। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने आया कि जिस बात को लेकर हमने स्वायत्त संस्थाओं को दिया था, जिसमें जिला परिषद् और नगरपालिकायें हैं, उनसे लेकर अगर हम व्यवस्था करें तो एक सज्जन ने कहा कि यह कहना कि अधिकारियों के द्वारा सब काम ठीक हो जायगा यह जरूर गलत है। तो फिर अगर हम प्रान्तीयकरण कर दें तो यह बात भी आ जाती है। कपूर साहब सुन लें। एक समिति बना दी गयी है और उससे निवेदन किया गया है कि एक महीने में वह अपना निर्णय दें कि हम प्राइमरीज का सुदृढ़ीकरण कैसे कर सकते हैं। तो इतनी मोहलत दे दीजिये, वह रिपोर्ट आ जाय।

श्री मोहन लाल कपूर—

इजाजत है।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्री मणि जी ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। सही बात है। हजारों स्कूल जनता द्वारा चलाये जाते हैं। सरकार भी चलाती है। एक बड़ा मसला है। आप चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पूरा कानून ही हम बदलें। ठीक है, आप की राय से मैं सहमत हूं न केवल कानून ही बल्कि शिक्षा संहिता, जो कि बहुत पुरानी बनी हुई है उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। लेकिन समय तो कुछ न कुछ देंगे। आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिये। उसे हम बदलेंगे। लेकिन इसे जल्दी में तो नहीं कहना चाहिये। यह तो परसाल का है। ७१ का ही दिया हुआ है। अनेकों अर्जियां हमारे पास आयी हैं और रोज आती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमको अलग से एक सेल बनानी पड़ेगी जो इन स्कूलों की जांच पड़ताल करती रहे। हमारे पास आदमी नहीं हैं। इनेगिने आदमी हैं, उन्हीं को लगाया जाता है। वह तो होगा लेकिन आज जो छोटा सा विधेयक आपके सामने है जिसमें दो, तीन संशोधन हैं, इसको आप समिति के पास क्यों भेजते हैं ? बड़ी जल्दी है इसमें कुछ करने की ? तो कृपा कर के इसमें आप सहयोग दें। इसे प्रवर समिति को भेज कर और समय न लें। चीजें सब आप के सामने हैं और आप मान रहे हैं। जब बड़ा विधेयक आयेगा तो वह जरूर प्रवर समिति को जायेगा और हम अपने अध्यापकों से भी सलाह लेंगे।

आपने एक प्वाइंट उठाया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। है तो लेकिन यह जरूर है कि कम है। जब हम उसे बदलेंगे तो आप देखेंगे कि उनका समावेश होगा। मैं ७ साल तक मेम्बर-बोर्ड रहा हूं। मैंने जरूर इस बात की कोशिश की कि हमारे अध्यापक उसमें ज्यादा रहें और दूसरे लोग कम आयें। लेकिन आज वह सवाल नहीं है। आपने सामान्य रूप से चर्चा की उसी के जवाब में मुझे कहना पड़ रहा है। हमारे मित्र कपूर साहब ने बड़ी होशियारी से एक चीज कही, उन्होंने कहा कि बढ़ते हुये प्रधानाध्यापकों के लिये कुछ नहीं किया जाता, उन का मतलब यह था कि इन सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया जाय। यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है और इस पर हम विचार कर रहे हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हैं विधि की और हम उस विषय में काफी प्रयत्नशील हैं कि कुछ करें।

श्री मोहन लाल कपूर—

मेरा निवेदन है कि जब तक उनका प्रान्तीयकरण न करें कम से कम उनका निलम्बन तो रोक दें। आप इतना ही कर दें कि वह डायरेक्टर की अनुमति लेकर ही ऐसा करें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

आप शायद जानते होंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक को यह अधिकार है कि वह किसी नये टीचर को निकालने का अप्रूवल दे, यह शिक्षा अधिकारी के हाथ में है, अगर कोई चीज नहीं है तो उस को भी हम दिखा लेंगे और उस की व्यवस्था करेंगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

सस्पेंशन की बात नहीं है, उसको आप देख लें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मुझे आश्चर्य है कि इस छोटे से बिल पर आप इतना जोर दे रहे हैं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति को भेजें। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप मेरी मदद करें। मैं श्री रियासत साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने परीक्षाफल की बात कही और विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया। मैं विकेन्द्रीकरण की बात को नहीं कहता लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा

कि एक संशोधन मैं इसी विधेयक में लाया हूं आशा है जिसे आप अवश्य मंजूर करेंगे और वह उस दिशा में हमारा एक कदम होगा। हम ने पहले भी इसकी कोशिश की थी लेकिन बाद में वह न हो सका ओर अब फिर उसको लाने की बात है। लगभग दस लाख विद्यार्थी इस साल परीछा में बैठ रहे हैं, कापियां रखने की भी जगह नहीं हैं। मैं ने आपके संशोधन पर जिस पर आप का बहुत जोर हो रहा है उसका उत्तर दिया। आप इसको मानकर जो प्रावि-धान ह। कर रहे हैं उस की स्विकृति दें तो हमें बड़ा सहारा मिल जायेगा। वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उसको हम बांटना चाहते हैं अभी तक अधिनियम में केवल १-१ को परीक्षा समिति, मान्यता समिति का निर्माण बोर्ड कर सकता है, उसके लिये हम एक संशोधन लाये हैं ताकि इस दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ सकें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप बोर्ड का विकेन्द्रीकरण क्यों नही करते ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस विधेयक के द्वारा वह समितियां बनाई जायंगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

भाषण के समय क्या प्वाइंट आफ आर्डर हो सकता है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे माननीय सदस्य मेहरबानी करके हमारी मदद करें तो हमें इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने का एक मौका और इजाजत मिल जायगी क्योंकि कार्य-भार अब काफी हो गया है। आप जो विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं तो उसकी विधि बड़ी लम्बी है। हम तो इसीलिये कार्यभार को कम करने की आप से इजाजत मांग रहे हैं, वह एक देरतलब बात है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि प्रवर समिति की बात पर जोर न देकर जल्दी से इस बिल को पास कर दें।

एक यह ५ वर्ष की बड़ी गलतफहमी है, पहले ऐक्ट में भी नियंत्रण की बात है कि हम उसको रखें लेकिन उसमें उसकी अवधि नहीं थी, इसमें ५ वर्ष की बात जरूर आई है लेकिन हम उसे ५ साल तक रखे रहेंगे ऐसी बात इसमें नहीं है।

आज कोई नियंत्रक अगर शासन ने नियुक्त किया और अगर संस्था वाले यह चाहते हैं कि विद्यालय की दशा तीन महीने में ही अच्छी हो गयी है और वहां का प्रबन्ध ठीक हो गया है तो हम उसे वापस ले लेते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने कहीं पर देखा कि कहीं पर बहुत झगड़ा वगैरह है तो अपने जिलाधिकारियों से मदद भी ली और जब वहां का सब काम ठीक हो गया तो उनको वापस भी ले लिया। इसी तरह से अगर किसी संस्था की मैनेजिंग कमेटी ठीक से काम कर रही है तो अधिकारियों को तुरन्त वापस ले लेते हैं। उनके पास वैसे ही बहुत काम रहता है। भाई नित्यानन्द जी ने भी कहा है कि वे वक्त नहीं दे पाते हैं। उनका कहना सही है।

यहां पर जो ५ वर्ष की गलतफहमी हो रही है वह तो इस लिये रखी थी कि कहीं-कहीं पर कुछ ऐसे मसले हुए हैं कि वे ३-४ साल में तय नहीं हो पाये। वे कोर्ट में चले गये और इन्जन्कशन ले आये तो ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सके और टाइम बढ़ गया। लेकिन अगर ६ महीने में भी स्थिति ठीक हो जाती है या एक वर्ष में ठीक हो जाती है तो वह उसी समय हटा लिया जाता है। अगर आपने कानून में इजाजत दे रखी है तो यह उस समय में कभी भी हो सकता है।

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]---

यह बात जरूर है और हमारे दिमाग में भी है कि नियंत्रक नियुक्त करने में बहुत वक्त लग जाता है । इसकी नियुक्ति का एक बहुत लम्बा तरीका है । हम उसके लिये कोई रास्ता निकालने पर विचार कर रहे हैं । हम उस बारे में भी संशोधन लायेंगे । हमें यह भी शिकायतें मिली हैं कि वहां पर बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, तो उस बारे में भी हम कानून के जरिये कोई रास्ता निकालेंगे ।

मान्यताओं के बारे में कहा गया कि नियम बड़ी रुकावट डालते हैं लेकिन अगर नियमों में ढील कर दी जाय तो शिक्षा संस्थाओं का कैसे काम चले । आज शिक्षा संस्थायें बढ़ती चली जा रही हैं तो कुछ नियम उनके लिये बने हुए हैं । अगर कहीं पर गड़बड़ी होती है तो नियंत्रक रखा जाता है और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो फिर एक और संशोधन ले आयेंगे ।

सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीयकरण की बात कही कि सरकार इसे कर रही है । मैं स्वयं इस विचार का हूं कि जो पब्लिक इनिशियेटिव है हमें उसकी हर क्षेत्र में आवश्यकता है । हर काम हम राष्ट्रीयकरण द्वारा नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैंने कभी अपनी जबान में नहीं कहा कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । हमारी बहुत अच्छी-अच्छी संस्थायें हैं जिनको देश की जनता ने बनाया है और जिनसे हमें बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है जैसे नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन और बहुत से विश्वविद्यालय भी हैं तो शिक्षा क्षेत्र में हमें जनता का और समाज का इतना सहयोग मिला है । तो हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम राष्ट्रीयकरण करें या सरकारीकरण करें । यह आप जरूर इजाजत देंगे कि कुछ हम कानूनों से बंधे । उसी की इजाजत मैं आपसे मांग रहा हूं कि कृपया आप शीघ्र ही इस पर विचार करके मुझे सहयोग दीजिये ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मैं वापिस ले रहा हूं । शिक्षा मंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया है उसको ध्यान में रखते हुए ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या सदन की अनुमति है कि इसे वापिस ले लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नया खण्ड २

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, खंड १ के बाद निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और वर्तमान खंड २ तथा ३ को पुनः संख्यांकित करके खंड ३ और ४ कर दिया जाय:---

२--इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ (जिसे एतदपश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १३ में, उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं अर्थात्--

"और उत्तर प्रदेश के भिन्न--भिन्न भागों के लिए भिन्न--भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं" ।

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, मुझे इसी पर आपत्ति थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये यह आपत्ति कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

हमारा कहना यह है कि १६(ख) में संशोधन लाये हैं वही प्रस्तुत हो सकता है । कोई भी धारा ऐक्ट को संशोधित नहीं कर सकते हैं । उस पर अलग से आ सकता है इसलिये मैं कहता हूं कि हमारी सरकार यह नहीं ला सकती ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, मैंने इससे पहले भी निवेदन किया था कि विधेयक के नाम को देखें इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ तो इसमें अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक में संशोधन आ सकता है । अगर इसमें यह लिखा होता जैसे पुराने विधेयकों में होता था निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के लिए, मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि पुराने विधेयक में यह लिखा होता कि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के लिये विधेयक तो हम उन्हीं प्रयोजनों को बताते लेकिन लिखा है कि अग्रेतर संशोधनों के लिये तो वह उस संशोधन की परिधि में आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप आपत्ति कर रहे हैं । तो ऐसा मैं सोचता हूं कि हमने कल भी एक को इजाजत दी थी । ऐसा नहीं होना चाहिये और भविष्य में जो परिधि के बाहर होगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इस धारा को नहीं जोड़ने दिया गया है । अगर जोड़ दी जाय तो प्रवर समिति में भेजें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, वर्तमान को लागू कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

समितियों की नियुक्ति जो सरकार चाहती है । १६ धारा में जो संशोधन है वह उसके बाहर है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे से ऐसा न हो इसलिये कल मैंने माननीय श्री शिवराज सिंह ने जो संशोधन रखा था उसको चूंकि आपके सदन के अधिकार के विरोध के लिये था इसलिये मैंने स्वीकार किया था, आज भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन भविष्य के लिये मैं यह जरूर चाहता हूं कि ....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कहा था कि हम वर्तमान से लागू कर रहे हैं । अच्छे काम को तुरन्त कर चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपसे मैंने निवेदन किया कि कल मैंने उसको स्वीकार किया था तथा कल भी मेरे दिमाग में चीज थी मैं नहीं चाहता था लेकिन सदन के क्षेत्र का विस्तारण उसमें पायेंगे । मैंने स्वयं इस बात को उठाया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप हमारे संरक्षक हैं और आपको...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपका संरक्षक तो हूं लेकिन मैं विरोधी दल का सदस्य नहीं हूं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

यह तो श्रीमन्, नियम के प्रतिकूल जा रहा है । जहां श्रीमन्, को विशेषाधिकार हो वहीं उसका उपयोग करेंगे । ऐसा न हो कि नियम के प्रतिकूल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन कर सकता है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

यह नियम बिल्कुल बने हैं और नियम के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

वर्तमान जो परिधियां हैं, उनके प्रतिकूल जाता है । अब आपके ऊपर है । लेकिन जैसी आपके निरन्तर सरकार की धारा है, उसमें मैं बाधक नहीं बनना चाहता ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

श्रीमन्, दो दिन का समय मिल सकता है तो श्रीमन् दो तीन दिन का समय दें और इसको भेज दें...

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है कि मैंने इतना विनम्र निवेदन किया और एक सांस से कहा जा रहा है कि जल्दी उसका विकेंद्रीकरण करें और दूसरी सांस से मेरी बात नहीं मानी जा रही है। कृपाकर एकाध बार तो मेरी भी मान लें । यह जरूर है कि यह परिधि के बाहर तो है नहीं । लेकिन माननीय सदन को अधिकार है कि वह किसी रूल को सस्पेंड कर सकते हैं । मैंने तो निवेदन कर दिया कि आप कृपया उसको मान लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम आपके बड़े आभारी हैं कि आप बड़ी मीठी भाषा बोलने लगते हैं । लेकिन इससे तो वह नियम नहीं बदले जा सकते हैं । अगर ऐसी छूट दे दी जायेगी तो इस सदन के अन्दर वे सभी काम हो जायेंगे, जो नहीं होने चाहिये । इसलिये मान्यवर, आप सख्त होकर बैठिये और इसकी आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

जहां तक रूल का संबंध है, वह बात असंदिग्ध है । किन्तु जब आप इस पर सहमत हो जाते हैं तो मैं उसमें बाधक नहीं हूं । मैं तो चाहता हूं कि भविष्य के लिये अवरोध लगा दूं कि ऐसा न हो ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, नियमों में पहले ही अवरोध दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो कल ही एक को अस्वीकार कर दिया था और आज यह दूसरा है । लेकिन जो सार्वजनिक हित से सम्बद्ध है, और रास्ते में कोई अटकाव की बात आ जाती है, तो सदन उसके लिये समर्थ है । इसीलिये मैंने सभी बातें आपको स्पष्ट कर दी ।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मान लीजिये नियम विरुद्ध आपने बात स्वीकार कर ली और वह सदन में पारित हो जाती है तो कल को जो डिवीजनल कमेटी इस धारा के अन्तर्गत कुछ निर्णय लेती है और वह निर्णय हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो कल को लिटीगेशन में मामला आता है । इसलिये अगर एक-आध दिन इसकी प्रतीक्षा कर ली जाय तो अनुचित न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इससे सहमत नहीं हूं । यह सदन कानून बनाने के लिये सामर्थ्यवान है और अगर वह कोई कानून बनाता है तो उसमें अवैधता न होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो सही है कि अगर यह सदन कोई रूल को सस्पेंड कर दे तो कोई कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकती । लेकिन मान्यवर, अगर कोई चीज जल्दी में आ जाती है तो हमें विचार करने का मौका तो नहीं मिलता । हो सकता है हम कोई सुझाव देते । अभी तो सदन बैठने वाला है । मान्यवर, यह जो जल्दी करने की प्रवृत्ति बना रखी है सरकार ने कि एक-एक दिन में 4–5 विधेयक स्वीकार कर लिये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कार्य मंत्रणा समिति में स्वीकार करते हैं वही आता है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, एक चीज और है । आप ने और संशोधन उसी समय माने हैं तो दोनों की प्रकृति में अन्तर है । यह जो संशोधन थे वह खंड से संबोधित थे । और यह दूसरी चीज है । अगर पहले से हमें यह मालूम हो जाता कि सरकार की ओर से इस तरह का संशोधन आने वाला है तो इस पर हो सकता है हम कोई दूसरा संशोधन लाते और वह अवसर हमें नहीं मिला । इन तमाम त्रुटियों को देखते हुये आप नियम का पालन करें और फिर सरकार भी इसके लिये तैयार नहीं थी यह तो सहसा आ गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सदन को ही निर्णय लेना है ....

एक सदस्य—

इसमें आपकी रूलिंग काफी है .....

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों में जो व्यवस्था की गई है, उन व्यवस्थाओं को देखते हुये मैंने यह देखा कि यह अलग जा रहा है तो मैंने स्वयं पहले ही संकेत दे दिया था । इस स्थिति को देखते हुये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो नियम ४० है उसमें मैनेडेटरी प्रावीजन है और सरकार ने और मंत्री महोदय ने शुरू से ही इस नियम को सस्पेंड करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया । जब आपत्ति

[श्री रूपनाथ सिंह यादव---]
आ गई तो भी कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है । सदन की यह राय है कि इन नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसलिये कि रूल को सस्पेंड करने के लिये भी कुछ नहीं किया गया है, अतः नियम का पालन होना चाहिये और यह संशोधन न माना जाय । दूसरे हमें कोई पहले से इसकी इत्तिला नहीं थी । सरकार के लिये क्या मुश्किल है इसमें ? यह कल भी आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---
मैं आपकी सहमति के रास्ते में नहीं आना चाहता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---
मान्यवर, हम किन शब्दों का प्रयोग करें, जिससे प्रकट हो कि हमारी सहमति नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---
मान्यवर, जब कोई सदस्य आगे चलकर इस विधान सभा की कार्यवाही देखेगा कि जो चीज आउट आफ आर्डर होने वाली है उस पर सहमति देकर हम और आप क्यों गलती करें, यह चीज तो गलत होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---
यह तो आप कर सकते हैं जो नियम विधान सभा के लिये हैं उस नियम को व्यापक प्रदेश के जन-जीवन के लिये प्रयोग करने में सतर्कता बरती जानी चाहिये ।

श्री वंशीधर पांडेय---
मान्यवर, जब कोई संशोधन आता है तो इस पर फाइलें चलती हैं एक वैल कन्तीडर्ड ओपीनियन आती है और उसके बाद भी संशोधन और होने होते हैं तो उसको दो-एक सरकारी सदस्यों की ओर से रख दिया जाता है । अगर आप इसी तरह से कहने लगे तो फिर सारी की सारी "रूल आफ ला" न होकर "रूल आफ सोसाइटी" बनाने जा रहे हैं । जैसे कि प्रेसींडेंट भुट्टो ने पब्लिकली कहा कि शेख मुजीब को फांसी न दी जाय तो फांसी नहीं दी जायगी । अब यह लोग दम न भरें कि इस देश के यही नेता रह गये हैं । दुनिया में ऐसे नेता भी हो गये हैं जिन्होंने रूल आफ ला नहीं रूल आफ सोसाइटी कर दिया है । आप हर पार्टी के लोगो को बुला कर पूछ लें कि इंटरमीडिएट ऐक्ट में परिवर्तन करना है । मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सही बात है कि यह संसार का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें १० लाख लड़के इम्तहान देते हैं । इतनी बड़ी एक्जामिनिंग बाडी कहीं नहीं है । हम सोचते थे कि इंटरमीडिएट प्रणाली को छोड़ दिया जाय । पहले मिडिल स्कूल का एक्जामिनेशन होता था, रजिस्ट्रार आफ डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशंस उसे कराते थे । पुराने जमाने में वर्नाक्यूलर फाइनल एक्जामिनेशंस रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशंस कराते थे । अब वह डिसेंट्रीलाइज हो गये । मैं चाहता हूं कि आप इंटरमीडिएट बोर्ड को डिसेंट्रलाइज कर दें और डिप्टी डायरेक्टर उसके चेयरमैन हो जायें । हम लोग सोचते थे कि डिप्टी डायरेक्टर ही मान्यता समिति में बैठते हैं, वही सब करते हैं और वही अड़चन डालते हैं और मान्यता नहीं मिलती है । आप उन को चेयरमैन बनायें । आप एक कंप्रीहेंसिव बिल लायें । अभी धारा १६ में किया है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी के बगल में श्री लक्ष्मी शंकर जी बैठे हैं । मैं उन से काफी दिनों से कह रहा हूं कि अधिकार लेने वाली प्रणाली हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---
सवाल यह कि आप कह रहे हैं कि भुट्टो का रूल आफ पीपुल याहियां खां के रूल आफ ला से अच्छा है ।

श्री बंशीधर पांडेय---
मान्यवर, यह जनता की राय हो गई है वही आप मान लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है। आप सर्व सम्मति से कह रहे हैं तो ठीक है । लेकिन शासन को शुरू से ही इस संबंध में गम्भीरता का रुख रखना चाहिये । अभी तो आप छूट दे दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप ने आज्ञा दे दी है । वह आपकी ही बात मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मंत्री जी की बात मान रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप जन भावना का आदर करते हैं और यह नियम भी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप गम्भीरतापूर्वक कहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, नियम हमारे साथ है और हम जनभावनाओं का विरोध नहीं करते हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि जब नया विधेयक आयेगा तो हमें संशोधन देने का भी अवसर मिलेगा आप हमारे अधिकार को न छीनें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका अधिकार नहीं था । आप अधिकार के प्रति सचेत नहीं थे । मैं आपको अधिकार के प्रति सचेष्ट करता हूं । प्रश्न यह है कि मैंने यह संकेत किया था और कल मैंने स्वीकार किया था । कल जब स्वीकार कर लिया तो वह सब पूरे सदन के अधिकार को बढ़ाने की दिशा में था और यह जनता के अधिकार को बढ़ाने की दिशा में है। आपकी यह इच्छा है कि वह अधिनियम में हो सकता है । मैं उसमें बाधक नहीं हो सकता । आप इस पर विचार करें । आप कहेंगे तो मैं रूल आउट कर दूंगा कि भविष्य में नहीं होना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह तो कांग्रेस की ओर से एस० एस० पी० की ओर से भी कहा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

नेता कह दें हम वैसा ही कर देंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

अगर कोई सदन के सदस्य इसको बतायें तो आप उसको मानेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मान लीजिये कि किसी विधेयक में भूल चूक से कोई चीज छूट गई और उससे उद्देश्य की शिकस्त होती है । यह आपको सोचने की चीज है और अगर आपके नेता इसको मान लेते हैं तो भविष्य में जितने ऐसे संशोधन आयेंगे उनको मैं रूल आउट कर दूंगा। कल भी मैंने स्वीकार किया है इसलिए मैं अपनी ओर से स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था और मैंने पढ़कर भी बताया कि यह उसकी परिधि में आता है। भूल चूक होती है और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं । भविष्य में मैं इसका ध्यान रखूंगा कि न आवे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

किसी व्यक्ति विशेष से अगर वह सम्बन्धित है तब तो वह क्षम्य है परन्तु यदि उसका

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---]

सम्बन्ध जनता से और समाज से है तो वह नहीं होना चाहिए । मैं तो कहूंगा कि हमारे मंत्री जी इसको मान जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसको रूल आउट, आउट आफ आर्डर करता हूं ।

खण्ड २

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९२१ की धारा १६-घ का संशोधन

2---इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (जिसे एतद्पश्चात् 'मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १६-घ में---

(क) उपधारा (4) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड और उसके ठीक पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा तथा प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिये जायें, अर्थात्---

"ऐसा आदेश दिये जाने की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी : प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखंडित कर सकती है;"

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित को उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे पारित करने (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।";

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

"(5-क) उपधारा (5) के अधीन दिये गये किसी आदेश की अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक की न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के और ऐसी संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार कि उक्त आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तगत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखंडित कर सकती है।";

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(7) संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) अथवा संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में दी गई किसी बात के असंगत होते हुये भी उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश प्रभावी होगा।"

श्री जे० एन० सिन्हा—
खण्ड २ में (१) शब्द "इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ जिसे एतद्पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है' के स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम' रख दिये जायं:

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता—
आप पहला पढ़ दें।

श्री जे० एन० सिन्हा—
वर्तमान खंड २, जिसे उपरोक्त के अनुसार पुनः संख्यांकित खंड ३ किया जायगा, में...

श्री रामधारी शास्त्री—
जब पहला संशोधन खत्म आउट हो गया है तो इसकी संख्या भी बदल जायगी। अब यह ३ नहीं रह जायगा बल्कि २ ही रहेगा। पहला तो खतम हो गया है इसलिये इसको २ ही माना जाय। अब यह खंड ३ के स्थान पर ही रह गया।

श्री जे० एन० सिन्हा—
अब तो यह खण्ड ३ के बजाय २ ही रह गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—
इसको ठीक करके दुबारा दें। अब तो यह सारा ही बदल जायगा।

श्री जे० एन० सिन्हा—
संशोधन तो मैंने पेश कर ही दिया है। अब इसमें ३ की जगह २ समझा जाय।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—
मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—
प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड २ में शब्द "इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ जिसे एतद्पश्चात् "मूल अधिनियम' कहा गया है" के स्थान पर शब्द "मूल अधिनियम" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की उपधारा (४) के परन्तुक अन्तिम पंक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" कर दिया जाय।

श्रीमन, वर्तमान व्यवस्था और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और वर्तमान नियम और अधिनियम में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्र रूप से शिक्षण संस्थायें बढ़ेंगी और चलेंगी और यह भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा की प्रगति के लिये और तेजी से प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि सारी बातें सरकार के हाथ में न हों, बल्कि सार्वजनिक लोग भी उसमें हों और चाहे तो अपने किसी संगठन के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को चला सकें। इसमें जो पांच वर्ष की अवधि रख दी गयी है, मैं समझता हूं कि इसमें यह होना चाहिये था कि किसी भी हालत में ३ वर्ष से ज्यादा न रहे। इस सिलसिले में संविधान की धारा की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें भी दो वर्ष की सीमा है संकटकालीन स्थिति की घोषणा के बारे में। यहां छोटे से काम के लिये पांच वर्ष आप रख रहे हैं, यह उचित नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी है, तो तीन वर्ष के भीतर प्रयास होना चाहिये निश्चित रूप से कि कोई न कोई संस्था जगह पर बन जाये। अगर ऐसा न हुआ तो यह परिपाटी बन जायगी। मन्त्री जी ने कहा कि छःमाही में भी खत्म कर सकते हैं, साल भर में भी खत्म कर सकते हैं। प्रबन्ध समिति सुलह कर ले तब तो यह हो सकता है। लेकिन जो सरकार की ओर से यह संशोधन आया है, उसमें आग देखेंगे, यह बढ़ा दिया गया है मैं इसका हवाला देता हूं। ५-क में केवल परन्तुक लिख दिया गया है—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के समय संस्था का कोई प्रबन्धाधिकरण वैध रूप के संघटित न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक तब तक संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में रखे रहेगा जब तक राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि वैध रूप से प्रबन्धाधिकरण का संघटन हो गया है।"

तो, श्रीमन, यह सरकार की जो मनोभावना है, उसका द्योतक है। यदि राज्य सरकार का समाधान प्राप्त हो जाय तो ५ साल के बाद भी प्राधिकृत नियन्त्रक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने हाथ में रख सकेगा। अगर कोई संस्था अपनी प्रबन्ध समिति ढंग से नहीं बना पाती है तो अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आप मुकर्रर करते हैं या अधिकारी मुकर्रर करते हैं उनकी यह कोशिश होनी चाहिये कि वे १ या २ साल के अन्दर ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दें ताकि संस्था का काम प्रगति के साथ चल सके। इसके उल्टा जो आप कर रहे हैं वह यह है कि आप अवधि बढ़ा कर 5 वर्ष कर रहे हैं। यह सरकार की मनोभावना का आइना है। राज्य सरकार की अगर यह राय हो जाए कि प्रबन्ध समिति ठीक से नहीं बन सकती है और ढंग से कार्य नहीं होगा तो अवधि बढ़ जायेगी। इसे आप देखें। जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने कहा है, इससे बड़ा खतरा है। सरकार तो और अवधि बढ़ाना चाहेगी। मैं भी सहमत हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो परन्तु यह सारा विषय बड़ा गम्भीर है। मेरी यह राय है कि एक निश्चित स्तर पर सार्वजनिक लोगों को छूट होनी चाहिये ताकि वे शिक्षा के प्रसार म सहयोग दे सकें। इस देश में सार्वजनिक लोगों का शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान रहा है। सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक लोगों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। एक तरफ तो यह कहा जाय और दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण भी न हो बल्कि शिक्षा का सरकारीकरण हो जाय, यह कहां तक उचित है। इससे तो थोड़े से अफसरों के हाथ में शिक्षा का प्रबन्ध दे दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करना बड़ा अनुचित होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर गम्भीरता से सोचें और एडमिनिस्ट्रेटर की अवधि ३ वर्ष से अधिक बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

शिक्षा मन्त्री जी ने अभी-अभी अपने भाषण में कहा है कि जनता के उत्साह और जनता के एफर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिये हम माध्यमिक शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। वह ठीक है, मैं उनका आदर करता हूं । उसी भाषण का आधार मानकर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि १ वर्ष की जगह ५ वर्ष रखना चाहते हैं । पांच वर्ष रखने के बदले यह अच्छा होता कि प्रबन्ध समिति अपनी व्यवस्था करके चुनाव करा लें । मैं आपको उदाहरण दूं । एक संस्था में १५ वर्ष से लड़ाई चल रही है । तो इस तरह तो उनकी भावना में विरोध मालूम पड़ता है । इसलिए जैसा शास्त्री जी का संशोधन है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ५ के बदले ३ वर्ष कर लें ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मुझे अफसोस है कि मेरी बात मानी नहीं गई । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ५ वर्ष कहां से आ गया । कई ऐसी भी संस्थाएं हमारे पास आई हैं जो ५ वर्ष में नहीं बना पाई । यह तो संस्थाओं की भलाई की ही बात की जा रही है । अगर ऐसी संस्थाएं आती हैं जो १५ दिन, १ महीने या २ महीने में अपनी संस्था बना लेती हैं तो हम उन्हें तभी अधिकार दे देंगे । बहुत-सी संस्थाएं न्यायालय में चली गई हैं और बहुत दिनों से उनका फैसला नहीं हो पा रहा है । मुकदमे चल पड़ते हैं और समय लग जाता है । ऐसी स्थिति में संस्थाओं का प्रबन्ध नियन्त्रक के अधिकार में देना पड़ता है । मैं इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखंड (क) की उपधारा (४) के परन्तुक के अन्तिम पंक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल कपूर---

अधिष्ठाता महोदय, मंत्रीजी के विचार से तो ऐसा लगता है कि वे ३ वर्ष को नहीं मानेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

पहले संशोधन प्रस्तुत कर दें, फिर कहें ।

श्री मोहनलाल कपूर---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड २ (क) के पहले अनुच्छेद में अन्तिम पंक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "दो वर्ष' कर दिया जाय ।

मैंने दो वर्ष बहुत उपयुक्त समय रखा है । तीन-तेरह तो ऐसे ही खराब होते हैं, इसलिए वह गिर गया । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी हमारी दो वर्ष की बात अवश्य मान लेंगे । यह समय ऐसा है, जिसमें प्रबन्ध समितियां अपना काम अच्छी तरह से कर लेंगी । ज्यादा समय देने से सारे सम्बन्धित लोग पहले से ही ढीले ढाले हो जायेंगे और यह सोचेंगे कि इतना लम्बा समय तो पड़ा है । इसके कारण से जो आवश्यक परिस्थितियां निर्माण होनी चाहिए, वह नहीं हो पावेंगी ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मुझे अफसोस है कि मैं इसे भी नहीं मान सकता हूं और इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव——

एक चीज मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि यह जो पांच वर्ष है उसे कम कर दिया जाए। क्योंकि अब समय बदल गया है। पहले पांच पांच साल में चुनाव होते थे।, लेकिन अब २–२ ३–३ वर्ष में होने लगे हैं। यहां ६७ में चुनाव हुआ, फिर ६९ में हुआ और अब ७२ में होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि खन्ड २ (क) के पहले अनुच्छेद में अन्तिम पंक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "दो वर्ष" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल कपूर——

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (क) के प्रथम अनुच्छेद के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय:——

अनुच्छेद २——ऐसे आदेश के अन्तर्गत "अधिकृत नियन्त्रक" की नियुक्ति किसी शिक्षा विद व्यक्ति (एजूकेशनिस्ट) या शिक्षा विभाग के अधिकारी की की जावेगी। नियुक्त "अधिकृत नियन्त्रक' सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति में वरीयता के आधार पर आने वाले शिक्षकों की सलाह से कार्य करेगा।

श्रीमन्, ये दो बातें मैंने रखी हैं और मैं समझता हूं मंत्री जी यदि इन्हें स्वीकार कर लेंगे तो शिक्षा जगत का बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि जो नियन्त्रक रख जाते हैं, वे प्रशासन के व्यक्तियों में से रखे जाते हैं और उनको प्रशासनिक कार्य से ही फुरसत नहीं होती है जिससे वे नियन्त्रक का कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, नतीजा यह होता है कि विद्यालय उपेक्षित रहते हैं। इसलिये यदि शिक्षाविदों की नियुक्ति की जाए राजनैतिक कारणों से नहीं तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको समय भी मिलेगा और उनको विद्यालयों के विषय में पर्याप्त जानकारी भी होगी।

दूसरे यहां जो शिक्षाविद् आएं बाहर से, वे प्रधानाचार्य से बात करें और जो कुछ भी चाहें निर्णय दे दें, यह भी नहीं होना चाहिये। उन्हें सीधी रीति से कार्य नहीं करना चाहिए। उनके लिये सलाहकार अवश्य होने चाहिये। प्रबन्ध समिति में जब हमने जोड़ दिया है कि २ अध्यापक उसमें जा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं तो नियन्त्रकों के लिये सलाहकार में रखना अनुचित होगा। अब नियन्त्रक अकेले कार्य करें, मैं समझता हूं यह बहुत ही अनावश्यक और अनुचित होगा और यह विद्यार्थी के साथ अन्याय होगा। इसलिये विद्यालयों के दो अध्यापक वरीयता के आधार पर लिए जायं जो उनके सलाहकार के रूप में कार्य करें। मैं समझता हूं यह बहुत ही उपयुक्त होगा और मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

डाक्टर रामजी लाल सहायक——

मान्यवर, भाई कपूर जी इस बात की जानकारी कर लें कि जो कोई नियन्त्रक नियुक्त किया जाता है, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह शिक्षाविद् हो और अधिकारी भी हम इसी तरह का खोजते हैं। यदि झगड़े हैं तो ऐसे अधिकारी खोजते हैं जो झगड़ों को सुलझा सकें। जब नहीं मिलता है तो हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे साथी सुयोग्य आदमियों के नाम सुझा दिया करते हैं, तो उनकी ही हम नियुक्ति कर देते हैं।

तो बराबर यह कोशिश की जाती है। तो फिर इसकी कोई उपयोगिता है नहीं। आपने दो अध्यापकों की बात कह दी। अध्यापक स्वय आपस में झगड़ जाते ह और जब पार्टी

बाजी इसी बुनियाद को ले कर हो जाती है, तो इस बात पर झगड़ा होगा। कोशिश करेंगे कि इनकी टांग खींचो, फिर हम दो बने। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है इनकी जरूरत है नहीं, मुझे खेद है कि मैं इस को मानता नहीं हूं।

श्री रामधारी शास्त्री—

डिप्टी कलेक्टर को रखना उचित नहीं होगा। हमारे जिले में तीन संस्थाओं में डिप्टी कलेक्टर्स हैं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ (क) के प्रथम अनुच्छेद के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय—

अनुच्छेद २—ऐसे आदेश के अन्तर्गत "अधिकृत नियन्त्रक" की नियुक्ति किसी शिक्षा-विद व्यक्ति (एजूकेनिष्ट) या शिक्षा विभाग के अधिकारी की की जावेगी।

नियुक्त "अधिकृत नियन्त्रक" सम्बन्धित विद्यालय की प्रबन्ध समिति में वरीयता के आधार पर जाने वाले शिक्षकों की सलाह से कार्य करेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री रामधारी शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन उपस्थित करता हूं:—

खंड २ के उपखंड (क) के प्रतिबन्ध में नीचे निम्न उपखंड २-क-क जोड़ दिया जाय:—

२-क-क—यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के उचित संचालन के लिए ऐसा करना इष्टकर है तो वह किसी भी संस्था के प्रधानाचार्य को उसी श्रेणी की किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित कर सकती है।

इस सिलसिले में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन प्रबन्धक समिति में जो झगड़े होते हैं, देखा जाता है कि प्रधानाचार्य किसी न किसी मामले में रहता है या प्रधानाचार्य वहां से जाना चाहता है लेकिन उसके लिये चारा नहीं रहता है, या नौकरी छोड़ दे या पीसा जाय मैनजमेंट के अत्याचारों से, कई बार झगड़ों में प्रिंसिपल का साझा होता है। इसलिये संशोधन के माध्यम से मैं सरकार को यह अधिकार दे रहा हूं कि अगर राज्य सरकार समझे कि ऐसा उचित है शिक्षा संस्था के संचालन के लिये तो वहां के प्रधानाचार्य को दूसरी शिक्षा संस्था में कर दे। इस तरह से जैसा कि सरकार ने खुद माना कि कई जगह झगड़े हैं, वहां से प्रधानाचार्यों का ट्रांसफर होगा तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जायगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको मानने में रंचमात्र भी नहीं हिचकेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय शास्त्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है मैं भी उनसे सहमत हूं। कहीं न कहीं विद्यालयों से संबंधित होने के कारण मेरा भी अनुभव है, ऐसे विद्यालयों के संचालन के हित में है कि सरकार को यह अधिकार दे दिया जाय कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकें। उनका निहित स्वार्थ होता है, वे पार्टी बाजी का अंग बन जाते हैं। कभी-कभी संस्था बन जाते हैं रूपया खींचने के लिए। अनेकों कारण हैं। आप इस बात को मान लें, स्थानान्तरण करने का अधिकार सरकार को दे दिया जाय।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, सामान्य नियम है नियुक्तिकर्ता और नियुक्त का, जो नियुक्त करता है उसे ही बदल देने का अधिकार होता है। राजकीय विद्यालयों में प्राधानाचार्यों का ट्रांसफर होता ही है। जनता द्वारा चलाये गये विद्यालयों में तबादला किसी तरह से सरकार कर सके, या तो यह नीति तय हो जाय कि सारे का प्रान्तीयकरण कर लें, तब तो होगा ही, जब तक यह नीति तय नहीं हो जाती तब तक तबादला करना सम्भव नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--
प्रान्तीयकरण करने में क्या एतराज है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--
आज इसमें नहीं हो रहा है। अगर आप सहारा दीजिये तो होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
क्या मंत्री जी इसका आश्वासन देंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--
आश्वासन क्या, विचार हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है, वह विचार में है।

श्री रामधारी शास्त्री--
मौजूदा प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का ढंग यह है कि डिप्टी डायरेक्टर के यहां सूची होती है और जब तक उनका एक आदमी बोर्ड में नहीं बैठता है तब तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति अन्तिम नहीं मानी जाती है। इस प्रकार नियुक्ति में सरकार का हाथ होता है जैसा कि मौजूदा नियम है ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक--
मुझे अफसोस है कि मैं इसे नहीं मानता।

श्री अधिष्ठाता--
प्रश्न यह है कि खंड २ के उप खंड (क) के प्रतिबन्ध के नीचे निम्न उप खंड २-क-क जोड़ दिया जाय:--

२क-क--यदि राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के उचित संचालन के लिये ऐसा करना इष्टकर है तो वह किसी भी संस्था के प्रधानाचार्य को उसी श्रेणी की किसी अन्य संस्थान में स्थानान्तरित कर सकती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जे० एन० सिन्हा--
अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं--

(२) उपखंड (ख) में शब्द "उपधारा (५) में" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

शब्द "उक्त संस्था के ले न लिये जाने" के स्थान पर शब्द "आदेश न दिये जाने" रख दिये जायं, तथा

(३) उप खंड (ग) में शब्द "निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जांय" रख दिये जायं, और उसके बाद बढ़ाई गई उपधारा (५क) को पुनः संख्यांकित करके (५-ख) कर दिया जाय, और उससे पूर्व निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(५-क) यदि उपधारा (४) में अभिदिष्ट सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उस उपधारा के पैरा (क) अथवा पैरा (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने का समाधान हो जाय और यह भी समाधान हो जाय कि विशेष और अपवादिक कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस उपधारा के अधीन कार्यवाही करना पर्याप्त रूप से प्रभावकारी नहीं होगा और संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उसका प्रबन्ध तुरन्त एक प्राधिकृत नियन्त्रक को सौंपा जाय, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति कर सकती है और वह प्राधिकृत नियन्त्रक

प्रबन्धाधिकरण या ऐसे किसी व्यक्ति का अपवर्तन करते हुए संस्था का प्रबन्ध, जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था के या उसमें निहित अन्य परिसम्पत्ति का प्रबन्ध सम्मिलित है, अपने हाथ में ले सकता है और जब भी कभी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाय, उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध में ये सब अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो इस उपधारा के या उपधारा (४) के अधीन आदेश न दिये जाने की दशा में उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त होते।"

श्रीमन्, अब तक इस धारा ४ और ५ में जो दिया हुआ था उसके अनुसार सिर्फ आदेश देने का अधिकार था लेकिन अब इस संशोधन के जरिये यह चाहा जा रहा है कि जिसकी भी उस की भूमि हो उस सब में उसको अधिकार हो इसलिये इस धारा में मैंने यह संशोधन दिया है। मैं समझता हूं से सरकार स्वीकार करेगी।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अब इसको प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि उपखंड (ख) में शब्द "उपधारा (५) म के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

शब्द "उक्त संस्था के ले न जाने" के स्थान पर शब्द "आदेश न दिये जाने" रख दिये जायं, तथा]

उपखंड (ग) में शब्द "निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं" रख दिये जायं, और उसके बाद बढ़ाई गई उपधारा (५-क) को पुनः संख्यांकित करके (५-ख) कर दिया जाय, और उसके पूर्व निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(५-क) यदि उपधारा (४) में अभिदिष्ट सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उस उपधारा के पैरा (क) अथवा पैरा (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने का समाधान हो जाय और यह भी समाधान हो जाय कि विशेष और अपवादिक कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस उपधारा के अधीन कार्यवाही करना पर्याप्त रूप से प्रभावकारी नहीं होगा और संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उसका प्रबन्ध तुरन्त एक प्राधिकृत नियंत्रक को सौंपा जाय, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धाधिकरण या ऐसे किसी व्यक्ति का अपवर्तन करते हुये संस्था का प्रबन्ध, जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था के या उसमें निहित अन्य परिसम्पत्ति का प्रबन्ध सम्मिलित है, अपने हाथ में ले सकता है और जब भी कभी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाय, उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध में ये सब अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो उस उपधारा के या उपधारा (४) के अधीन आदेश न दिये जाने की दशा में उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त होते।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, खंड २ के उपखंड (ग) के "(५-क) (५)" में दिये गये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के तिमपक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" कर दिया जाय, संशोधन उपस्थित करता हूं।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसी तरह के दो संशोधन पहले गिर चुके हैं। मैं इसे भी अस्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड २ के उपखण्ड (ग) के (५-क) (५) में दिये गये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्तिम पंक्ति में "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जे० एन० सिनहा—

(४) उपरोक्त के अनुसार पुनःसंख्यांकित उपधारा (५-ख) में (१) शब्द "उपधारा (५)" जहां भी आये हों के स्थान पर शब्द "उपधारा (५) या उपधारा (५-क)" रख दिये जायं और (२) उसके द्वारा रखे गये प्रथम प्रतिबन्धात्मक खन्ड के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात :

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के समय संस्था का कोई प्रबन्धाधिकरण वैध रूप से संघटित न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक तब तक संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में रखे रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि वैध रूप से प्रबन्धाधिरकण का संघटन हो गया है।"

(५) उपखंड (ग) के बाद एक नया उपखन्ड (घ) निम्नवत् रख दिया जाय और वर्तमान उप खन्ड (घ) को उपखंड (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय—

(घ) उपधारा (६) में शब्द "उपधारा (४) के खन्ड (१)" के बाद शब्द "या उपधारा (५) या उपधारा (५-क)" बढ़ा दिये जायं।

(६) उपरोक्त रूप से पुनः संख्यांकित उपखन्ड (ङ) में शब्द "उपधारा (४) या उपधारा (५)" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (५-क) बढ़ा दिये जायं।

(७) उपरोक्त रूप से पुनः संख्याकित (ङ) के बाद निम्नलिखित उपखन्ड बढ़ा दिया जाय—

"(च) उपधारा (८) में शब्द 'उपधारा (४) या उपधारा (५)' के स्थान पर शब्द 'उपधारा (४), उपधारा (५) या उपधारा (५-क)' रख दिये जायं।"

श्रीमन्, इसमें शब्दावली की बात है और यह बहुत ही जरूरी है। माननीय रामधारी शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि सरकारीकरण की बात हो रही है। अगर बात में राज्य सरकार यह सोचे कि वहां इन्तजाम ठीक नहीं हुआ है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहूंगा कि यह उन्हें पता ही है कि आम तौर पर सब लोग अदालतों की शरण ले लेते हैं और वहां पर यह पता नहीं चलता कि कब फैसला होगा, वर्षों तक वाद चल सकते हैं। हो सकता है कि ५ वर्ष के बाद भी वह चलता रहे या इस कदर झगड़े हों कि जो जनरल बाडी है उसका संगठन ही न हो पाये। इसीलिये यह इसमें बढ़ाया जा रहा है और यह विशेष परिस्थितियों के लिए है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उपरोक्त के अनुसार पुनः संख्यांकित "उपधारा (५-ख) में (१) शब्द उपधारा (५)" जहां भी आये हों के स्थान पर शब्द "उपधारा (५) या उपधारा (५-क)"

[श्री अधिष्ठाता—]

रख दिये जायं और (२) उसके द्वारा रखे गये प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के समय संस्था का कोई प्रबन्धाधिकरण वैध रूप से संगठित न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक तब तक संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में रखे रहेगा जब तक राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि वैध रूप से प्रबन्धाधिकरण का संघटन हो गया है।"

उप खंड (ग) के बाद एक नया उप खंड (घ) निम्नवत् रख दिया जाय और वर्तमान उपखंड (घ) को उप खंड (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय—

"(घ) उपधारा (६) में शब्द "उपधारा "(४) के खंड (१) के बाद शब्द" या उपधारा (५) या उपधारा (५–क)" बढ़ा दिये जायं।

उपरोक्त रूप से पुनः संख्यांकित उप खंड (ङ) में शब्द "उपधारा (४) या उपधारा (५)" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (५–क)" बढ़ा दिये जायं।

उपरोक्त रूप से पुनः संख्यांकित (ङ) के बाद निम्नलिखित उप खंड बढ़ा दिया जाय—

"(च) उपधारा (८) में शब्द "उपधारा (४) या उपधारा (५)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (४), उपधारा (५) या उपधारा (५–क), रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम और वर्तमान संशोधन विधेयक में जहां-जहां "इंटरमीडिऐट" शब्द आया हो उसके स्थान पर शब्द "उच्चतर माध्यमिक" रख दिये जांय।

मान्यवर, इसपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की घोषित भाषा हिन्दी है और इसमें कोई शंका बिलकुल ही नहीं है। इसमें न कोई तब्दीली है, न कोई अधिकार खत्म होता है, न बढ़ता है। मैं समझता हूं कि अगर इस विधेयक में हिन्दी में इसका नाम रख दिया जाय तो उससे कोई शंका होने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि हिन्दी विरोधी तो है नहीं सरकार, इसलिए इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार आप अंग्रेजी में बंधे रहते हैं तो अंग्रेजी छूट जाय और जो आपकी नीति है उसका पालन हो।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसी विधान सभा में आपने आफिशियल लैंगुएज ऐक्ट पास कर दिया है जिसके अन्दर हिन्दी को स्वीकार किया है, इसलिये इस अधिनियम में निश्चित रूप से हिन्दी के शब्दों का उन्हें प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह बात सही है कि हिन्दी राज की भाषा है और मैं भी हिन्दी के पक्ष में हूं। लेकिन इंटरमिडिएट शिक्षा अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है और उसमें अनेक बार ये शब्द आये हैं। आज केवल इस छोटे से विधेयक से उसको अमेंड करने में बड़ी कठिनाई होगी और यह उपयुक्त नहीं होगा। जब मूल अधिनियम के संबंध में योजना बनेगी तब इसको देखेंगे। आज तो मैं माफी चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम और वर्तमान संशोधन विधेयक में जहां-जहां "इंटरमीडियेट" शब्द आया हो उसके स्थान पर शब्द "उच्चतर माध्यमिक" रख दिये जायं।

श्री रामधारी शास्त्री—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

बैधीकरण

३—किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १६–घ के अधीन दिया गया या दिये जाने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा के अधीन दिया गया समझा जायेगा और उसका इसी प्रकार निर्वचन किया जायेगा और वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा और सदैव से ही वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, और तद्नुसार उक्त धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत नियंत्रक का कार्य करें, या करने के लिये तात्पर्यित हो, किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही विधि के प्राधिकार से किया गया या की गई और सदैव से किया गया या की गई समझी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खड ३ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१

इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९२१

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"१—यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम १९७२ कहलायेगा"

मान्यवर, यह इसलिये जरूरी है कि यह अधिनियम १९७२ में हम पारित कर रहे हैं इसलिये १९७१ रखना मुनासिब नहीं होगा।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१—यह अधिनियम इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७१ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२†

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह विधेयक मुख्यतः जो बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता अधिभार लगा रहे हैं उन को विधेयक का स्वरूप देने के लिये है। इस सदन की बहुत पहले से यह सर्वसम्मत मांग रही है कि बंगला देश को मान्यता दी जाय। यह सदन देश के उन सदनों में सर्व प्रथम था जिसने इस दिशा में एक निर्णय लिया और उस निर्णय को भारत सरकार तक प्रभावकारी ढंग से प्रेषित किया। यही वह सदन था जिसने दूसरे प्रस्ताव द्वारा बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई की मांग की। बंगला देश की मान्यता और बंगलादेश के शरणार्थियों को पूरी सहायता दिये जाने का आवाहन किया। उसी क्रम में भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को यह सलाह दी कि वह एक अधिभार अलग-अलग लगायें। इन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स पर अधिभार लगाया गया, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्स में अधिभार लगाया। इंडियन स्टाम्प ऐक्ट में १० पैसे का अधिभार लगाया। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री ऐक्ट में १० पैसे का अधिभार लगाया और जो कैशमेमो दिये जाते हैं उन पर १० पैसे का अधिभार लगाया गया। साथ ही भारत सरकार ने प्रदेशों की सरकारों से यह भी कहा कि यह जितनी धनराशि है इसको प्रदेशीय सरकार जमा करके भारत सरकार को दे दे ताकि जो बंगला देश से शरणार्थी आये हैं, जो सैकड़ों करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है इसको उसमें सम्मिलित किया जा सके और इस धनराशि से उसकी पूर्ति हो सके। इस सम्बन्ध में जो अध्यादेश निकाले गये हैं इस विधेयक के द्वारा उनको ही अधिनियमित किया जा रहा है। साथ ही साथ अब भी यह आवश्यक है कि वह करोड़ों शरणार्थी वापस जा रहे हैं और बंगला देश को सहायता देने की बात भी है जिससे शरणार्थी वहां पर आश्वस्त रूप से पुनर्वासित हो सकें। इसलिये इस अधिनियम को तब तक जारी रखने का विचार है। साथ ही साथ इस में जो करापवंचन या चौकी पोस्ट रखने की बात थी जिसका २८ में प्राविजन था उसके अन्दर जो कठिनाई थी केन्द्रीय सरकार से या दूसरी सरकार से पूछना था और उन की अनुमति नहीं मिल पाई थी, वह अनुमति मिल गई है और अब उस को उस ढंग से रखा जा रहा है जिससे केन्द्र ने उसको स्वीकार किया है। उसमें यह संशोधन किया गया है कि जिससे बिक्री कर अधिनियम में जो करापवंचन की सम्भावना थी उस को अब दूर कर दिया गया है। जैसे अन्तर्राज्यीय व्यापार में दूसरे राज्य के लोग यहां पर परचेज करते थे, खरीदारी करते थे वह परचेज टैक्स नहीं देते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† ४ जनवरी, १९७२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

थे। वह अपने को सेलिंग एजेन्ट कहते थे। इस तरह से कुछ असंगति थी। उनको अब दूर करने का प्रयास किया गया है और उस को सेल्स टैक्स के अनुरूप बनाया जा रहा है।

इसलिये मुझे आशा है कि इस अधिभार के विधेयक को स्वीकार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह रंगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अधिभार के बाद कितने करोड़ रुपया सरकार पाने की आशा करती है?

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनमत संग्रह के लिये प्रदेश में ३ मांह तक परिचालित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक सरकार की ओर से पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है—"अतिरिक्त वित्तीय संसाधन एकत्र करने के लिये"। श्रीमन्, इसमें जो बंगला देश का मामला है वह तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी कुछ संशोधन जुटाने के निमित्त यह लाया गया है। यह किस काम के लिये ?

दूसरी बात यह है कि आप ने जो बंगला देश के नाम पर जो टैक्स लगाया है और भारत सरकार ने भी लगाया है, और आप ने यह भी देखा कि बंगला देश के शरणार्थी वापस भी जाना शुरू हो गये हैं, फिर यह जो विधेयक लाया गया है उसमें यह क्यों नहीं लिखा गया कि अमुक तारीख को या अमुक समय यह विधेयक समाप्त माना जायेगा। मंत्री जी कहते कि बंगला देश के शरणार्थियों के जाने के बाद यह समाप्त हो जायगा, या इतनी संख्या चली जायगी उसके बाद समाप्त हो जायगा, या अमुक तारीख को समाप्त हो जायगा या यह कहते कि वित्तीय वर्ष के बाद समाप्त हो जायगा। लेकिन सरकार का ऐसा कुछ इरादा नहीं मालूम होता। बंगला देश के शरणार्थियों के नाम पर टैक्स करने की सरकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और आवश्यकता इस बात की है कि न के ल इस सदन के सदस्य बल्कि प्रदेश की जनता इस बात को समझे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो टैक्स लगाने जा रही है, वह मुनासिब है या नहीं। अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार का दावा है कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है, यद्यपि मैं तो समझता हूं कि वह दल बदलुओं की सरकार है। अच्छा सही, हम उनका दावा स्वीकार करते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे मेहरबानी करके इस बिल को जनता के समक्ष ले जायें और उसके बाद जनता की राय के अनुसार इस सदन में टैक्सेशन लगायें। अगर जनता कहती है कि इससे दुगना चौगुना टैक्स लगाओ तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एम० एल० ए० की हैसियत न सही एक जनता के नागरिक की मेरी हैसियत है, मैं अपनी भी राय दे सकता हूं लेकिन बहुमत का जो भी फैसला होगा वह मुझे स्वीकार होगा। अतः सरकार इस बिल को जनता के सामने ले जाय। जो संसाधन जुटाने जा रहे हैं उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि उसमें कितने टैक्स बंगला देश के शरणार्थियों के लिये हैं और कितना टैक्सेशन दूसरे कार्यों के लिये है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस प्रदेश को ५० करोड़ रुपये का घाटा है यही नहीं अन्त में दबी जबान से उन्होंने यह भी कहा था कि इस विषय में मैं इस सदन के सदस्यों की राय चाहता हूं। जनता की राय नहीं। यह सरकार जनता की राय से कतराती है, भागती है और सदन के सदस्यों की राय जाने बिना ही श्रीमान् जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया है। इसलिये इस प्रदेश के घाटे को पूरा करने के लिये भी यह एक कदम है।

मैं जोरदार शब्दों में इस बात का विरोध करना चाहता हूं कि आज मंहगाई इस चरम सीमा तक बढ़ती जा रही है कि चीनी ४ रुपये किलो तक इस प्रदेश में बिक रही है, मिट्टी के तेल के लिये लाइन लगती है, नमक बाजार से गायब हो गया है, जनता की जिन्दगी दूभर होती चली जा रही है और दूसरी तरफ अगर सरकार के टैक्सों का इस तरह का बोझ उस पर पड़ेगा तो मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आज बंगला देश के शरणार्थियों का हवाला दे कर, उनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहाना लेकर आप इस प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स लगाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह एक घातक प्रणाली साबित होगी और इसलिये भी कि टैक्स लगायें आप अपने काम के लिये और नाम लें बंगला देश के शरणार्थियों का। इससे लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा होगी जो न आपके लिये हितकारी है, न प्रजातंत्र के लिये हितकारी है और न इस देश के लिये हितकारी है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था जो आपने पहले कही थी उसमें से जब इस वित्तीय वर्ष के केवल दो महीने पूरे और तीसरे महीने का कुछ हिस्सा था यों कहिये कि तीन महीने ही अगर बाकी रह गये तो इस सरकार को चाहिये था कि बाकी महीनों का लेखाजोखा देती कि बजट का इतने प्रतिशत खर्च हुआ और इतने प्रतिशत की आवश्यकता है। मुझे अपने माननीय वित्त मंत्री जी से बड़ी आशा है और इसलिये भी आशा है कि संयोग से मुझको और उन को एक ही दल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि शासन की कुर्सी अगर त्रिपाठी जी का नजरिया बदल दे तो मैं क्या करूं। मैं तो उन के इन कुर्सियों पर बैठ कर दिये हुये भाषणों की याद करता हूं और जब मैं उन बातों और परम्पराओं को याद करता हूं जो उन्होंने इन कुर्सियों पर बैठ कर कही हैं तो मैं महसूस करने के लिये मजबूर हो जाता हूं कि आखिर शासन का मद कैसा है जो इधर से कही हुई बातों को भी भूल जाय, जनता को दिये हुए वायदों को भूल जाय और एक बात और भूल जाय, जो स्वस्थ परम्परा उस व्यक्ति के मन में हो वह भी भूल जाय। आखिर कारण क्या है?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं ऐसा समझता हूं कि वित्त मंत्री की कुर्सी ऐसी है कि जिस पर न जाने कितने वित्त मंत्री बैठ चुके। मुस्तकिल कुर्सी त्रिपाठी जी की है नहीं और पता नहीं उस त्रिपाठी और इस त्रिपाठी में कब खटपट हो जाय। तिवारी और त्रिपाठी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

"दल बदलू" इन शब्दों का प्रयोग न करें। बड़ी तकलीफ होती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

बड़ी चोट तो मुझको लगी है। मेरे सामने तो वित्त मंत्री जी ही बैठे हैं। तो चोट खा-खा कर भी बरदाश्त करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की हालत में जनता के ऊपर कर लगाने की जो प्रणाली और जो तरीका बनाया जा रहा है वह मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के लिए मुनासिब नहीं है।

कल मैंने एक प्रश्न उठाया था इस विधेयक के सम्बन्ध में कि इस पर कुछ अधिक व्यय भी सरकार करेगी सीमा चौकियों को कायम करने में जिन का व्यय इस बिल में अन्तर्निहित है और इसलिए यह धन विधेयक है। और पास नहीं हो सकता। परन्तु अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हुई कि वह उपस्थित हो सकता है और हमने उस व्यवस्था को स्वीकार किया और शिरोधार्य किया। आप जरा इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखें और उनके अतिरिक्त जब अध्यादेश निकला था और उससे जो रूप भेद किया गया, उसकी जो प्रतिलिपि दी गयी उसको आप जरा देखें। उसके चौथे खंड में कहा गया है कि बिक्री कर अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर नयी धारा रखी जा रही है जिसका उद्देश्य प्रदेश के सीमावर्ती स्थानों में जांच चौकियां स्थापित करके करापवंचन की प्रभावी ढंग से रोकथाम करना है। यह करापवंचन की बात है और कुछ चौकियों का सवाल है सीमाओं पर। इस प्रकार की व्यवस्था पुराने अधिनियम में भी थी अगर वह थी तो इस नयी धारा को रखने की आवश्यकता हमारी समझ में नहीं आती और वह इसलिए भी कि इसमें जो व्यय अन्तर्निहित होगा वह सदन के सम्मुख न कल और न आज वित्त मन्त्री जी ने बताया। कल इसलिए नहीं बताया कि धन विधयक हो जायगा तो यहां पेश नहीं होगा क्योंकि

[श्री कल्पनाथ सिंह]

उनकी जल्दी लगी है । यहां तक कि १ जनवरी को अगर यह सदन आहूत किया गया होता सरकार की राय से राज्यपाल द्वारा तो इस सदन में राज्यपाल महोदय को सरकार की नीतियों के सन्दर्भ में अपना भाषण प्रस्तुत करना पड़ता और सदन को चर्चा करनी पड़ती कि सरकार की नीतियां क्या ह लेकिन केवल एक दिन शुक्रवार ३१ दिसम्बर को विधान सभा बुलायी गयी, २ दिन के लिए बन्द करके ३ तारीख से इधर फिर काम शुरू किया गया । एक तरफ तो तारीख बदलने की जल्दी है कि सरकार न जाने पाये और दूसरी तरफ जल्दी यह है कि विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो जाय । मुझे श्रीमन्, आप यह कहने के लिए क्षमा करें कि इतनी जल्दी में जो यह टैक्सेशन किया जा रहा है । मैं यह जानता हूं कि संख्या वित्त मन्त्री जी की है, संख्या के बल पर 'हां' हो जायगा और यह बिल पास हो जायगा । लेकिन हम अपने कर्त्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर सकते अगर हम अपनी भावनाओं को साफ तरीके से यहां व्यक्त न करें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में यह सरकार निरंकुश हो गयी है । इसलिए कि लगातार ये चर्चायें चलायी जा रही हैं कि चुनाव होंगे, चुनाव होंगे, चुनाव होंगे और फिर हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं, उस समय मैं तो यहां नहीं था, कि चुनाव नहीं होंगे । जल्दी इस बात की लगी हुई है कि बंगला देश के नाम पर टैक्सेशन लो वरना चुनाव अगर मार्च में हो गये और कहीं अध्यादेश के जरिये, जैसे कि पहले भी लगा था, लगाना पड़ा तो सवाल होगा कि ये विरोधी दल वाले जनता के सामन ये कहेंगे, वे कहेंगे ।

एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ चुनाव का जो खर्चा है, उसको मद्देनजर न रखते हुये राजनीतिक कारणों से दूसरी बात कही जाती है । चाहे चुनाव हो या न हो, मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है कि चुनाव होता है अथवा नहीं, केवल एक बात को छोड़ कर कि इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर उसका भी असर पड़ता है । इस समय शासन ऐसे लोगों के हाथों में है जिनको इस बात की परवाह नहीं है ।

आज हमारे प्रदेश में जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो शिक्षकों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो समाज के और दूसरे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उधर सरकार का ध्यान नहीं हो रहा है । बजाय इसके कि वे ऐसा बिल ले आते जिसमें महंगाई के रोकने का कोई प्राविधान होता एक ओर तो टैक्स लगाने की बात है और दूसरी ओर महंगाई बढ़ाने की बात यह दोहरी शक्ति इस प्रदेश की जनता को तबाह करने का जो फैसला इस सरकार का है, मुझे क्षमा करें, अधिष्ठाता महोदय, बहुत गलत है । मैं तो चाहूंगा कि जिस जनता ने हमें और इन्हें चुन कर भेजा है, उनके सामने यह बात जाय और उस की जो राय हो उसके मुताबिक टैक्सेशन हो । अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा क्योंकि अगर हम हटेंगे और जनता के सामने जायेंगे तो वह हम से पूछेगी कि आपने माननीय नारायण दत्त जी के इस बिल को कैसे कबूल कर लिया । हम कहेंगे कि हम बहुमत में नहीं थे, तो वे कहेंगे कि आपने अपनी बात को सदन में क्यों नहीं रखा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा ।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय तिवारी जी स्वयं इस बिलको जनता में भेज दें, उनकी राय जानने के लिए तो कोई कारण नहीं है कि उनके सिर से कलंक न हट जाय, क्योंकि जनता के सामने यह बात आ जायेगी । वरना बंगला देश के शरणार्थियों का बहाना लेकर अपने घाटे के बजट की व्यवस्था को पूरा करने के लिए यह सरकार के टैक्सेशन का स्वरूप आ रहा है जिसमें सरकार से चावल की फुटकी (टूटा हुआ चावल) भी इस टैक्सेशन से छूटेगी नहीं । यही नहीं उन्होंन चावल का चूर, कनी, चावल की भूसी वगैरह भी नहीं छोड़ा है । यह सब है उसमें पता नहीं इनका क्या मतलब है । हमको लगता है कि स्पष्टीकरण में

सरकारी संशोधन है कि गुड़ के क्या माने हैं। राब के क्या माने हैं और शीरे के क्या माने क्या क्या हैं। हम खाते हैं शीरा। खान्ड का शीरा हम खाते हैं और गुड़ हम खाते हैं। यह गरीब खाता है, टाटा या बिड़ला नहीं, जिनकी बदौलत, श्रीमन्, ये लोग यहां बैठे हैं। आप जरा और देख लीजिये, इन्होंने क्या किया ; बांस तक को नहीं छोड़ा, श्रीमन्, इमारत की लकड़ी तो छोड़ दीजिये। बाढ़ वाले इलाकों में लाखों घर बरबाद हो गये। कहते हैं कि हम उनको सामान दे रहे हैं, घर बनाने के लिये, और दूसरी तरफ.....जो वह छप्पर या खपरैल बनाने के लिये बांस खरीदेंगे, वह इस टैक्सेशन से मुक्त नहीं है। क्या तमाशा है। आप किसी को तो छोड़ दें कर से। वह कैसा समाजवाद आपका है। क्या यही पढ़ाया था समाजवाद के विषय में आचार्य नरेन्द्र देव ने। यह समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद और पूंजीवाद के साये में अधिनायकवाद पनपाने का जो तरीका निकाला गया है, उसका यह जीता-जागता स्वरूप श्रीमन्, सामने आ रहा है। एक तरफ तो राजा और राजाओं के पीछे राजा सिर हिला रहे हैं। उनके ऊपर तो इसका असर पड़ता नहीं। पड़ेगा तो हम लोगों के ऊपर। गरीब के ऊपर। और इसीलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं तो इस सदन में गरीब-गोहार करना चाहता हूं। आपने कहा था—गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का पहला नमूना है वह, श्रीमन्, जिसमें बांस तक को टैक्स से नहीं छोड़ा जायगा। श्रीमान जी के मोटर के पहिये, चक्के और उनके टायर-ट्यूब तथा उनके पार्ट्स हैं, वह भी नहीं बचेंगे और उनको बचना भी नहीं चाहिये लेकिन राजा-महाराजाओं को कम देना पड़ रहा है और गरीब लोगों को ज्यादा क्योंकि गुड़-खान्डसारी खाने वाले ज्यादा लोग हैं, उसमें भी खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के और जानबूझ कर इस प्रकार की चीजें इसमें शामिल की गयी हैं। आप करापवंचना की बात कहते हैं। उसको आप कैसे रोकेंगे। आपके अन्दर हिम्मत नहीं है, इरादे मजबूत नहीं हैं और विभाग की सफाई नहीं है, इसके लिये। एक तरफ पूंजीपतियों को थपथपायेंगे और दूसरी तरफ करापवंचना रोकेंगे। यह होने वाला नहीं है। इनकी उन सभी तत्वों से पूर्ण सहानुभूति है जो करापवंचना में लगे हैं।

कहते हैं चौकियां कायम कर देंगे? उनसे कसे आप करापवंचना रोकेंगे? चौकियां कायम हैं और तस्कर व्यापार चल रहा है और सरकार रोक नहीं पा रही है। खीरी-लखीमपुर से बार्डर तक तस्करी व्यापार का बोलबाला है। उन तस्करी व्यापारियों को आप रोक नहीं सकते और कहते हैं कि चौकियां कायम कर दी हैं करापवंचना के लिये। कैसे रोकेंगे जब अधिकारी जाकर ही तस्करी करते हैं? यह वहां जाने के लिये और मार्ग प्रशस्त तो देते हैं जिससे जो दूरी है वह नजदीक हो जाय। सवाल यह है कि जब आपकी यह नीति है तो इससे न तो इस देश का भला होने वाला है और न प्रदेश का।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आप देखें कि इस विधेयक के अन्तर्गत एक दो नहीं इकट्ठे ५ अधिनियमों का संशोधन होने जा रहा है। और आपको मालूम है कि इसकी प्रतियां कब वितरित हुईं ३ जनवरी, १९७२, को, और संशोधन होगा ५ अधिनियमों का। मुझसे और सदन के माननीय सदस्यों से यह उम्मीद की जायेगी कि पांचो अधिनियमों को निकलवा लें और पढ़ें कि वह कहां संशोधन कर रहे हैं। अगर इसको एक की जगह 'शून्य' और बढ़ा देते तो १० नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि 'शून्य' और बढ़ा दिया जाय। लोग यह समझें कि कैसा विरोधी कर रहे हैं। शून्य पर किस चालाकी से यह जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस सदन को गुमराह कर रहे हैं अपनी संख्या के बल पर। यह न्याय का गला घोंट रहे हैं, अपनी संख्या के बल पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अखिर आपको अगर संशोधन ही करने थे तो प्रत्येक अधिनियमों में आपने संशोधन करने का फैसला पहले क्यों नहीं किया और अगर किया तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कम से कम न पहले सही, ३१ तारीख में इन विधेयकों की प्रतियां क्यों नहीं वितरित करायी गयीं। मेरी यह शिकायत है और मेरा यह निवेदन है कि शिकायत इस लिए कि आप प्रजातांत्रिक मान्यताओं को तिलांजली न दें और निवेदन इस लिये श्री मान कि आप के साथ इस प्रदेश का भाग्य बधा हुआ है—मेहरबानी करके उसके साथ खिलवाड़ न करें—प्रजातांत्रिक मान्यताओं के साथ,

[श्री कल्पनाथ सिंह]

परम्पराओं के साथ खिलवाड़ न करें। मैं समझता हूं कि इसका एक ही उपाय है और अगर आप मुनासिब समझते हैं कि इस सदन के सदस्यों को समय नहीं दिया जाता तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको जनता को तो समय देना चाहिये कि वह आपकी बातों को समझें। जहां जाइए टैक्स,.....टैक्स.....टैक्स और टैक्स लेते हैं अपने काम के लिये और नाम लेंगे बंगला देश का। थोड़ा-बहुत इधर-उधर कर देंगे और कह देंगे कि बंगला देश के लिये टैक्स लगाया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करने के लिये तैयार है कि इस विधेयक से अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त होगी, सालाना, और उसमें से कितना रुपया बंगला देशवासियों पर खर्च होगा और कितना दूसरे कामों पर।

दूसरे यह कि क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि ३१ मार्च के बाद या किस तारीख को बंगला देश के नाम पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, वह खत्म कर दिया जायगा?

इस टैक्सेशन को समाप्त करने के लिये अगर इस बात की घोषणा हो तो मुझे प्रसन्नता है। आज गरीबों पर जो टैक्स लगाने की व्यवस्था इसमें की गई है उस बात पर सरकार विचार करेगी कि उन मदों पर जो सीधे-सीधे गरीबों के ऊपर असर डालती हैं उनको इसमें से निकाल कर और ऐसे वर्ग से जो संपन्न हैं, ऐसे लोगों से जो सुविधा प्राप्त वर्ग है, ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह कहना है कि यह सरकार सुविधा प्राप्त वर्ग से, सम्पन्न वर्ग पर टैक्स लगाने में कतराती है और भागती है और गरीबों के ऊपर टैक्स लगाकर उनको तबाह करती है। क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि जो गरीबों के ऊपर असर डालने वाले टैक्स हैं वह समाप्त किए जायेंगे।

चौथी बात यह कि क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि जो घाटे का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है उस बजट में इस बिल से होने वाली आय कभी समाप्त न हो और अगर हो तो इन्होंने जो अपने बजट भाषण के समय कि सदन के माननीय सदस्यों की राय लेकर कि इस बजट की कमी को पूरा किया जायगा? क्या अगर इन्होंने उस घाटे की अर्थ व्यवस्था को पूरा करने की बात सोची? क्या यह इस सदन के साथ, इस सदन के सदस्यों के साथ और इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं? अगर मैं यह न कहूं तो श्रीमन् मुझे क्षमा कर दिया जाय कि क्या यह विश्वासघात नहीं है? हमको दिये गये वचन का उल्लंघन नहीं है? मान्यवर, मैं इन बातों के आधार पर यह चाहता हूं कि यह बिल जनता के सामने जाये और जनता की राय जान कर इस सदन में मंत्री जी पेश करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर विचार करेंगे।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने अपने विचार इस संबंध में व्यक्त किये हैं। मैं भी एक संशोधन आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ को प्रवर समिति को भेजा जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट एक मास में दे देवे। मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि यह जनता में घुमाया जाय। मैंने इन दोनों के बीच का मार्ग निकाला है और वह यह कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, अगर सरकार त्रिपाठी जी की बात मान ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पांच अधिनियमों का संशोधन इस बिल के द्वारा हो रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश है, जिसकी जनता इतनी गरीब है उस पर कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाते समय उसकी राय जानने का अवसर न दिया जाय। अध्यादेश द्वारा कर लगाये जाएं ऐसा बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है। यह दलील काम नहीं कर सकती कि संकट कालीन परिस्थिति थी और उस वक्त हम विधान सभा को बुला नहीं सकते थे क्योंकि संसद चल रही थी। बाद में संसद चली इसलिये वह दलील नहीं लागू हो पाती। मान्यवर, किन परिस्थितियों में यह टैक्स लगाया गया, इस संबंध में दो व्यक्तियों के भाषण उद्धरित करना चाहता हूं। एक माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, इन दोनों के वक्तव्य कर आरोपण से संबंधित हैं।

मान्यवर, पहले तो मैं वित्त मंत्री जी से कह दूं कि किसी निश्चित नीति को ध्यान में रख कर नहीं किया गया है। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने कहा था कि यदि इस प्रकार से जब कोई नये टैक्सों को लगाने की बात होगी तब आप लोगों से भी सजेस्न्स लिये जायेंगे। यह उस नीति के विपरीत है। एक आर्टिकिल में जो लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि—

"U. P.'s Finance Minister, Mr. Narain Dutt Tewari, in a classic example of evasion of responsibility actually asked 'all honourable members to give their valuable suggestions about imposition of taxes'. No one has had any bright ideas so far."

हमारे कहने का मतलब यह है कि उनका मस्तिष्क स्वयं ऐसा था जिसमें किसी बात का कोई निश्चित क्रम नहीं था और वह किसी निश्चित तरीके से किसी को कोई राहत इसके द्वारा नहीं पहुंचा पाये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी बड़े ही मार्मिक शब्दों में इस संदर्भ में इसके बारे में कहा था कि किन परिस्थितियों में इसको किया जायगा। उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में निम्न शब्द कहे हैं। "उत्तर प्रदेश में जहां पहले ही भारी वर्षा और बाढ़ से ४०० और ५०० करोड़ रुपये के बीच क्षति हो चुकी है वहां नये कर लगाना आर्थिक राजनैतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से उचित नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी ने कल राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा बताते हैं कि—

यह कहना अनुचित होगा कि राज्य सरकार ने आय के साधन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बीच प्रदेश में किसी न किसी रूप में चाहे वह वर्षा हो अथवा बाढ़ संकट की स्थिति बनी रही। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिये कर बढ़ाने की बात अलग रही राहत के रूप में बहुत सी छूट देनी पड़ रही है।"

यह हमारे मुख्य मंत्री जी का भाषण है। मैंने भाषण का उद्धरण इसलिये दिया कि प्रदेश की सही स्थिति का ज्ञान हो जाय उन कर लगाने वालों को जिन्होंने वस्तुस्थिति से अपनी आंखें मूंद ली हैं और कर लगाते चले जा रहे हैं। एक दलील रखी जाती है कि बंगला देश के शरणार्थी आ गये। दलीलें तो कुछ भी हो सकती हैं और होती रहती ही हैं। इस सरकार की सारी असफलता को इन १०महीनों में बाढ़ ने ढक लिया और केन्द्रीय सरकार की असफलताओं को बंगला देश ने ढक लिया। हमारे प्रदेश में ५४ में से ५२ जिले बाढ़ से पीड़ित हुए। जैसा कि मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार बच गई बंगला देश की लड़ाई से और यह कह दिया जायगा कि लड़ाई में खर्चा किया गया इसलिये हम असफल हो गये। अब आगे के लिये हमको ५ वर्ष और दीजिये तब हम अधिक सफल होंगे। आज आप भी उसी चीज का सहारा ले रहे हैं और टैक्स लगाना चाहते हैं उस गरीब जनता पर जो पहले से ही कराह रही है, पीड़ित है। आपको क्या करना चाहिये इस अवसर पर। अपने यहां कटौती करनी चाहिये। खर्चे में कटौती करनी चाहिये। केरल की सरकार ने कहा कि हम १० प्रतिशत की अपने खर्चे में कटौती करेंगे और हमारे प्रदेश ने कहा कि हम ५ प्रतिशत की कटौती करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कित-कित स्थानों पर यह कटौती लागू की है? आपसे यह पूछा गया कि इसके

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लिये क्या आपने कोई समिति बनाई है ? आपने कहा कि अभी समिति नहीं बनाई है और जब समिति ही नहीं बनी है तो उसके मेम्बर्स का तो कोई सवाल ही नहीं । आपने किस मद में कटौती की है ? कन्टेन्जेन्सी फण्ड में कटौती की है या अन्य किन स्थानों पर इसको किया है वह बताएं । गाड़ी नई होनी चाहिये और नई गाड़ी खरीदनी चाहिये और किसी भी आराम की वस्तु में कोई कटौती नहीं होनी चाहिये । आपका कौन सा पग इस मार्ग में ठीक है ? अभी कल ही मुझे बताया गया कि सरकार ने बहुत बड़ी एक शेवरलेट कार खरीदी है । अगर वह बात सही है तो यह बहुत गैरमुनासिब है । इस गरीब जनता के पैसे से और इस परिस्थित में यह खरीद बहुत ही गैरमुनासिब है । मुझे यह भी बताया गया, अभी सूचना प्राप्त हुई है, सरकार बताये कि कहां तक यह सही है, अगर सही न हो तो मैं इस बात को वापस लेने को तैयार हूं । मुझे यह बताया गया कि एक करोड़ रुपये का प्राविधान साज-सज्जा के लिये किया गया । जितने पी० डब्ल्यू० डी० के इंसपेक्शन हाउस हैं उत्तर प्रदेश में उनके रेनोवेशन की स्कीम बनाई गई। जितनी चीजें हैं कटलरी और काकरी की, वह बाहर से लायी जाएं और फर्स्ट क्लास की बनायी जाएं । उसके लिये रुपये का प्राविधान किया गया । जितने डनलप पिलोज हैं वह फर्स्ट क्लास के हों और उच्च स्तर का फर्नीचर हर डाक बंगले में दिया जाय और कुछ डाक बगलों को एयर कन्डीशन्ड किया जाय । और भी अनेक खर्चे लाए गए जो इससे संबंधित हैं । एक करोड़ की लागत का कुल है । जो मजबूरन आजकल की परिस्थिति में मंजूर कराया गया ।

एक और सूचना मुझे मिली है । किसी-किसी डिपार्टमेन्ट ने, जिससे कटौती के लिये कहा गया, बढ़ौती का प्रस्ताव कर दिया। जैसे शिक्षा विभाग में उन्होंने चार एडीशनल डायरेक्टर्स की सिफारिश कर दी । किस-किस चीज में कटौती करनी चाहिये इसके लिये चार एडीशनल डाइरेक्टर्स चाहिये । इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० में एक इंजीनियर इन चीफ है तो चार चीफ इंजीनियर्स चाहिए । ऐसा मिलीटेड करते हैं हमारे कटौती के सजेशन पर कि मैं मान्यवर, आपसे कुछ कह नहीं सकता । बजट आने वाला है---चुनाव करा दें तो हमें कोई चिन्ता नहीं, लेकिन यहां बजट आने वाला है तो आप उसमें देखेंगे । यह करते क्या हैं ? इस सरकार की क्षमता क्या है ? गुजराल जी ने कहा है कि इनको लगभग ९ करोड़ रुपया मकान बनाने के लिये दिया, लेकिन २ करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए । वह कहते हैं कि खर्च करें तो हम ५० करोड़ दे सकते हैं । इसी तरह से ऋण प्रोग्राम के लिये ६० करोड़ रुपया मिला जिसमें से कुल १६ अरोड़ ही खर्च कर पाये हैं । तो यह हाल है । हां, टैक्स जरूर लगा देंगे.....।

श्री अधिष्ठाता---

थोड़ा संक्षिप्त कर दें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

अगर यह कटौती करते और फिर व्यय की आवश्यकता होती तो हम उस बात को समझ सकते थे और इस बात को मानते कि हम अपनी कमर कसें । आपने कितना कष्ट बर्दाश्त किया ? इतने तो ऐसे संकट हम पर रहे और फिर ऊपर से टैक्स का बोझा । हमारे माननीय सदस्य ने बहुत ठीक कहा कि पिछले अनेक वर्षों में प्राइस इंडेक्स बढ़ता ही गया है । पिछले वर्ष से इस साल भी १० प्रतिशत बढ़ा । तो महंगाई इतनी है । नमक, तेल, कोई भी जरूरत की चीज बची नहीं । सब महंगी हो गई । सारी गरीब जनता पर उसका असर पड़ता है । इस महंगाई को बर्दाश्त करते हुए जनता टैक्सों का बोझ सहन किये जा रही है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । डिपेस एरिया की वसूली हो रही है । मुझे याद है, जिस प्रकार इस वक्त वसूली हो रही है, अंग्रेजों के जमाने में होती थी कुछ न कुछ बहाना

लेकर उनका चालान कर दिया जाता है। आज देहात में, किन शब्दों का प्रयोग करूं, आपके जानवर गरीब आदमियों का शोषण कर रहे हैं। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। आपके बी० डी० ओ०, बी० एल० डब्लू०, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर समाज पर छूटे हुए हैं। वे कहते हैं, "प्यारे भाइयों, जितना लगान माफ हुआ है उतना तो कम से कम दो"। साहूकारों से कहते हैं कि इतना दो, नहीं तो चालान कर देंगे और कोई रोक नहीं पायेगा। आज के जमाने में कोई सुनेगा भी नहीं क्योंकि रुपया नेशनल डिफेंस फण्ड में जा रहा है। आज जितनी सरकारी मशीनरी है वह सब तरफ फल गयी है कि जितने करोड़ रुपये पहले वसूल हुये थे उससे अधिक रुपया वसूल हो, रुपया वसूल हो, ठीक है, मगर स्वैच्छा से वसूल हो। आप जनता को कितना दबायेंगे ? सारा बोझ गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है, समाज की नींव पर पड़ रहा है और उस पर छूटे हुए हैं ये जानवर।

इतना ही नहीं, श्रीमन्, जहां-जहां पर रुपया वसूल हो रहा है वहां-वहां इनके बी० एल० डब्लूज० किसी को रसीद तक नहीं देते हैं। चाहे किसी से ५ रु० लें या ५० रु० लें, किसी को रसीद नहीं देते हैं। कोई देखने वाला नहीं है कि रुपये लिये और रसीद क्यों नहीं दी। जबसे मैंने होश संभाला है, कम से कब ३० वर्ष से तो मैंने इतनी ज्यादती नहीं देखी है वसूली के सिलसिले में। जितना भी कन्डम किया जाए इस सरकार को उतना ही कम है। गरीब जनता पर इतना अत्याचार हो रहा है। मैं मानता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को पता नहीं होगा और वित्त मंत्री जी को भी पता नहीं होगा और मुझे तो यह भी पता नहीं है कि उन्होंने इस विषय के संबंध में क्या आदेश दिये हैं। क्या ये आदेश दिये हैं कि खुली छूट है सताओ और जो सतायेगा उससे हम नहीं बोलेंगे। मस्तिष्क के पीछे से यह आवाज उठती है कि यह ब्यूरोक्रेसी कब तक गरीब जनता का रक्त चूसती रहेगी। जनता आज त्रस्त है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं सारे के सारे गरीब जनता पर छूटे हुए हैं। लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि ५ करोड़ रुपया वसूल करना है।

मैं फिर दुहरा देता हूं। देहात से लोग मेरे पास आए और कहा कि जानवर छूटे हुए हैं रुपया वसूल करने के लिये। उनमें कोई मानवता नहीं है। वे यह अत्याचार इसलिये कर रहे हैं ताकि उनकी तरक्की हो जाए। आज के युग में तरक्की ऐसे होती है, मैरिट पर तो नहीं होती है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज किन परिस्थितियों में ये टैक्स लगा रहे हैं। आपको यह वचन देना चाहिये था कि जिस दिन बंगला देश हमारे हाथ से निकल जायगा उस दिन से हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे। आपने यह घोषणा नहीं की। आपका यह घोषणा न करना आपकी बदनियती बताता है।

मैं यह कह रहा था कि आज किस परिस्थिति म यह अधिनियम आ रहा है। आप यू० पी० इन्टरटेनमेंट एण्ड बेटिंग टैक्स लाये। आपके पास इसके लगा की कोई दलील नहीं है। टैक्स लगाने का एक प्रिंसिपल है। कर अवश्य लगा जायं नहीं तो प्रशासन का काम नहीं चलता है, मगर यह देखा जाय कि उस टैक्स को देने की स्थिति में कौन है और कौन नहीं है। जो गरीब हैं उन पर टैक्स न लगाया जाय। जनता की भलाई के लिये टैक्स जरूर लगा जा या उन पर टैक्स लगाये जायं जिनसे कि कर की वसूली हो सकती है। कर बड़े लोगों पर लगा करके छोटों को राहत दी जाय। आप किसी दिन सिनेमा में जाकर देखें कि कौन अधिकतर सिनेमा देखते हैं। मैं तो सिनेमा देखने जाता नहीं हूं। आप देखेंगे कि सबसे कम दर्ज में बैठने वालों की संख्या अधिक होती है। उन पर भी वही टैक्स लगे और बड़ों पर भी वही टैक्स। आपने गरीब को तो खूब सताया। यह इसकी चिन्ता नहीं करते क्योंकि कोई फुलझड़ी निकाल देंगे। स्टेम्प ऐक्ट में भी वही प्रभावित हुए। अगर अस्पताल में मैं जाता हूं और २५ पैसे मांगते हैं तो मेरी हैसियत है, २५ पैसे मेरे लिये कोई बात नहीं लेकिन कोई ग रीब जाता है, उससे २५ पसे लिये जाते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी में बहुत फर्क

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

है। सेल्स इस बेंटिंग टैक्स में दो पैसे देना पड़ता है ो, है, लेकिन बड़े आदमी के लिए दो पैसे कोई चीज नहीं, गरीब के लिए दो पैसे भी बहुत हैं। हर जगह आपने गरीब को दबोचा। आप जानते हैं कि गरीबों की संख्या अधिक है इसलिये उन पर टैक्स लगाते हैं। अधिकांश इसका असर पड़ेगा गरीब जनता पर, लिटिगेट पब्लिक पर। ९५ फीसदी कचहरी में गरीब जाता है, जो मजबूर है, राहत नहीं पा सकता या किसी ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया, सबसे ज्यादा स्टेम्प ऐक्ट से वह प्रभावित होगा। मीटर पर टैक्स लगा दिया, यह बहाना है कि प्राइवेट मोटर्स पर टैक्स लगा है, लेकिन प्राइवेट कैरियर्स चलते हैं, उन पर टैक्स लगायेंगे उसके कारण कीमत जो बढ़ेगी उसका किस पर बोझ होगा? हर तरह से आपने गरीब को सताया। क्या कारण थ कि आपने टैक्स लगाया। कौन सा जादू था, कौन सा फाइनेंशल शैतान था, जिसने लाकर आपके मस्तिष्क में डाल दिया और यह आइडिया निकाल दिया? परिस्थिति इकेला कारण नहीं है, परिस्थिति में जाकर किसी डेवलपमेंट पर पहुंच जायं तो मुनासिब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरे समय में आपने कहा कि समाप्त करो, मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पब्लिक में घसीटा जाय, आपके इस अंश की बात मानता हूं, अगर आवश्यकता है, समाज के सामने रखिये, प्रतिनिधियों के सामने रखिये, उनके विचार सुनिये, यदि प्रतिपक्ष की बात को वजन देने की बात है तो अवश्य दीजिये। हमें सन्तोष रहेगा कि हम लड़े, हम हार गये समझा नहीं पाये। बुद्धि वाले कोने को खटखटाने का अवसर नहीं देते। इसको वापस न लें तो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजिये। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय, जो यह कर लगाया गया है यह निराले ढंग का है। दुनिया में किसी प्रजातन्त्रीय देश में आज तक अध्यादेश के माध्यम से कर नहीं लगा। हिन्दुस्तान पर आक्रमण १९६२ में हुआ, १९६५ में हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में आप बोलिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कितने मिनट लूं आप बता दीजिये?

श्री अधिष्ठाता—

आप चार मिनट ले लें। पांच बजे तक विधेयक पारित करना है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं कोशिश करूंगा। अध्यादेश के माध्यम से टैक्स लगाना और वह भी उस समय जब केन्द्र का १५ नवम्बर से सेशन चल रहा था विधान सभा के नियमानुसार पांच नवम्बर से आपको बैठक बुलानी चाहिये थी। आपने सदन की भावनाओं की उपेक्षा की। आपने अध्यादेश लगा दिया। अगर आज देश को पैसा चाहिये तो आज देश सब कुछ निछावर करने के लिये तैयार है। अभी तीन तारीख को शफीक अहमद साहब ने पूछा था आपने उत्तर दिया कि ३१ मार्च, ७१ तक ३२ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में केवल बिक्रीकर का बकाया

है। मेरा अनुमान है कि माननीय त्रिपाठी जी इस कर में से २, ३ करोड़ रुपये से अधिक नहीं पा सकेंगे। मिर्जापुर में हिन्डलको बिरला का कारखाना है जिसे सस्ते दर से बिजली दी जाती है फिर भी उस पर ढाई करोड़ रुपये बिजली के बाकी हैं। ठीक यही हालत केन्द्र में है। ३१ मार्च, ७० तक वित्त मन्त्री ने खुद घोषणा की है देश में ९ अरब ६० करोड़ रुपये कर के रूप में बाकी है। इस प्रकार न केन्द्र सरकार तथा न प्रदेशीय सरकार अपने कर के रुपये को पूंजीपतियों से वसूल कर पाती है और दूसरी तरफ आप अप्रत्यक्ष कर के रूप में खूब टैक्सेज लगा देते हैं जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है, गरीब पर पड़ता है। ऐसी सरकार समाजवादी सरकार कहने की हामी नहीं हो सकती। माना कि समाजवादी सरकार में डेवलपिंग इकोनामी में कर लगाये जाते हैं लेकिन आप अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगा रहे हैं और उस पर आप समाजवादी बनते हैं। क्या यही रूपरेखा आपके समाजवाद की है महंगाई बढ़ती है तो उसका असर होगा ही। नमक पर कर न लगाने के लिये गांधी जी ने आन्दोलन किया था लेकिन आपने उस पर भी जब से टैक्स लगाया है नमक बाजार से ही गायब हो गया। बांगला देश के नाम पर आपने नागरिक परिषद बनाई और तीन पदाधिकारी उसके नियुक्त किये महा मन्त्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और तीनों एक ही जाति के बनाये गये। संकट की इस घड़ी में आपको एक ही जाति दिखाई दी। जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ इस सरकार ने बलिया में एक यहिया खां भेज दिया। जिस घाट से सरकार को ढाई लाख रुपये सालाना आमदनी होती थी उसकी सरकार ने एक आदमी को ठेके पर दे दिया जो मुख्य मन्त्री का बड़ा भक्त है। यह ठेका १ लाख ४२ हजार पर दिया गया सारे कायदे कानून को तोड़ कर। एक तरफ गरीबों पर टैक्स लगाया जाता है और दूसरी तरफ उस आदमी को पुल का ठेका दिया जाता है जो तस्करी करता है। डा० सम्पूर्णानन्द ने इस सम्बन्ध में जांच करा कर इस घाट को सरकारी कब्जे में ले लिया था लेकिन अब एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये अनिश्चित काल के लिये यह ठेका दे दिया गया जो हजार प्रति वर्ष रुपया ठेका देने वाले को देगा। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार फैलाया जाता है और एक पार्टी को ताकतवर बनाने के लिये यह सब किया जाता है।

आप देखें कि आज कल दौरों की भी भरमार है। हर जिले में और बलिया में भी हफ्ते में दो-दो मिनिस्टर पहुंचते हैं। यहां यह कहा जाता है कि यह काम नहीं हुआ वह काम नहीं हुआ लेकिन जब अधिकारियों से कहा जाता है तो उनका उत्तर होता है कि मंत्रियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, उन्हीं की सेवा में सारा समय व्यतीत हो जाता है। मंत्रियों के दौरे पर जितना खर्चा इस समय हो रहा है शायद पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिये मैं कहूंगा कि जो टैक्स लगता है उसका भार गरीब जनता पर ही पड़ता है, जो अनुचित है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक आदमी माननीय मुख्य मन्त्री जी के पड़ोस का रहने वाला बहुत ही गरीब था। उसके बारे में यह बात अखबारों में भी निकली है कि उसके होटल में गुंडागर्दी होती है और उसे छुरे से मारा गया है। वह आदमी कहता है कि उसके जान-माल की रक्षा की जाय। इस सम्बन्ध में उसने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी पत्र लिखा है और उनके परिवार वालों ने उस पत्र को रिसीव भी किया है। उस आदमी ने अपनी जान की रक्षा के लिये मुख्य मन्त्री को लिखा था किन्तु अभी तक उसके जान व माल की रक्षा का कोई प्रबन्ध न हो सका। वहां का थानेदार कहता है कि वह पहले १०० रुपये महीने बांध ले तब उसके जान माल की रक्षा हो सकती है। मान्यवर, यही नहीं नैपाल से ४०० लोग जो पूर्वी भारत में हैं उत्तर प्रदेश के हैं, निकाले जाने पर गोरखपुर में बसे हैं। किन्तु गोरखपुर की महाराजगंज तहसील में आज जितने लोग बसे हुये हैं उन्हें उजाड़ा जा रहा है, मैं वहां एक दफे पता लगाने गया तो मालूम हुआ कि लोग वहां पर सरकार द्वारा बसाये हुये हैं...।

श्री अधिष्ठाता—

यह विधेयक कर से सम्बन्धित है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बड़ी तो मैं कह रहा हूं कि आप जब गरीब आदमियों के जान माल और उनके हित की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप यह कर क्यों जा रहे हैं। कर तो शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये जनता देती है। इसलिये मैं माननीय कृष्णनाथ सिंह जी के इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हूं कि इस विधेयक को अवर समिति के पास जाने दिया जाय और वही इस पर निर्णय करेगी...।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें...।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

जब कोई दुखद घड़ी आती है तो आप इन्दिरा देवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम घूस नहीं लेते जांच करालें। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और यदि नेता सदन की यही राय हो जाय तो इस बिल के विचार के लिये एक-दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। क्योंकि मैंने देखा कि जब हमारे नेता बोल रहे थे तो समय कम होने के कारण उन्हें भी बीच में टोकना पड़ा। इसलिये मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि चूंकि इस पर काफी सदस्य बोलना चाहते हैं अतः इसके लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक पर विचार करने हेतु यही समय निश्चित किया है...।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो सही है इसीलिये तो नये सिरे से प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, मैं यह आग्रह कर रहा था कि इस विधेयक के लिये कार्य मंत्रणा समिति में समय निश्चित हो गया था और जो बाकी विधेयक हैं और अन्य बिजनेस हैं उसके लिये भी समय निश्चित किया है। अब आगे चला जाय और अन्य बिजनेस लिया जाय उसके बाद कुछ पार्टी मीटिंग्स भी हैं...।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, २ घंटे का मतलब होता है १२० मिनट और इस समय को सभी लोगों में बांट दिया जाय। मैं नहीं मानता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की बात न मानी जाय किन्तु यह भी सही है कि पब्लिक हित में जो विषय हो और उसमें माननीय मुख्य मन्त्री की भी राय हो तथा चूंकि इस विधेयक से सभी के पाकेट टच हो रहे हैं इसलिये यदि समय बढ़ाने को मांग की जाय तो अच्छा ही है...।

श्री अधिष्ठाता—

इसका जवाब तो मन्त्री जी ने दे दिया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा भी यही प्रस्ताव है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जहां तक समय बढ़ाने वाली बात है वह उचित भी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप सिर्फ ४ मिनट बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सिर्फ ५ मिनट का समय चाहूंगा। श्रीमन्, जहां तक बंगला देश का प्रश्न है उस सम्बन्ध में इस सदन ने प्रस्ताव पास भी किया है। यह भी सही है कि हमारा देश राष्ट्रीय संकट की घड़ी में अपनी पूरी कुरबानी देने के लिये तैयार है। यह भी सही है कि इस संकट की घड़ी में यदि किसी ने देश को अपनी कुरबानी दी है तो वह जनता का मेहनत करने वाला गरीब वर्ग ही था लेकिन यह भी हुआ है कि जब इस संकट का बोझ डालने का और करों के लगाने का सवाल आता है तो सबसे बड़ी मार उस जनता पर मारी जाती है जिसकी कमर पहले से ही गरीबी से टूटी हुई है। बजट आने वाला है, अगर सरकार इन्हीं नीतियों पर चलेगी जिन पर अबतक चलती आ रही है तो करों का बोझ आक जनता पर कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा क्यों ? इसलिए कि भले ही आज हमारी सरकार समाजवाद की नीति और प्रगतिशील नीतियों की बात करे लेकिन यह हकीकत है कि जो आर्थिक नीतियां कांग्रेस की उस वक्त थीं जब वह एक थी वही रास्ता आज भी है और उसी रास्ते पर कांग्रेस आज भी चल रही है। अगर बड़े-बड़े कारखाने दारों से ३२ रुपया सेल्स टैक्स का वसूल करनेकी आपकी हिम्मत नहीं है तो जरूर गरीब जनता पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर बिड़ालको के ऊपर, बिरला के ऊपर जो ढाई करोड़ का बकाया है उसको वसूल करने की हिम्मत नहीं रखते तो जरूर गरीब जनता पर कर लगाना पड़ेगा। इस प्रदेश की चीनी मिलों को लेने की सरकार की जो घोषित नीति है और अगर उनको लेने की हिम्मत सरकार नहीं करती तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह जाता कि आप गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगायें। अगर आप उस पूंजीवादी रास्ते को पकड़े रखेंगे जिसको लेकर इन २२ सालों के अन्दर इस देश और प्रदेश के अन्दर यह हालत पैदा कर दी है तो आपके सामने कोई चारा नहीं है सिवाय टैक्स लगाने के गरीब जनता पर ।

दूसरा भी रास्ता है । वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि केंद्रीय सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया कि किन चीजों पर टैक्स लगाओ । क्या इस देश के अन्दर विदेशी कम्पनियां नहीं हैं, उन देशों की जिन्होंने इस हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में खुलेआम हिन्दुस्तान की मुखालिफत की है । क्यों नहीं हिम्मत करते कि उनको अपने हाथ में लें । क्या यह सही नहीं है कि अमेरिका और ब्रिटेन की पूंजी यहां लगी हुई है जिसके जरिये हमारे देश की दौलत बाहर जाती है । अगर उसको अपने हाथ में नहीं लेंगे तो आपके सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगायें ।

बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या इस संकट का बोझ इस कमजोर वर्ग पर डालेंगे ? क्या आप में हिम्मत नहीं है इस प्रदेश के अन्दर जो धनवान, बलवान वर्ग है जो हमारी आर्थिक नीति पर छाया हुआ है, अगर उन पर लगाम नहीं लगायेंगे तो कोई रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि गरीब जनता पर टैक्स लगायें। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह नीति का, रास्ते का प्रश्न है, आर्थिक ढांचे का प्रश्न है । जबतक इस पूंजीवादी ढांचे पर चोट नहीं करेंगे, वास्तव में समाजवाद की तरफ आप नहीं जायेंगे तो कोई रास्ता नहीं रह जाता । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केंद्रीय सरकार ने जो १७० करोड़ रुपये के टैक्स बंगला देश के शरणार्थियों के संबंध में लगाये थे उस समय हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्री चरण साहब ने यह कहा था कि यह कर अस्थायी हैं, टैम्पोरेरी हैं और केवल उस समय तक लगे रहेंगे जब तक बंगला देश के शरणार्थी इस देश में रहते हैं और जैसे वह वह चले जायेंगे, ये कर समाप्त हो जायेंगे । परन्तु हमारी विधान सभा के अन्दर यह अध्यादेश आज विधेयक के रूप में जब आ रहा है जब बंगला देश के शरणार्थियों का जाना यहां से प्रारम्भ हो चुका है । लाखों की संख्या में शरणार्थी वापस जा रहे हैं । परन्तु इस संबंध में एक बात और भी कहना चाहूंगा । इसी विधान सभा के अन्दर हमें यह बताया गया कि इस प्रदेश के अन्दर केवल इलाहाबाद जिले के अन्दर बंगला देश के शरणार्थी आये हैं, पर उन पर खर्चा भी केंद्रीय सरकार करेगी, प्रदेश की सरकार नहीं करेगी । जब केंद्रीय सरकार बंगला देश के शरणार्थियों पर खर्च करेगी और उसने उन बंगला देश के शरणार्थियों के लिये १७० करोड़ के नये टैक्स लगाये फिर समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह टैक्स किस लिये लगाने पड़ गये ?

देश में एक राष्ट्रीय भावना जागी एक सद्भावना जागी, लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ और बंगला देश को मान्यता देने की एक प्रबल आवाज पैदा हुई हमारी सरकार ने सोचा कि जनता की इस भावना का लाभ लेकर जो बजट में घाटा है उसको पूरा कर लें और इस चतुराई से टैक्स लगाये जायं कि जनता समझे बंगला देश के लिये पाकिस्तान से लड़ने के लिये यह टैक्स लगाये जा रहे हैं । उस समय जनता में प्रबल भावना थी कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाय और देश को अखंड कर दिया जाय । जब देश की अखंडता का सवाल आया तो टैक्स क्या चीज है जनता बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार हो गई । लेकिन यह जो टैक्स लगाये जा रहे हैं यह बंगला देश की जनता के नाम पर लगाये जा रहे हैं लेकिन वित्त मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इससे कितना पैसा प्राप्त होगा और वह किस तरह से व्यय किया जायेगा ।

इनका यह कहना है कि केंद्रीय सरकार ने आदेश दिये कि अधिभार बढाये जायं । लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से अधिनियमों में संशोधन करके टैक्स बढ़ाये गये, बिक्री कर की दर बढ़ाई गई, लेकिन जब वित्त मंत्री ने देश के शरणार्थियों पर अपने भाषण में जो कहा है उसमें इसको स्पष्ट नहीं किया है कि इन अधिभारों से कितना पैसा प्राप्त होगा और वह किस तरह से शरणार्थियों पर खर्च किया जायेगा ।

मैं समझता हूं कि कल्पनाथ जी का यह प्रस्ताव कि यह जनता के मत के लिये प्रसारित किया जाय, उपयोगी है आपके बजट में घाटा है । लेकिन जो पैसा जनता से प्राप्त होगा उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये । आज भी आपका करोड़ों रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है जिसको वसूल नहीं किया जाता है, खर्चों में कटौती नहीं की जाती है । वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारे बजट में जो घाटा है उसकी पूर्ति के लिये वे सदस्यों की राय लेंगे । लेकिन उनकी राय तो नहीं ली गई । विधान सभा होने वाली थी, फिर भी एक अध्यादेश के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लगा दिये गये । आज महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी ओर महंगाई भत्ते को बढ़ाने का चक्र प्रारम्भ हो रहा है और इन टैक्सों से जीवन की छोटी मोटी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी और आम आमदमी का जीवन स्तर महंगा होगा और उसके खर्च बढ़ेंगे । जरूरी तो यह था कि वित्त मंत्री जी समझाते कि वह महंगाई कैसे रोकेंगे बढ़ती हुई चीजों की कीमत कैसे रोकेंगे । केंद्र के १७० करोड़ रुपये कर लगाने से १० प्रतिशत चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं इस तरह से जनता की राष्ट्रीय भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है । जनता में बड़ा उत्साह था और लड़ाई में नेता लोग पीछे थे और जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे थी । जनता में बड़ा भारी उत्साह फैला हुआ था और जनता चाहती थी कि सेना के बढ़ते हुये चरणों को रोका न जाय । पाकिस्तान की इस प्रवृत्ति को सदा के लिये कुचल दिया जाय जो हजारों वर्ष तक भारत के साथ लड़ाई करने की बात कहता है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह मालूम हुआ कि वित्त मन्त्री महोदय का यह कहना है कि जो टैक्स लगाये जा रहे हैं वह केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर लगाये जा रहे हैं। हम उनको यह बतलाना चाहते हैं कि केन्द्र ने सुझाव सिर्फ इसलिये दिया है कि इसका विकल्प उन्होंने ढूंढ लिया है। विकल्प यह है कि किस तरह से जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में भी मध्यावधि चुनाव करा लिये जायं क्योंकि एक धारा बह रही है कि बंगला देश को आजाद कराया है माननीय प्रधान मन्त्री ने। इसी धारा में जल्द से जल्द चुनाव करा लिये जायंगे तो उत्तर प्रदेश हमारे कब्जे में बना रहेगा। केन्द्र ने सुझाव इसलिये दिया है। लेकिन मैं आपसे व्यावहारिक बात यह कहना चाहता हूं कि कल मैं बाजार गया था। मेरे बच्चे यहां पर रहते हैं। उनके लिए शक्कर लेने गया तो शक्कर २ रु० ७० पैसे मुझको मिली है एक किलो। आज दाम और भी बढ़ गये होंगे। मिट्टी का तेल लोगों को मिल नहीं रहा है। रिक्शावाले बेचारे परेशान हैं कि कहां से मिट्टी का तेल प्राप्त करें। हमारे यहां तो बिजली जलती है लेकिन वे बेचारे परेशान हैं। अब आप अन्दाजा लगायें कि गांवों की हालत क्या होगी । जो रोजमर्रा की उपभोक्ता की वस्तु है उन पर यह टैक्स लगाया गया और इसको बनाये रखा गया तो आप अन्दाज लगायें कि जिस गरीबी को ये मिटाना चाहते हैं और लोकसभा के चुनाव में जिस गरीबी को दूर करने का जनता से वायदा किया क्या वह दूरी हो पायेगी। तो मैं समझता हूं कि गरीबी दूर होने के बजाय गरीब ही इनसे दूर हो जायंगे। और गरीबी मिट जायेगी। तो ऐसी दशा में मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार कैसे समाजवादी है। अगर यह सरकार अपने को समाजवादी कहती है तो क्यों नहीं हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री, जिन पर रोजाना ३० हजार रुपया खर्च होता है, उनके खर्चे को कम करती ? आज केन्द्र के मन्त्रियों के ठाटबाट पर, उनके कमरों की सजावट पर एक-एक लाख रुपया खर्च हो रहा है उसको क्यों कम नहीं करती ? जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। आज ठाटबाट में कमी क्यों नहीं की जाती है ?

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जब आप इन गद्दियों पर बैठते थे तब आप के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र के मंत्री अपने ठाटबाट को क्यों नहीं कम करते ? उत्तर प्रदेश के मन्त्री लोग जो इतना पैसा पैदा करते हैं और जिन पर इतने इलजाम लगाये जाते हैं वह पैसा कम खर्च क्यों नहीं करते हैं। इस तरह का आप गलत काम क्यों कर रहे हैं ? इस प्रकार से आप पूंजीपतियों की हिफाजत कर रहे हैं। पूंजीपतियों से टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। उन पूंजीपतियों पर मजदूरों का लाखों रुपया प्राविडेंट फंड का बकाया पड़ा है । उनको जेल जाना चाहिये था लेकिन आज वह मजा कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बंगला देश के लिये टैक्स लगाना चाहते हैं लेकिन जो पैसा आप लेना चाहते हैं तो उनसे लिया जाय जिनके पास पैसा है। उनके साथ रियायत क्यों की जाती है ? फिर आप कहते हैं कि यह सरकार समाजवादी है। इसलिये मैं कहूंगा कि जो यह टैक्स लगाया जा रहा है इसको वापस लिया जाय तभी उनको समाजवादी नीति की पहचान होगी और गरीब लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

को राहत मिलेगी। इसलिये कल्पनाथ सिंह जी ने जो सुझाव प्रवर समिति के लिये रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस विधेयक को जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे। क्योंकि उनके समर्थन में कोई नहीं बोला, इसलिये उनको ही अपने समर्थन में कुछ कह लेने दीजि ।

श्री अधिष्ठाता---

पहले आप कह लीजिये, उसके बाद वे कहेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सदन की राय इन भाषणों से स्पष्ट जाहिर हो गयी है कि मंत्री जी के समर्थन में एक भी सदस्य नहीं है। सदन की यह सर्वसम्मत राय है कि हमारा संशोधन मुनासिब है। मुझे डर है कि अब वे अपने ह्विप के जरिये से वोटिंग करायेंगे लेकिन किसी सदस्य का दिल उनके साथ नहीं है। जिन लोगों ने अन्तरात्मा के नाम पर यहां बैठना कबूल किया है उनकी अन्तरात्मा मेरे साथ है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जनता की राय जानने के लिय इसको जनता के सामने भेजा जाना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य गोरखपुर और माननीय सदस्य बस्ती को धन्यवाद देता हूं तथा अन्य सभी वक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए उनका यह कहना था कि इसको जनमतसंग्रह के लिय भेजा जाय और माननीय सदस्य बस्ती का यह विचार था कि इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दिया जाय। माननीय सदस्य बदायूं ने अपने ही नेता के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि वे भी इस सिद्धान्त के समर्थन में थे कि कर लगने ही चाहिय। वे केवल जनता की राय जानना चाहते थे या प्रवर समिति में भेजना चाहते थे। उनकी यह भावना स्तुत्य है। अगर उन्होंने उस सिद्धान्त को स्वीकार किया तो वह उस भावना के अनुरूप है जो भावना देश और प्रदेश के कोने कोने में दिग्दिगन्त को आलोकित कर रही है और यह भावना अनुकरणीय भावना है और आक्रमणशील पाकिस्तान का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की भावना का द्योतक है। इसी भावना से प्रेरित हो कर राजनीति में जो एकीकरण हुआ है, उस को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिय मुझे आशा है कि सब लोग इस विधेयक को स्वीकार करेंगे। इसके लिय मैं उसी भावना का आह्वाहन करता हूं। क्या यह सही नहीं है कि जब यह कर केन्द्र में लगाय गये उस समय सभी दलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से उनको स्वीकार किया कि यह कर बंगला देश के शरणार्थियों के लिय और साथ ही साथ राष्ट्र में किय जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों के लिय, लगाये जायं। श्रीमन्, जिस समय इन करों को लगाया जा रहा था वित्त मंत्री जी ने सभी दलों की इस बारे में राय ली और उसमें सभी मुख्य मन्त्री जी मौजूद थे। सभी ने इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार किया कि शरणार्थियों की रक्षा के लिये यह कर लगाये जाने चाहिये। इसके साथ-साथ सभी यह चाहते हैं कि हम किसी भी विदेशी शक्ति के आश्रित न रहें और अपने देश को मजबूत बनायें। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका अपनी सहायता बंद कर के हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो हम कह दें कि हम उसको नहीं लगे और अपने पैरों पर खड़े हो जायं। सर्वसम्मति से इस बात को समथन प्राप्त हुआ था। मुझे सौभाग्य है कि मैं माननीय सम्मानित सदस्य गोरखपुर के साथ में समाजवादी विचारधारा का पृष्ठपोषक रहा हूं। एक बात विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवाद में जी का विनियोग नहीं होता ? क्या समाजवाद में टैक्स नहीं लगाय जात ? क्या समाजव

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में इन्वैस्टमेंट नहीं होता ? सही बात तो यह है कि समाजवाद में समस्त साधनों का एकत्रीकरण होता है ताकि समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। यह जो कर रहे हैं यह कोई समाजवाद को स्थापित करने के लिये नहीं है। उसके लिये तो बड़ा प्रयास करना होगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

समाजवाद की आप ज्यादा दुहाई न दीजिये क्योंकि आपके समाजवाद से भुट्टों का समाजवाद आगे चला गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

समाजवाद की वंशी तो बज ही रही है। मैं यह कह रहा था कि यह जो कर हैं यह तो इस सदन का जो निर्णय था बंगला देश को मान्यता देने का उसके अनुरूप हैं। यह सभी को मालूम है कि बंगला देश के शरणार्थियों के लिय कितनी बड़ी धनराशि की जरूरत है। यहां पर उन शरणार्थियों के लिये लगभग २ से ३ करोड़ रुपये रोजाना खर्च हो रहे हैं। युनाइटेड नेशन्स और दूसरे देशों से तो नाम मात्र की सहायता मिल रही थी। तो इतना खर्च कहां से आता। इसीलिये जनता की मांग थी, सारा राष्ट्र एकमत था कि इन शरणार्थियों को भली भांति रखा जाय जब तक व वापस न जायं। इसलिये यह अधिभार लगाया गया और सारे प्रदेशों में लगाया गया। दिल्ली में भी जहां जनसंघ का शासन है वहां पर भी दो, तीन अधिभार लगाये ह, तमिलनाडु में भी लगाय गये हैं जहां डी० एम० के० का शासन है और उड़ीसा में भी लगाये गय ह जहां आज भी संविद का शासन है। तो यह राष्ट्र के आवाहन पर राष्ट्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ये कदम उठाये गये। यह कहा गया कि यह तो पांच विधेयकों में एक साथ संशोधन किया गया है। यह तो इसलिये किया गया है कि १० पैसा मोटर वेहिक्लस टैक्स में लगाया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कोई तारीख वित्त मंत्री जी मुकर्रर कर दें कि जिस तारीख को यह अपने आप समाप्त हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

तारीख मुकरर करने का अधिकार तो भारत सरकार को है। यह धन जो हम बंगला देश के लिय ल रहे ह यह सारा रुपया हम भारत सरकार को भेज देंगे। हमारे कंसालिडेटेड फंड में इसका एक पैसा भी नहीं जायेगा। लगभग ३ करोड़ रुपये का प्राक्कलन इसके द्वारा है। यह सब रुपया हम भारत सरकार को भेज देंगे और यह तय हुआ कि प्रत्येक प्रदेशीय सरकार जो भी धन इस प्रकार उपलब्ध करे वह केन्द्र को ही भेजेगी और केन्द्र उसे बंगला देश के शरणा-के लिये प्रयुक्त करेगा। आज कितनी बड़ी धनराशि की समस्या है कि एक करोड़ लोगों को बंगला देश वापस भेजना है, उन्हें पुनर्वास का भत्ता देना। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में भी करीब-करीब एकमत था। म समझता हूं कि वही एक मत हमको भी यहां दिखाना होगा। चूंकि सेल्स टवस एक्ट में संशोधन हो रहा है इसमें हमने कुछ असंगतियां जो थीं वह दूर कर दी हैं। चेक पोस्ट लगाने का यह सदन पहले ही निश्चय कर चुका था। दिल्ली से इसमें कुछ कठिनाई हो रही है कि चेक पोस्ट के कैसे लगायी जायंगी क्योंकि दूसरे राज्यों के भी ट्रक्स आते हैं। तो इसमें प्रणाली लिखी है। इसी प्रकार हाई कोर्ट का कुछ फैसला हो गया है कि गुड़ लोटा और शीरा एक ही है। तो मैं सदन से यह आग्रह करूंगा कि यह कोई राजनीतिक होड़ा-होड़ी का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न इस राष्ट्र के जीवन से संबंधित, इस राष्ट्र के एकात्मकता से संबंधित और बंगला देश के शरणार्थियों से संबंधित है। ऐसे प्रश्न को एक दलगत विवाद तक ले जाने की मुझे ऐसे पार्लियामेन्टेरियनों से आशा नहीं थी, मैं तो आशा करता था कि एक मत से यह बिना विवाद के पास होगा, बंगला देश की स्वतन्त्रता के नाम पर, वहां की करोड़ों त्रस्त जनता के नाम पर, वहां के शरणार्थियों के नाम पर और उनके लिय जुटाये जाने वाले संसाधनों

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
के नाम पर यह सर्वसम्मत से पारित होना चाहिये था। मुझे खेद है कि हमारे विद्वान सदस्य गलत परिकल्पना के द्वारा विरोधी दलों में उधर शोभा बढ़ा रहे हैं, उन का भी शासन में इतना ही अनुभव है और उत्तरदायित्व है और यह तो हमारी आप की सबकी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है और यह एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिये जुटाये जाने वाले संसाधनों का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ को जनमत संग्रह के लिये प्रदेश में ३ माह तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो जो अपनी रिपोर्ट १ मास में दे देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, ४ व ५

अध्याय ३

यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स, १९७२ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन

२—यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरटेनमेंट्स ऐंड बेटिंग टैक्स ऐक्ट १९३७ में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(१-क) किसी आमोद में प्रवेश के निमित्त सभी प्रवेश शुल्कों पर दस पैसे प्रति प्रवेश शुल्क की दर से एक अधिभार भी लगया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद कर का अंग समझा जायेगा।"

धारा ११ संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) योगमापी में प्राप्त प्रत्येक दांव अथवा पण के निमित्त स्टुयअर्ड टिकट जारी करेंगे तथा प्रत्येक टिकट पर दस पैसे प्रति टिकट की दर से अधिभार लिया जायेगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त योगमापी कर का अंग समझा जायेगा।"

धारा १४ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) लाइसेंस प्राप्त पणांकक उसके पास प्रस्तुत प्रत्येक पण के निमित्त एक कार्ड जारी करेगा जिसमें पण की धनराशि उल्लिखित होगी, तथा प्रत्येक कार्ड पर दस पैसे की दर से अधिभार लिया जायेगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त पण कर का अंग समझा जायेगा।"

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ ई० का संशोधन

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३-क का संशोधन

५—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३-क में,————

(क) उपधारा (१) में, खंड (क) में, शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायं,

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "तीन प्रतिशत", जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४ व ५ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

धारा ३-घ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ३-घ में,————

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्:—

"(१) सिवाय उस दशा में जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में है, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये व्यापारी द्वारा (चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे), या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय-एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर किये गये—

(क) खाद्यान्न (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं) के क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

(ख) किसी ऐसे अन्य माल के प्रथम क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो—

(१) सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १४ द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर, तथा

१९५६ का ऐक्ट ७४

(२) अन्य माल के संबंध में, पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

ऐसे क्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, और ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायें, अर्थात:—

"(२) यदि उप-धारा (१) के अधीन विज्ञप्ति किसी माल के संबंध में क्रय कर्त्ता अथवा ,यथास्थिति, प्रथम क्रय-कर्ता, चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हो, तो प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उस व्यापारी के ,जो ऐसे क्रय कर्ता को ऐसा माल बेच रहा हो अथवा जिसके माध्यम से ऐसे माल की बिक्री की जा रही हो, ऐसे माल के विक्रय धन पर, जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, और कर की दर वही होगा जो उप-धारा (१) में विज्ञापित की गयी हो।

(३) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन अथवा क्रय-धन पर, यथा स्थिति, उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (२) के अधीन कर देय हो, और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा उसी विक्रय धन अथवा क्रय धन पर कर का देनदार न होगा।

(३-क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष का उसका विक्रय-धन अथवा क्रय-धन अथवा दोनों, जैसी भी दशा हो, बारह हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसने—

१९५६ का ऐक्ट ७४

(क) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो, या

(ख) उपधारा (7) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र अथ । घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो,

और ऐसी दशा में वह, अपने विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों के उक्त न्यूनतम से कम होते हुए भी, ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन पर उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित दर से कर का देनदार होगा।"

(ग) उप-धारा (५), में शब्द "तीन प्रतिशत", जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं; और

(घ) उप-धारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(७) (क) जब तक कि व्यापारी विक्रेताव्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर, निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अथवा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में किया गया प्रत्येक क्रय-, उप-धारा (१) के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, प्रथम क्रय माना जायेगा।

(ख) जब तक कि माल बेचने वाला व्यापारी ऐसे माल के क्रेता से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में की गयी प्रत्येक बिक्री, उप-धारा (२) के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को की गयी बिक्री मानी जायेगी।"

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उप-खंड (घ) के पश्चात् निम्न-लिखित नया उप-खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात्:—

"(ङ) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय तथा सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित माल एक दूसरे से भिन्न समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(क) खांडसारी शीरा, जिसके अन्तर्गत शीरा सायर, शीरा गलाबट और शीरा सलावट भी है,

(ख) राब, जिसके अन्तर्गत राब सायर, राब गलावट और राब सलाबट भी हैं;

(ग) गुड़-लोटा और गुड़ रसकट,

और तदनुसार, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उक्त माल में से किसी एक पर धारा ३—क के अन्तर्गत केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है उनमें से किसी अन्य पर इस धारा के अधीन कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका है, अथवा विलोमत।"

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उप-खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ दिया जाय अर्थात्:—

"(ङ) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय तथा सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित माल एक दूसरे से भिन्न समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(क) खांडसारी शीरा, जिसके अन्तर्गत शीरा सायर, शीरा गलावट और शीरा सलावट भी हैं,

(ख) राब, जिसके अन्तर्गत राब सायर, राब गलावट और राब सलावट भी हैं;

(ग) गुड़-लोटा और गुड़ रसकट ।

और तदनुसार, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उक्त माल में से किसी एक पर धारा–३ क के अन्तर्गत केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि उनमें से किसी अन्य पर इस धारा के अधीन कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका है, अथवा विलोमत।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७, ८, ९ व १०

धारा ३–ङ का निकाला जाना ७—मूल अधिनियम की धारा ३-ङ निकाल दी जाय ।

धारा ३–च का संशोधन ८—मूल अधिनियम की धारा ३-च में—

(क) शब्द "पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आधा प्रतिशत" रख दिये जायं,

(ख) स्पष्टीकरण में; शब्द तथा अंक "ऐसे माल के संबंध में जो धारा ४ के अधीन कर से मुक्त हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के संबंध में जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो" रख दिये जायं तथा सदैव से रखे गये समझे जायं ।

धारा ८–क का संशोधन ९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में, उपधारा (३) और (३-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"(३) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (२) के अधीन किसी क्रेता से कर वसूल करने के प्रयोजनार्थ व्यापारी द्वारा बेचे गये माल की मूल्य की गणना निकटतम रुपये में की जायेगी, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक का एक रुपया गिना जायेगा और पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा

यदि वसूल किये जाने वाले कर की धनराशि पैसे की भिन्न में हो तथा भिन्न आधा पैसा या उससे अधिक हो तो उसकी गणना अगले उच्चतर पैसे में की जायेगी और आधा पैसा से कम की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा ।

(४) धारा १२ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित दशाओं में, कोई व्यापारी जो माल बेचता है, क्रेता को, यथास्थिति, कैश मीमो या बिल देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेंट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा, और वह उसकी कारबन प्रति को उस कर-निर्धारण वर्ष की, जिसमें वह जारी किया जाय, समाप्ति के पांच वर्ष की अवधि के लिये रखेगा, अर्थात्:—

(क) यदि व्यापारी, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं, ऐसा हो,

(१) जिसका ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन अड़तालिस हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(२) उस दशा में जब व्यापारी ने ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष के केवल एक भाग में कारोबार किया हो, जिसका उस भाग में मासिक औसत विक्रय धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(३) उस दशा में जब व्यापारी ने केवल कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार प्रारम्भ किया हो, जिसका मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो,

और बेचे गये माल का मूल्य पांच रुपये से अधिक है:—

(ख) यदि व्यापारी कोई रजिस्टर्ड व्यापारी है और वह ऐसे माल की बिक्री पर क्रय या विक्रय कर वसूल करता है, और ऐसी दशा में कैश मीमो या बिल में बेंचे गये माल का मूल्य और कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये व्यापारी का ऐसे माल के संबंध में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायेगा ।

(५) धारा १३ में अभिदिष्ट कोई अधिकारी उपधारा (४) में अभिदिष्ट किसी कैश मीमो या बिल पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, के अपवंचन को रोकने के प्रयोजनों के लिये भी उक्त धारा के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ।"

धारा २८ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

जांच चौकियों या नाके की स्थापना और मार्गस्थ माल का निरीक्षण

"२८—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में सड़क द्वारा माल आयात किये जाने के पश्चात् राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अपनी प्रादेशिक सीमाओं के निकट, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है ।

(२) प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो, जो ऐसे परिमाण, माप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, अधिक हो, विक्रेता व्यापारी को एक घोषणा-पत्र, दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित, देगा जिसमें निर्धारित प्रपत्र में, जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे कर-निर्धारक अधिकारी से जिसका उस क्षेत्र पर, जहां वह कारोबार करता हो, अधिक्षेत्र हो, प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित ब्योरे दिये जायेंगे ।

(३) उपर्युक्त माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (२) में अभिदिष्ट घोषणा-पत्र की प्रतियां तथा ऐसे अन्य लेख-पत्र भी, जिसमें ऐसे ब्योरे दिये गये हों, जो निर्धारित किये जायं, अपने साथ ले जायगा, और उप-धारा (१) के अधीन स्थापित किसी जांच-चौकी या नाके को पार करने के पहले उसके प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेखपत्र माल पाने वाले को देगा । जांच-चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा-पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा, और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच-चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणापत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे ।

(४) प्रत्येक ऐसी जांच-चौकी या नाके पर, किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को रोकेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक उस जांच-चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसे अधिकारी को माल तथा उप-धारा (३) में अभिदिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और, यदि अपेक्षित हो, अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी और माल भेजने वाले तथा माल पाने वाले का नाम तथा पता देगा ।

(५) जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को गाड़ी के ऐसे माल को, जो उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(१) जो उपधारा (३) में अभिदिष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो, या

(२) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हों अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख-पत्र को भी रोक या अभिगृहीत कर सकता है ।

१८९८ का अधिनियम ५

(६) इस धारा के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२ और १०३ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण पर लागू होते हैं ।

(७) ऐसे माल और लेख-पत्रों का अभिगृहण किये जाने के संबंध में धारा १३–क और धारा १३ की उप-धारा (३) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(८) उपर्युक्त माल का आयात करने वाला रजिस्टर्ड व्यापारी उप-धारा (३) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों को प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि व्यापारी यह दलील दे कि उसने माल आयात किये जाने के पश्चात् उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ७,८,९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ११

प्रथम अनुसूची का संशोधन

११—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(क) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या १,३२,६८,८९ तथा ९७ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"१—मनुष्य अथवा पशु-श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी हैं ।

३२—समस्त बिजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधित्र तथा समस्त ऐसी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखे, प्रकाश वाले बल्ब, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिनके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्स्चर तथा फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका पात्र तथा पोर्सिलेन एवं अन्य सम्बद्ध सामान तथा सहयोगी भाग, जो चाहे पूर्णतः अथवा भागतः बेचे जाते हैं, किन्तु विद्युत-शक्ति के जनन, वितरण अथवा पारेषण के निमित्त उपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र तथा उनके सम्बद्ध सामान और इलेक्ट्रिक मोटर तथा उसके भाग इसमें सम्मिलित नहीं हैं ।

६८—सभी प्रकार का कागज जिसमें हाथ का बना कागज भी सम्मिलित है, चाहे वह लिखने, छापने, नकल करने, पैक करने अथवा किसी अन्य उपयोग के लिये अभिप्रेत हो ।

८९—देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की स्पिरिट और शराब, जिसके अन्तर्गत शोधित स्पिरिट, विकृत स्पिरिट, मैथाइल एल्कोहल तथा परिशुद्ध एल्कोहल भी है ।

९७—सभी प्रकार के और सभी पेड़ों के, चाहे वे किसी जाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां तथा बांस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गयी हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पादन और जलाने की लकड़ी नहीं है ;"

(ख) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या ८२ तथा ९९ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"८२ इत्र और सुगंधियां जिनके अन्तर्गत अगरबत्ती और धूपबत्ती नहीं हैं ।

९९—टायर और ट्यूब, जिसके अन्तर्गत रबड़ कोरिंग्स तथा मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटरों, मोटरेट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं हैं ;"

(ग) क्रम-संख्या ८९ के पश्चात् निम्नलिखित मद ८९-क बढ़ा दी जाय तथा २२ अगस्त, १९७१ से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
१	२	३
८९-क	इस्पात के तार	नि० अथवा आ०

(घ) क्रम-संख्या १०८ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
१	२	३
१०९	ट्रैक्टर्स तथा टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, उनके भाग, सम्बद्ध सामान और संलग्न वस्तुयें	नि० अथवा आ०
११०	बरफ	" " नि० अथवा आ०
१११	चावल का चूर्ण, चावल की कनी तथा चावल की भूसी	नि० अथवा आ०

(ङ) इस प्रकार बढ़ाये गये क्रम-संख्या १११ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
१	२	३
११२	इलेक्ट्रानिक सामान, सज्जा, उपकरण तथा साधित्र, और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में—

(क) क्रम-संख्या १६ के सामने स्तम्भ ३ में अंक "३१" के स्थान पर अंक "१३" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें;

(ख) क्रम-संख्या १९ के सामने स्तम्भ २ में अंक "१९७३" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "१९७३-ए" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं; तथा

(ग) क्रम-संख्या २८ के सामने स्तम्भ २ में अंक "३२३७" के स्थान पर अंक "३२२७" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड १३

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ के खंड १३ से १९ को पुनः संख्यांकित करके क्रमशः खंड १४ से २० कर दिया जाय, तथा अध्याय ३ में निम्नलिखित खंड १३ बढा दिया जाय, अर्थात्:—

वैधीकरण

"१३—(१) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मल अधिनियम की धारा ३—क या ३—घ के अधीन जारी की गई या जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी विज्ञप्ति अथवा धारा ३—क-ख के प्रभाव से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७२ के प्रारम्भ से पूर्व आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कर, विधि के अनुसार वैध रूप से आरोपित, निर्धारित लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायेगा, मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ३—घ में जोड़ा गया स्पष्टीकरण उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था ।

(२) उप धारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषतः निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) उप-धारा (१) में अभिदिष्ट किसी कर की वापसी के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायेगी और न जारी रखी जायेगी; और

(ख) कोई न्यायालय ऐसे कर की वापसी के लिये कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा ।"

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

एक सूचना माननीय सदस्यों को उनके सूचनार्थ देना चाहता हूं । सदन को ५ बजे के उपरान्त १५ मिनट तक अर्थात् सवा ५ बजे तक बैठने की मैं आज्ञा देता हूं ताकि यह विधेयक पारित हो जाय ।

प्रश्न यह है कि खंड १३ से १९ को पुनः संख्यांकित करके क्रमशः खंड १४ से २० कर दिया जाय, तथा अध्याय ३ में निम्नलिखित खंड १३ बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

वैधीकरण

"१३—(१) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, मूल अधिनियम की धारा ३-क या ३-घ के अधीन जारी की गई या जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी विज्ञप्ति अथवा धारा ३ क-ख के प्रभाव से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७२ के प्रारम्भ से पूर्व आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित, निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कर, विधि के अनुसार वैध रूप से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायेगा, मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ३-घ में जोड़ा गया स्पष्टीकरण, उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था ।

(२) उप-धारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषतः निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) उप-धारा (१) में अभिदिष्ट किसी कर की वापसी के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायेगी और न जारी रखी जायेगी; और

(ख) कोई न्यायालय ऐसे कर की वापसी के लिये कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि नया खंड १३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १३ से १७ (पुनः संख्यांकित खण्ड १४ से १८)

यूनाइटेड प्रांविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९५५ की धारा ४ का संशोधन

१३—यूनाइटेड प्रांविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद १, २, ३ और अनुच्छेद ४ के खंड (१) (२) और (३) में अभिदिष्ट गाड़ियों के संबंध में उपर्युक्त प्रकार से देय कर की धनराशि पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार दिया जायगा, और ऐसा अधिभार इस अधिनियम की धारा ११ तथा अन्य उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त कर समझा जायगा ।"

धारा ५ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ५ में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन १५ नवम्बर, १९७१ से ३१ दिसम्बर, १९७१ तक की अवधि के लिये देय अतिरिक्त कर का भुगतान १५ जनवरी, १९७२ को या उससे पूर्व किया जायेगा।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग बी (परिवहन गाड़ियां) अनुच्छेद संख्या ४ (यात्रियों तथा यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये भाड़े पर चलने वाली गाड़ियां) के संबंध में द्वितीय तथा तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि (२) और (३) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां १ जनवरी, १९७२ से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"स्तम्भ २	स्तम्भ ३	
(२) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली।		४००
(३) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली।	(क) तीन पहियों वाली	४००
	(ख) अन्य	५००

(ख) भाग बी के पश्चात् निम्नलिखित भाग 'सी' बढा दिया जाये और उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

भाग 'सी'

स्पष्टीकरण

१—जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा।

२—"भार-विहीन वजन" का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्जे, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिये, जब वह चलती हो, आवश्यक हों और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

३—"प्राधिकृत भार" का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटाकर निकाला जा सके।

४—"वायवीय (न्यूमैटिक) टायर" का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव स हवा भरी गयी हो।

५--"लचीले टायर (रजीलियेंट टायर)" का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत-निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे ।

६--"लचीलापन-रहित टायर" का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचीला टायर हो ।

७--यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका, अनुच्छेद, ४,५ और ७ के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायगी ।

८--किसी ऐसी मोटरगाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद ४ से ७ में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो, सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक मोटर गाड़ी समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा विहित समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है ।

अध्याय ५

इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ का संशोधन

१६--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा-संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३-ए के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

अतिरिक्त कर से भारणीय अन्य संलेख-पत्र

"३-एए--(१) अनुसूची १-बी के अनुच्छेद संख्या १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १५, १६, १७, १७-ए, १७-बी, १८, १९, २०, २२, २३, २४, २५, २६, २८, २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ३४-ए, ३५, ३६, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२(बी) या (सी) ६३, ६४ या ६५ के साथ पठित धारा ३ के अधीन शुल्क भारणीय प्रत्येक संलेख-पत्र पर ऐसे शुल्क के अतिरिक्त १० पैसे शुल्क होगा ।

(२) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथा सम्भव, उपधारा (१) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क पर उसमें अभिदिष्ट संलेख-पत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन संलेख पत्रों के संबंध में धारा ३ के अधीन भारणीय शुल्क के संबंध में लागू होते हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त धारा ९ के खंड (ए) के अधीन कोई ऐसा नियम या आदेश, जिसमें किसी संलेख-पत्र या किसी वर्ग के संलेख-पत्रों पर देय शुल्क को कम किया जाय अथवा छूट दी जाय, उस संलेख-पत्र पर उपधारा (१) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क के संबंध में लागू न होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उप-धारा (१) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क धारा ३ के स्पष्टीकरण क प्रयोजनाथ शुल्क की कुल धनराशि में शामिल नहीं किया जायगा।"

१७--मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में,--

अनुसूची १-बी का संशोधन

(क) वर्तमान अनुच्छेद २५-ए की संख्या बदलकर ३४-ए कर दी जाय;

(ख) अनुच्छेद २५ के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"२५-ए--माल के क्रय या विक्रय पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखने के लिये अपेक्षित पांच रुपये से अधिक धनराशि के लिये किसी बिल या कैश मीमो का प्रतिरूप या द्वितीय प्रति (जिसके अन्तर्गत प्रति-पर्ण या कार्बन प्रति भी है)--दस पैसे।

टिप्पणी: इस अनुच्छेद में नियत शुल्क के संबंध में धारा ३ का स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १३ से १७ तक (पुनः संख्यांकित खंड १४ से १८ तक) विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८ तथा १९ (पुनः संख्यांकित खण्ड १९ तथा २०)

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ का संशोधन

१८--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायें, अर्थात्--

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३, १९६२ की धारा ३ का संशोधन

"(३) इस उपधारा के प्रवर्तन के दिनांक से और उसके पश्चात् ऐसी गाड़ी द्वारा, जो केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलाई जाने वाली यात्री गाड़ी न हो, ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिये किराये पर दस पैसे की दर से अतिरिक्त कर (यदि ऐसी यात्रा के लिये साधारण किराया एक रुपये से कम न हो) लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा राज्य में प्रत्येक यात्रा के संबंध में यात्री गाड़ी के परिचालक को देय होगा।

स्पष्टीकरण:--इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर, ठेका गाड़ी की दशा म, उन यात्रियों की संख्या के संबंध में, जिनके संबंध में उसमें स्थान की व्यवस्था है, लगाया जायेगा, चाहे वास्तव में ले जाने वाले यात्रियों की संख्या कुछ भी हो।

(४) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासंभव उपधारा (३) के अधीन भारणीय अतिरिक्त कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपधारा (१) के अधीन कर के संबंध में लागू होत हों, किन्तु धारा

५ की उपधारा (१) का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड उक्त अतिरिक्त कर के संबंध में ऐसे परिवर्तन या परिष्कार के साथ लागू होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में पद "नगर" और "नगरपालिका" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ और यूनाइटड प्राविंसेज म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, १९१६ में उनके लिये दिये गये हों।"

उत्तर प्रदेश अध्या- १९—उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा देश संख्या १९, निरस्त किया जाता है।

१९७१ का निरसन

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

"धारा १८ में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधि नियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (४) की पंक्ति ३,४ के शब्द 'किन्तु · · · निदेश दें' निकाल दिया जाय।"

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी संसदीय प्रणाली के किसी सदस्य से कम हिमायती नहीं हैं। वे कानूनसाजी (Legislation) का कोई ऐसा कदम नहीं उठायेंगे कि जिससे संसदीय गरिमा को आघात पहुंचे। वे मुझसे सहमत होंगे कि आवश्यक विधायीकृत विधान मण्डल को ही करना चाहिये। यह विधान मंडल का कर्त्तव्य है और अधिकार भी है। इस काम को कार्यपालिका को देना, विधान मंडल के अधिकारों का बड़ा हनन होगा। मान्यवर यह जो उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ प्रस्तुत किया गया है, इसमें इस बात का खंड १८ में प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ५ के दूसरे प्राविजो में जिस प्रकार कार्यपालिका चाहे, उसमें परिवर्तन कर दे। मान्यवर, इस विधान मंडल के किसी अधिनियम में यदि कभी किसी संशोधन की आवश्यकता पड़े, तो सबसे पहले वह इस सदन के सामने आये। यह एक सैद्धांतिक बात है। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई क्लाज रखना अवैधानिक भी है। इस संबंध में एक ला केस पेश करना चाहता हूं जिसे आमतौर से बोनस केस कहते हैं। पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट, १९६५ में केन्द्रीय सरकार को संसद ने यह अधिकार दिया था कि कठिनाईयों के निराकरण के लिए अधिनियम में संशोधन कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि इस प्रकार का अधिकार संसद से कार्यकारी को दिया जाना अवैध है और वह ऐक्ट अवैध करार दे दिया गया।

श्री वंशीधर पांडेय—

इनका कौन-सा संशोधन है.....

अधिष्ठाता—

यह खण्ड १८ को लेकर दिया गया है। उसमें छपा नहीं है, बाद में आया है।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या १८ वां संशोधन भी स्वीकार करेंगे जो अभी छपा नहीं है, इतनी जल्दी ....

श्री शिवराज सिंह—

आप घबड़ाइये मत। मान्यवर, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस सम्बन्ध में रूलिंग पढ़कर सुना देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने यह कहा है "किसी अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न हो तो सामान्यतः विधान मंडल को

ही संशोधन से संदेह या कठिनाई का निराकरण करना चाहिए। अधिनियम के उपबन्धों को परिवर्तित करके संदेह या कठिनाई का निराकरण करना वस्तुतः आवश्यक विधायी प्राधिकार का प्रयोग करना ही है और ऐसा अधिकार कार्यपालिका को प्रतिनिहित नहीं किया जा सकता।" मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंन्ट दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। इन तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन का स्वागत करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सामान्यतः जो माननीय सदस्य सुझाव देते हैं, वह बड़े महत्व के होते हैं और यह भी महत्व का है। लेकिन अगर माननीय सदस्य जो यह खण्ड है उसका अध्ययन करेंगे तो मुझसे सहमत होंगे कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो पहला प्रतिबन्ध है जिसका उल्लेख किया है, जो यात्री– कर लगता है अब तक, मोटर व्हीकल्स टैक्स, आदि, यह लम्प–सम यानी एक मुश्त के रूप में लेने का प्राविधान धारा ५ में है, मूल अधिनियम की। अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक मुश्त के रूप में टैक्स ले सकती है। दूसरा प्राविधान यह है कि अगर कभी टैक्स बढ़ाया जाय तो उसी अनुपात में बढ़ाया जाय और लम्प-सम भी बढ़ाया जाय। मान लीजिये १० परसे ट बढ़ता है तो लम्प-सम भी १० बढ़ जायेगा यानी ११० रु० हो जायेगा। हमने कोई प्रतिशत में नहीं बढ़ाया हमने तो केवल १० पै० यात्री-कर लगाया है इसलिये कोई लम्प-सम का प्रश्न इसम निहित नहीं है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मूल अधिनियम की धारा ५ है उसमें नियम बनाने की शक्ति और विचार करने की शक्ति उसमें मूल अधिनियम में पहले से है। इसमें हमने जो १० पैसा प्रति यात्री टैक्स लगाया है, उसका जो जोड़ होगा वह मिल जायेगा और अधिनियम की धारा का द्वितीय प्रतिबन्ध इसमें लागू नहीं होता। अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १८ तथा १९ पुनः संख्यांकित खण्ड १९ और २० विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब आगे चलें–माननीय कल्पनाथ सिंह–नहीं है.....इससे पहले एक रह गया है। माननीय श्री राम लाल राही। नहीं हैं, तो श्री शिवानन्द नौटियाल इसको पेश करेंगे।

खण्ड १

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) धारा २, ३, ४, ५ धारा ६ के खंड (क) तथा (ग), धारा ८, ९, धारा ११ के खंड (क) तथा (घ), धारा १३, १४, १६, १७ और १८ के उपबन्ध १५ नवम्बर, १९७१ से प्रवृत्त हुए समझे जायंगे, तथा शेष उपबन्ध, अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ के खंड १ के उपखंड (३) में शब्द तथा अंक धारा "१३, १४, १६, १७ और १८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १४, १५, १७, १८ और १९" रख दिय जायें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ के खंड १ के उपखंड (३) में शब्द तथा अंक" धारा १३, १४, १६, १७ और १८ के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १४, १५, १७, १८ और १९ रख दिय जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२

शरणार्थी सहायता तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कतिपय कर विधियों का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री अधिष्ठाता—

अब प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९७२ जसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधिन) विधेयक १९७२ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

अब नियम ५१ की कुछ सूचनायें हैं । माननीय राजेंद्रकुमार शर्मा व माननीय मोहन लाल कपूर की नियम ५१ के अन्तर्गत एक सूचना है । माननीय उपाध्यक्ष ने उस स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त जितने भी प्रस्ताव आये हैं वह सभी स्वीकार हुये हैं और वह भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किये हैं । मैं उनके विषय को पढ़ दूं ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने अखबारों में एक खबर पढ़ी है।

श्री अधिष्ठाता—

बदायूं नगरपालिका के २५० सफाई कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें सर्दी की वर्दी नहीं मिली है। यह नियम ५१ अन्तर्गत है और वक्तव्य के लिय ७ तारीख के लिये माननीय उपाध्यक्ष जी ने इसे स्वीकार किया है।

टाइम्स आफ इण्डिया के विरुद्ध श्री चरण सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परसों जो यहां भाषण हुये या बहस हुई और माननीय त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का स्वागत करते हुये जो मैंने वक्तव्य दिया उसकी रिपोर्ट आज टाइम्स आफ इंडिया में छपी है। उसमें यह कहा गया है कि दी चीफ मिनिस्टर रिडीक्युल्ड दि स्टेटमेंट आफ मि० चरण सिंह दैट इज इंडिया वाज मोर पावरफुल, इट शुड हैव वैनिश्ड पाकिस्तान। देयर वाज नो जस्टीफिकेशन फार डूइंग सो। मैं इसका अनुवाद करके सुना दूं। मुख्य मंत्री जी ने चरण सिंह के इस बयान का मजाक उड़ाया क्योंकि भारतवर्ष शक्तिशाली था और उसको चाहिये था कि पाकिस्तान को खत्म कर दे। इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं था।

मान्यवर, मैं मूव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

मान्यवर, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही। यह सब को मालूम है आप सब जितने यहां पर बैठे हैं। मैंने यह कहा था कि सीज फायर का आफर उनकी तरफ से आना चाहिये था। तब हमें ए क्सेप्ट करना चाहिये था इस शर्त के साथ कि मुजीब्वुर रहमान रिहा कर दिये जायें, कितनी जमीनें लें, काश्मीर लें या न लें, इस्लामाबाद पहुंचे या नहीं, यह मैंने एक भी शब्द नहीं कहे। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह बात कहूंगा कि जो इसमें लिखा है माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से उसमें कहा गया है हमने कहा कि पाकिस्तान को खत्म करना चाहिये चूंकि हिन्दुस्तान ज्यादा शक्तिशाली है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात नहीं कही है तो उसको स्पष्ट करने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, अखबारों की रिपोर्टों पर क्या बहस की जाय। अभी तो मने उसको पढ़ा भी नहीं और चौधरी साहब ने उसको कहा। सदन में जो व्याख्यान हुये हैं उसकी प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं उसको चौधरी साहब देख लेते तो यह बात नहीं कहते। अगर कोई चीज हो तब तो बात कहने का अर्थ होता है। मैं तो समझता हूं और जहां तक कि मुझको स्मरण है चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि अगर अप्रैल में ही यह कर दिया गया होता तो यह सब मामला बच जाता। मैंने कहा था कि अप्रैल में पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कोई औचित्य नहीं था। मैंने यह कहा था।

श्री चरण सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मुझको यह आज्ञा दें कि मैं उस अखबार के खिलाफ अवमानना का प्रश्न ला सकं।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसको लिखित रूप में भेज दीजिये ।

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
५ जनवरी, १९७२ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

अविकल प्रति

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर]

सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

क—नकद पुरस्कार

१—उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय थल, जल व वायु सेना के उन सैनानियों को, जिन्हें असाधारण बहादुरी के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र अथवा वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है, निम्न प्रकार धनराशि नकद पुरस्कार के रूप में देती है :—

	रुपये	
परमवीर चक्र ..	१०,०००	(और ५०० रुपये प्रतिवर्ष की वृत्ति ३० वर्ष के लिये)
महावीर चक्र ..	७,५००	
वीर चक्र ..	३,०००	

उपरोक्त पुरस्कार मरणोपरान्त डेकोरेशन की दशा में भी वीरगति को प्राप्त सेनानी की विधवा को दिया जाता है।

२—उत्तर प्रदेश की ओर से उस माता पिता को जिनके ३ या ३ से अधिक पुत्र/पुत्रियां फौज में कार्य करते हैं, उस स्त्री को जिसका पति और २ पुत्र/पुत्रियां फौज में भर्ती हुये हों या उस माता पिता को जिनके एक ही बच्चा हो और वह फौज में भर्ती हुआ हो, को ५ वर्ष के लिये १०० रुपया प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाता है।

३—उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोरसेस सहायता संस्थान द्वारा उन फौजियों के परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हों, स्थाई रूप से अपंग हो गये हों या तो खो गये हों, सहायता संस्थान ने अभी हाल ही में निर्णय लेकर उपरोक्त लाभ भोगियों के लिये निम्नांकित धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था की है :—

	वीरगति होने पर या खोये जाने पर	अपंग होने पर
	रुपये	रुपये
अफसर	५,०००	२,०००
जे० सी० ओ०	३,०००	१,५००
अन्य पदधारी	१,०००	१,०००

खोये जाने वाले फौजियों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली धनराशि दो बराबर किस्तों में दी जायगी और अन्य फौजियों को देय धनराशि एक मुश्त दी जायेगी।

ख—भूमि वितरण

४—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हों, को भूमिहीन विधवा, नाबालिक लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा माता पिता को और गांव सभा क्षेत्र में रहने वाल

भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों को गांव सभा की भूमि के आवंटन में वरीयता दी गयी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटन में भी वही वरीयता उपरोक्त प्रकार के फौज के आश्रितों तथा सैनिकों को इसके अन्तर के साथ दी गई है कि गांव सभा क्षेत्र में रहने की बन्दिश नहीं होगी।

५—अतिरिक्त रेलवे विभाग की भूमि जो "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के अन्तर्गत काश्तकारों को उठायी जाती है इसके बन्दोबस्त में भी मृतक फौजियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता श्रेणी में रखा गया है।

६—जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र में कुमायूं और गढ़वाल मंडलों के रहने वाले सैनिकों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी अस्थान की भूमि देने में उच्चतम प्राथमिकता दी गयी है। भूमि की मांग करने वाले व्यक्तियों की अधिकता को देखते हुये भूमि आवंटन के विषय में यह नीति अपनाई गई है कि किसी व्यक्ति को ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न दी जाय।

ग—ऋण सुविधा

७—सैनिकों के परिवार को मासिक एसाइन्मेंट की धनराशि के २४ गुना के बराबर धनराशि तकावी ऋण देने का प्राविधान है। किसी ऐक परिवार के लिये तकावी की अधिकतम सीमा ५०० रुपये रखी गयी है।

८—लघु और गृह उद्योगों के निर्माण हेतु ऋण देने में भूतपूर्व फौजी अफसरों को वरीयता दी जाती है विशेषतः यदि सुरक्षा संबंधी या ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित उद्योगों का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे उद्योगों के लिय कच्चे माल की पूर्ति मे भी उन्हें वरीयता दी जाती है। लघु एवं गृह उद्योगों के निर्माण में यथासम्भव सहायता एवं तकनीकी परामर्श दी जाती है।

घ—शिक्षा सम्बन्धी रियायतें

९—प्रदेशीय सरकार द्वारा सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों व आश्रितों को शिक्षा हेतु निम्न प्रकार की सहायता दी जाती है :—

(१) जो सेनानी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये हों या अपंग हो गये हों या खो गये हों उनके बच्चों एवं पत्नियों को प्रारम्भिक कक्षा से लेकर स्नात्कोतर स्तर तक पूरी ट्यूशन फीस और मंहगाई भत्ता फीस की छूट।

(२) नीचे के स्तर के से वारत सैनिकों जिनका वेतन ४०० मासिक से कम है के बच्चों और पत्नियों को प्रारम्भिक स्तर से हाई स्कूल स्तर तक पूरी ट्यूशन फीस और मंहगाई भता फीस की छूट।

(३) वीरगति को प्राप्त अपंग और खोये हुये सैनिकों के उन बच्चों को भी फीस की छूट दी जाती है जो बाद में किसी समय शिक्षा संस्थाओं में दाखिल हुये हों।

(४) सेवारत व भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को छात्र-वृत्ति और पुस्तक अनुदान के रूप में प्रारम्भिक स्तर से स्नातक स्तर तक सहायता दी जाती है।

(५) सरकारी तथा गैरसरकारी नर्सरी स्कूलों, गृह विज्ञान, एच० टी० सी०, जे० टी० सी०, ए ल० टी० प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु वीरगति को प्राप्त, अपंग तथा खोये हुय सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाती है।

(६) वीर चक्र शृंखला से अलंकृत होने वाले सुरक्षा सेनानियों के बच्चों को प्रारम्भिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक निम्न सुविधाएं प्रदान की गई है :—

(क) सभी प्रकार की फीस, जिसमें बस शुल्क भी शामिल है, की छूट।

(ख) यदि किसी स्कूल में ड्रेस निर्धारित हो तो यह सरकार द्वारा प्रदान की जायगी।

(ग) होस्टल की फीस निम्नांकित स्तर पर सरकार द्वारा अदा की जायगी :—

	रुपये प्रति मास
अ——जे० सी० ओ० (कमीशण्ड)	१० ..
ब——अन्य जे० सी० ओ० ..	७ ..
स——अन्य श्रेणियां	५ ..
द——एन० सी० ई० (नान कम्बेटेन्ट)	३ ..

(७) अवकाश प्राप्त सैनिकों को शिक्षा सम्बन्धी निम्नांकित सुविधायें प्रदान की गई हैं :——

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को उस क्लास में दाखिल किया जायगा जिस क्लास मे वह फौज में भरती होने से पहले पढ़ते थे।

(ख) ऐसे सैनिकों की फीस कक्षा ११ से स्नातकोतर स्तर तक नहीं ली जायगी।

(ग) ऐसे सैनिकों को छात्र-वृत्ति/पुस्तक अनुदान कक्षा ११ व १२ के लिये और केवल छात्र वृत्ति स्नातकोतर तक की कक्षाओं में दी जायगी।

(८) उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान द्वारा भी लाभ-भोगियों को विभिन्न कक्षाओं के लिये १० रुपये से ६० रुपये मासिक दर से आर्थिक सहायता और २५ रुपय से १२५ रुपये तक पुस्तक सहायता दी जाती है ।

ड०——रोजगार सम्बन्धी सुविधायें

१०——प्रदेश की मेडिकल और इंजीनियरिंग सेवाओं में वर्ष में होने वाली रिक्तियों के सीधी भरती के कोटा में ५० प्रतिशत आरक्षण ऐसे डिग्री प्राप्त डाक्टर एवं इंजीनियरों के लिये किया गया है जिन्हें नवम्बर, १, १९६२ के बाद फौज में अस्थायी कमीशन मिला हो और वह बाद में किसी भी समय फौज से अवकाश प्राप्त किये हो। गैर तकनीकी श्रेणी २ की राज्य सेवाओं मे २० प्रतिशत आरक्षण ऐसे ऐमरजेन्सी कमीशन्ड अफसर तथा शार्ट सर्विस कमीशन्ड अफसरों के लिये रखा गया है जिन्हें नवम्बर १, १९६२ के बाद कमीशन मिला हो और जो बाद में अवकाश प्राप्त किये हों। ऐसे अधिकारियों की प्रदेशीय सेवाओं में भरती किये जाने पर उनकी ज्येष्ठता व वेतन निर्धारण में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे उन्हें फौज में काम करने के कारण अनुचित हानि न हो।

च——व्यावसायिक प्रशिक्षण

११——सरकारी औद्योगिक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपंग सैनिकों के लिये ५ प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। प्रत्येक पोलिटेक्निक में ६० सीटों में एक सीट सैनिकों के बच्चों या अश्रितों के लिये आरक्षित है।

छ——विविध

१२——प्रदेशीय सरकार की ओर से कुछ अन्य सुविधायें भी सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है जिनमें से निम्नांकित उल्लेखनीय हैं :——

(१) मिलिट्री कैन्टिनों को बिक्री कर से मुक्त किया गया है।

(२) स्थानीय निकायों द्वारा विकसित मकान स्थलों में और उनके द्वारा बनाये गये मकानों में १५ प्रतिशत आरक्षण सेनानियों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। यह एलाटमेन्ट "बिना लाभ बिना हानि" के आधार पर निम्न वरीयता क्रम में किया जायगा :—

(क) ऐसे अपंग सैनिक जिनके पास कोई रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(ख) वीरगति को प्राप्त सैनिक की विधवा तथा आश्रित।

(ग) सेवारत सैनिक के परिवार जिनके पास कोई अपना निजी निवास स्थान न हो।

(घ) अन्य सैनिक।

(३) बिजली के कनेक्शनों में सुरक्षा सेनानयों को वरीयता दी जाती है और उनके नलकूपों और पम्पिंग सेटों पर कुल उपबन्धों के साथ निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है।

(४) जिला अधिकारियों के लिये यह निदेश हैं कि सैनिक व उनके परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र पर विशेष रूप से ध्यान देकर शीघ्र निस्तारण करने का प्रयत्न करें।

(५) मालगुजारी व सरकारी देयों की वसूली में आपातकाल स्थिति के दौरान फौजी परिवारों के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही का प्रयोग नहीं किया जायगा।

(६) अदालतों में उन मुकदमों में जिन में कोई सैनिक फरीक हो उनमें इण्डियन सोल्जर्स लिटिगेशन ऐक्ट, १९२५ के अधीन कार्यवाही स्थगित रखी जायगी।

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर]

वर्ष १९७०–७१ व १९७१–७२ में जिला बुलन्दशहर की अनूपशहर तहसील के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची।

वर्ष १९७०–७१ में स्वीकृत कार्य

१—ऊंचागांव–अमरगढ़ सड़क

२—राजघाट—कर्णवास महर्षि दयानन्द स्मारक मार्ग।

३—अनूपशहर—कर्णवास मार्ग ।

४—जहांगीराबाद से विरियाना सोरखा होते हुए अनूपशहर डिबाई मार्ग तक सड़क।

५—शिकारपुर से जहांगीराबाद सड़क।

६—जहांगीराबाद–औरंगाबाद मार्ग।

वर्ष १९७१–७२ में स्वीकृत कार्य

१—बुगरासी दौलतपुर मार्ग ।

संसद भवन

नत्थी "ग"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर]

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	की गई कार्यवाही
१	२	३
(क) जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण/पुर्नानर्माण:—		
१—अमरिया–सितारगंज	..	इस कार्य को विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा १५ दिसम्बर, १९७१ को प्रदान कर दी गई है।
२—जहानाबाद–रिच्छा मार्ग	..	इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा २७
३—खुदागंज–बीसलपुर मार्ग	..	अप्रैल, १९७० को प्रदान कर दी गई थी।
४—बांदा पूरनपुर मार्ग	..	अभी तक इन कार्यों के आगणनों का प्रशासकीय
५—भूदिया–परेदिया मार्ग	..	अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। आगणन बन रहे हैं उनके प्राप्त होने पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जायगा।
(ख) वर्ष १९७०–७१ के आयोजनागत कार्य :—		
१—मार्गों का निर्माण—		
(१) पूरनपुर–रेलवे फीडर मार्ग	..	कार्य प्रगति में है।
(२) देवरिया-कलां-पूरनपुर मार्ग		विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान
२—पुर्ननिर्माण एवं सुधार		करने हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यवाही की
(१) जहांनाबाद-अमरिया मार्ग	..	जा रही है।
जिला शाहजहांपुर—		
(क) सड़क का निर्माण/पुर्ननिर्माण		
उत्तर प्रदेश सड़क निधि के कार्य		
१—बांदा-पूरनपुर मार्ग	..	मुख्य अभियन्ता ने कार्य के विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति २४ नवम्बर, १९७१ को प्रदान की है।
२—कांध--मदनापुर मार्ग	..	प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के लिये विस्तृत आगणन की जांच मुख्य अभियन्ता द्वारा की जा रही है।
(ख) आधुनीकरण		
१—बरेली-इटावा मार्ग (मील २९ से ३५)		कार्य प्रगति पर है।
२—बरेली-इटावा मार्ग (मील ३७ से ५१)		
३—बरेली-इटावा मार्ग (मील ५२ से ६२)		

१	२	३
(ग) १९७०–७१ के आयोजनागत कार्य		
सड़कों का निर्माण:—		
१—कटरा–जलालपुर –खुदागंज मार्ग ..		मुख्य अभियन्ता ने प्राविधिक स्वीकृति २४–११–७१ को प्रदान की है।
२—जलालाबाद–खंडर मार्ग ..		२२–१२–७१ को मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई।
(२) पुर्ननिर्माण एवं सुधार		
१—मैलानी –पंवाया मार्ग		कार्य प्रगति पर है।
२—शाहजहांपुर–निगोही–बीसलपुर मार्ग		अभी तक कार्य का आगणन प्राविधिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४७ पर)

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई कि०मी०	स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	पूर्ण होने की तिथि
	वर्ष १९६९–७०			
(१)	सड़क का निर्माण	शून्य	..	..
(२)	बरेली–मथुरा मार्ग के मील ६५ फ० ६ में काली नदी पर पुल	..	२०,१०,०००	मार्च, १९७२
	वर्ष १९७०–७१			
(१)	कासगंज–इस्माइलपुर मार्ग का निर्माण	२२.५०	१७,४५,०००	यह कार्य मार्च, १९७१ में स्वीकृत किया गया था । विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायगा । निर्माण कार्य जून, १९७५ तक पूर्ण करने का लक्ष्य रक्खा गया है ।
(२)	पुल	..	शून्य	

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५० पर)

(१) गोरखपुर–फरेंदा–धानी–उस्का–लुम्बनी

(१०–३–७० से यह सेवा प्रारम्भ हुई)

१०–३–१९७० से २२–३–१९७०
२५–३–१९७० से ३१–३–१९७०
१–४–१९७०–से ३०–४–१९७०
१–५–१९७० से २०–५–१९७०
२२–५–१९७० से १६–६–१९७०

(२) सुनौती–फरेंदा–धानी

१–१–१९७० से २०–१–१९७०
२२–१–१९७० से ३१–१–१९७०
१–२–१९७० से १९–२–१९७०
२३–२–१९७० से २८–२–१९७०
१–३–१९७० से २२–३–१९७०
२५–३–१९७० से ३१–३–१९७०
१–४–१९७० से ३०–४–१९७०
१–५–१९७० से २०–५–१९७०
२३–५–१९७० से ३१–५–१९७०
१–६–१९७० से १६–६–१९७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५१ पर)

वर्ष १९७०–७१	लागत रु० में
१––गोवर्द्धन ड्रेन का सर्वेक्षण तथा अन्य रख-रखाव कार्य ..	१०,७८०
२––गोवर्द्धन नाले की पटरी ऊंची व सुदृढ़ करना	१६,२२०
३––कामा रेगुलेटर के गाइड बांधों को ऊंचा व सुदृढ़ करना ..	२०,०००
योग ..	४७,०००

वर्ष १९७१–७२	
१––कामा रेगुलेटर के गाइड बांधों के सुदृढ़ीकरण कार्य को पूर्ण करना	३३,१६७
२––गोवर्द्धन ड्रेन की पटरियों को सुदृढ़ करना व मथुरा जिले में स्थित कैचमेंट का कन्टूर सर्वे	१,१२,४१७
३––बोरवा, पैंथा गऊघाट, हुल वाना, फकड़पुर, देहगांव ड्रेनों व राधा कुण्ड कट का निर्माण	२२,३३२
योग ..	१,६७,९१६

उपर्युक्त के अतिरिक्त रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नहरों का निर्माण व सर्वेक्षण का कार्य भी १–९–१९७१ से इस खण्ड को सौंप दिया गया है ।

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५२ पर)

नलकूप प्रखण्ड, (प्रथम) अलीगढ़

नलकूप खण्ड (प्रथम), अलीगढ़ में वर्ष १९७१–७२ में स्थायी किये गये नलकूपें चालकों की सूची—

क्रमांक	नाम कूप चालक	पिता का नाम	तारीख नियुक्ति	तारीख स्थायीकरण
१	२	३	४	५
१	श्री किशन किशोर	श्री राम स्वरूप	१८–९–५५	१–४–१९७०
२	श्री मोती सिंह	श्री राम प्रसाद	१–१०–५५	,,
३	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	श्री वेग सिंह	१३–१०–५५	,,
४	श्री हेत राम	श्री पोखपाल	२३–१०–५५	,,
५	श्री सूरजभान	श्री रघुराज	१–११–५५	,,
६	श्री हरि किशन	श्री अवध बिहारी	६–११–५५	,,
७	श्री रघुनाथ	श्री हर प्रसाद	११–११–५५	,,
८	श्री रोशनगिरि	श्री शोभा राम	२८–११–५५	,,
९	श्री शोभा राम	श्री मुरलीधर	१–१२–५५	,,
१०	श्री बाबू राम	श्री गेंदा राम	६–१२–५५	,,
११	श्री बेनी प्रसाद	श्री फतेह सिंह	६–१२–५५	,,
१२	श्री ब्रह्मदेव	श्री ताराचन्द्र	१२–११–५५	,,
१३	श्री भगवान सहाय	श्री गोकुल चन्द्र	१८–१२–५५	,,
१४	श्री नवाब सिंह	श्री राम दास	१–२–५६	,,
१५	श्री राम प्रसाद	श्री मुरली धर	१–२–५६	,,
१६	श्री शशि भूषण	श्री राम नरायण	१२–२–५६	,,
१७	श्री सीताराम	श्री कमला प्रसाद	१–४–५६	,,
१८	श्री ओम प्रकाश	श्री नेम सिंह	३–४–५६	,,
१९	श्री भगवती प्रसाद	श्री मुंशी लाल	५–४–५६	,,
२०	श्री राजवीर	श्री निहाल सिंह	१६–४–५६	,,
२१	श्री ओम प्रकाश	श्री शिवचरन	२–५–५६	,,
२२	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री सावन्त सिंह	५–५–५६	,,
२३	श्री भगवती प्रसाद	श्री ठाकुर प्रसाद	६–५–५६	,,
२४	श्री सोनपाल	श्री बाबू सिंह	६–५–५६	,,
२५	श्री बांकेलाल	श्री बालकिशन	१३–५–५६	,,
२६	श्री करन सिंह	श्री मुरलीधर	२६–६–५६	,,
२७	श्री हीरा लाल	श्री सकटूमल	१७–६–५६	,,
२८	श्री राम जी लाल	श्री रघुवर दयाल	२९–७–५६	,,
२९	श्री छत्तर सिंह	श्री तोडी सिंह	२४–८–५६	,,
३०	श्री कन्हैयालाल	श्री नौवत राम	१७–११–५६	,,
३१	श्री रमेश चन्द्र	श्री बेचेलाल	२०–११–५६	,,
३२	श्री बंगाली बाबू	श्री पूरन मल	२०–११–५६	,,

१	२	३	४	५
३३	श्री सहदेव	श्री परसादी लाल	२३–११–५६	१–४–१९७० से
३४	श्री राम चन्द्र लाल	श्री हरचरन लाल	२४–११–५६	,,
३५	श्री राम प्रसाद	श्री घूरे लाल	१३–१२–५६	,,
३६	श्री मानिक चन्द्र	श्री मक्खन लाल	२५–१२–५६	,,
३७	श्री ईश्वर सरन	श्री सिया राम	१४–१–५७	,,
३८	श्री सुरेन्द्र प्रताप	श्री गोविन्द सिंह	२–१–५७	,,
३९	श्री विशन स्वरूप	श्री लायक सिंह	२–३–५७	,,
४०	श्री राम प्रकाश	श्री बृन्दावन लाल	१२–५ ५७	,,
४१	श्री रमेश चन्द्र	श्री कन्छी मल	२८–६–५७	,,
४२	श्री ग्यानेश्वर सिंह	श्री श्यामवीर सिंह	२४–१०–५७	,,
४३	श्री रामपाल	श्री जमंगी लाल	१३–११–५७	,,
४४	श्री उदयवीर	श्री नरायन सिंह	३०–११–५७	,,
४५	श्री इन्द्र पाल	श्री देवी दयाल	२–१२–५७	,,
४६	श्री मुरारी लाल	श्री प्यारे लाल	७–१२–५८	,,
५७	श्री राजवीर	श्री मोला सिंह	७–५–५८	,,
४८	श्री ओम प्रकाश	श्री जमुना प्रसाद	७–६–५८	,,
४९	श्री राम चरन लाल	श्री होती लाल	२०–९–५८	,,
५०	श्री चन्दा लाल	श्री चिरन्जी लाल	१–१०–५८	,,
५१	श्री सत्य नारायण	श्री राम प्रसाद	१८–१०–५८	,,
५२	श्री यज्ञदत्त	श्री हर प्रसाद	१–११–५८	,,
५३	श्री रविकरण	श्री राम जी	१३–११–५८	,,
५४	श्री जगदीश	श्री सीताराम	१५–११–५८	,,
५५	श्री हरपाल	श्री राधे सिंह	१८–११–५८	,,
५६	श्री राम दयाल	श्री राम स्वरूप	२०–११–५८	,,
५७	श्री रामस्वरूप	श्री धर्मपाल	२२–११–५८	,,
५८	श्री जाधोराम	श्री डालचन्द्र	२४–११–५८	,,
५९	श्री श्री नेम सिंह	श्री छिदा सिंह	३०–११–५८	,,
६०	श्री भूदेव प्रसाद	श्री बाबूराम	१–१२–५८	,,
६१	श्री सत्यदेव	श्री परसादी लाल	२–१२–५८	,,
६२	श्री महावीर सिंह	श्री मित्रा सिंह	६–१२–५८	,,
६३	श्री ओम प्रकाश	श्री मिश्री लाल	१५–१२–५८	,,
६४	श्री प्रभू दत्त	श्री वीरवल सिंह	२७–१२–५८	,,
६५	श्री हरपाल सिंह	श्री छत्तर सिंह	१–१–५९	,,
६६	श्री बहोरी सिंह	श्री राम स्वरूप	१–१–५९	,,
६७	श्री हर्षाव सिंह	श्री डूगर सिंह	१४–१–५९	,,
६८	श्री नोवत सिंह	श्री पूरन सिंह	१–२–५९	,,
६९	श्री डूगर सिंह	श्री कान्हाराम	१–४–५९	,,
७०	श्री जगदीश प्रसाद	श्री मुसद्दीलाल	१–६–५९	,,
७१	श्री राम निवास	श्री पोखे सिंह	३–६–५९	,,
७२	श्री प्रेम शंकर	श्री दुधानीलाल	४–६–५९	,,
७३	श्री नरदेव	श्री राम स्वरूप	७–६–५९	,,
७४	श्री राम प्रकाश	श्री पन्नालाल	२०–६–५९	,,

१	२	३	४	५
७५	श्री रामपाल	श्री रोशन सिंह	२०–६–५९	१–४–७० से
७६	श्री रोशन सिंह	श्री मानसिंह	१–७–५९	,,
७७	श्री विशन स्वरूप	श्री नरेन्द्र नारायण	९–७–५९	,,
७८	श्री शशिपाल सिंह	श्री नरायन लाल	१–८–५९	,,
७९	श्री अर्जुन सिंह	श्री जगजीत सिंह	८–८–५९	,,
८०	श्री सूरज पाल	श्री उमराव सिंह	१–९–५९	,,
८१	श्री जनार्दन	श्री राम स्वरूप	१४–१२–५९	,,
८२	श्री गंगा सहाय	श्री पन्ना लाल	२१–१२–५९	,,
८३	श्री भगवती प्रसाद	श्री प्यारे लाल	४–२–६०	,,
८४	श्री राम सिंह	श्री पितम्बर सिंह	३–४–६०	,,
८५	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री दुर्जन सिंह	१२–५–६०	,,
८६	श्री बवाहर लाल	श्री रघुवर दयाल	२९–५–६०	,,
८७	श्री लायक सिंह	श्री महताब सिंह	२९–५–६०	,,
८८	श्री महेन्द्र पाल	श्री राम चन्द्र सिंह	१३–१०–६०	,,
८९	श्री महावीर सिंह	श्री जनक सिंह	९–११–६०	,,
९०	श्री किरन पाल	श्री जीवाराम	२३–११–६०	,,
९१	श्री हरिशंकर	श्री मुंशी लाल	१–१२–६०	,,
९२	श्री रोशन लाल	श्री नवल सिंह	१६–१२–६०	,,

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५४ पर)

वर्ष १९७०–७१ में एक वर्ष से अधिक समय तक बिना स्वीकृत अवकाश पर रहने वाले सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिदर्शकों की सूची—

१—श्री रमेशचन्द्र गर्ग
२—श्री शाह आलम
३—श्री शेर सिंह जैन
४—श्री विद्या सागर गोयल
५—श्री नरेश चन्द्र गुप्ता
६—श्री लक्ष्मी प्रकाश दत्ता
७—श्री राजेन्द्र कुमार गोयल
८—श्री राज कुमार
९—श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय
१०—श्री कृष्ण स्वरूप उपरेती
११—श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल
१२—श्री रास विहारी पाण्डे
१३—श्री भगवान प्रसाद
१४—श्री नरेन्द्र कुमार नाथ
१५—श्री लालता प्रसाद गर्ग
१६—श्री महेश्वर दयाल।

विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५५ पर)

बलिया जिले में सुरेमनपुर ठोकर की मरम्मत और निगरानी पर वित्तीय वर्ष १९६९–७० और १९७०–७१ में जो व्यय हुआ उसका व्योरा निम्नलिखित है :––

वर्ष १९६९–७०

कार्य का विवरण	व्यय की गई धनराशि
	रु०
१––क्रेट की जाली की बुनाई, पत्थर भराई तथा क्रेटों का डालना ..	१९८.००
२––पत्थरों को पुराने ध्वस्त क्रेटों से निकालना और क्रेटों की मरम्मत करके पुनः क्रेट में डालना	४,५८४.००
३––मिट्टी के कार्य	१,५०७.००
४––पत्थर, जी०आई० तार एवं बांस आदि की कीमत जो भंडार से दिये गये	६,९१५.५०
५––पाइप के गेट गड़वाना मूल्य सहित	१,२७२.००
६––अस्थायी निवास के निमित्त झोपड़ी	९७७.००
७––कार्य प्रभारित कर्मचारी	५२५.००
योग ..	१५,९७८.५०

वर्ष १९७०–७१

१––सुरेमनपुर के कार्य के पुराने बिल का भुगतान	१७९.००
२––कार्य प्रभारित कर्मचारी	४५०.००
३––अस्थायी टीन शेड को गिराकर जी०सी० टीन को निकालना	३१५.००
योग ..	९४४.००

४––निकाले गये जी०सी०टीन का मूल्य (९४९०) घटाने पर वास्तविक व्यय ९४९–९४४-५-००

नत्थी "ञ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर)

बाढ़ निरोधक कार्यों पर वर्ष १९७१–७२ में विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर व्यय के प्राविधान की सूची

क्र०-सं०	योजना का नाम	व्यय का प्राविधान (लाख रुपया)
	सीमान्त बांध—	
१	देवरिया जिले में पश्चिमी गंडक नहर रेलवे क्रासिंग के ग्राम कटई भटपुरवा तक छितौनी बांध का रिटायरमेंट कार्य ..	रु० २.००
२	देवरिया जिले में छितौनी बांध के पीछे मील ४–२–० से ९–०–० तक रक्षा कार्य	६.००
३	छितौनी बांध के मील ५–४ से रेलवे तक रक्षा कार्य ..	२०.००
४	बदायूं जिले में गंगा-महेवा बांध का विस्तार कार्य	१.००
५	जिला नैनीताल में बाढ़ से शक्ति फार्म सुरक्षा हेतु सुक्खी नदी पर क्यूनेट का निर्माण	२.८०
६	जिला बलिया में तुर्तीपार श्रीनगर बांध का रिटायरमेंट कार्य ..	०.१०
७	जिला आजमगढ़ में हाहा नाला बांध का रिटायरमेंट कार्य ..	०.५०
८	जिला बलिया में वर्ष १९७१ में बलिया-बेरिया बांध का अस्थायी सुरक्षा कार्य	१२.५०
९	जिला आजमगढ़ में वर्ष १९७१ में हाहा नाला बांध का अस्थायी सुरक्षा कार्य	०.२७
१०	जिला मुजफ्फरनगर में बरही-मुस्तफाबाद बांध का निर्माण ..	१४.००
११	जिला सहारनपुर में लखनौती बांध पर दो स्परों का निर्माण ..	२.५०
१२	जिला बस्ती में बांसी पनघटिया बांध पर बंजरिया बुजुर्ग की ठोकरों की मरम्मत	०.५०
१३	जिला बस्ती में बांसी पनघटिया बांध का रिटायरमेंट कार्य ..	०.८०
१४	बस्ती जिले में पुनराधोधी बांध का रिटायरमेंट	०.५०
१५	जिला देवरिया में टिगरा मराछी बांध का मरम्मत कार्य ..	०.३०
१६	जिला प्रतापगढ़ में बालीपुर बांध का मरम्मत कार्य ..	०.०८
१७	—जिला गोरखपुर में तोठाराखक बांध को मजबूत करना ..	०.४०

क्रम-सं०	योजना का नाम	व्यय का प्राविधान (लाख रुपया)
	सीमान्त बांध—	
१८	जिला मुजफ्फरनगर में फतेहपुर ग्राम के निकट स्परों का निर्माण-कार्य	२.४०
१९	जिला मुजफ्फरनगर में ग्राम मदापुर हैदरपुर और रेमड़ा के निकट पक्की ठोकरों का निर्माण कार्य	१.४०
२०	जिला मेरठ में टांडा ग्राम के बचाव हेतु ठोकरों का निर्माण ..	०.८०
२१	जिला बाजपुर बांध का विस्तार	०.३०
२२	गोरखपुर जनपद में मलौनी होवर्ट बांध के सुरक्षा कार्य ..	१५.००
२३	आजमगढ़ में पूर्वी ओर बांध का निर्माण	०.१५
	योग ..	८४.३० लाख ०
	नगर सुरक्षा कार्य—	
१	लखनऊ शहर के सुरक्षा कार्य	६०.००
२	वाराणसी घाटों के सामने लार्चिंग एप्रेन डालना ..	५.००
३	वाराणसी में तुलसीघाट की विशेष सुरक्षा कार्य ..	०.४४
४	लखनऊ में जियामऊ व मार्टिनपुरवा में बाढ़ से बचाव ..	१.५०
	योग ..	६६.९४ लाख रु०
	सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल—	
१	सर्वेक्षण एवं बाढ़ भविष्यवाणी का प्राक्कलन	०.९०
	योग ..	०.९० लाख रु०
	जल-मार्गों का प्रसार—	
१	अप्सरा नदी पर ९ स्क्रुपाइल पुलों का निर्माण ..	०.०५
	योग ..	०.०५
	जलोत्सारण संबंधी सुधार—	
१	पुनरीक्षित गोवर्धन प्रोजेक्ट	०.०५
२	जिला लखनऊ में किला मोहम्मदी नगर ड्रेन का पुनरोद्धार ..	०.५०
३	जिल एटा में पलरा ड्रेन का पुनरोद्धार	१.००

क्रम-सं०	योजना का नाम	व्यय का प्राविधान (लाख रु०)
	जलोत्सारण संबंधी सधार—	रु०
४	जिला अलीगढ़ में सोमना ड्रेन का पुनरोद्धार	०.५०
५	जिला नैनीताल में हत्यारी तथा दानपुर ड्रेन का निर्माण-कार्य ..	०.२५
६	जिला बलिया में बड़ेड़ा नाला की क्षमता बढ़ाना	०.४०
७	जिला जालौन में गोहान उमरी तथा पहाड़गांव ड्रेनों का निर्माण-कार्य तथा पुनरोद्धार	१.००
८	चांदपुर स्पाड सलारा ड्रेन	०.०४
९	जिला सहारनपुर में चकवाली ड्रेन का निर्माण-कार्य ..	१.००
१०	उत्तर प्रदेश के ४ पूर्वी जिलों में ड्रेनों का निर्माण	०.५०
११	जिला आगरा में मथुरा में हरनद ड्रेन का निर्माण ..	३.००
१२	जिला मथुरा में भटेन ड्रेन का निर्माण ..	१.५०
१३	जिला अलीगढ़/मथुरा में इक्कू ड्रेन का पुनरोद्धार ..	०.२५
१४	जिला मथुरा/अलीगढ़ जिले में जभौन जोगपुरा पिरसूवा और शेरनी ड्रेन का निर्माण	०.५०
१५	जिला मथुरा/आगरा में वोरपा, पथा व गऊघाट ड्रेन का निर्माण ..	०.५०
१६	गोवर्द्धन नाले पर कामा रेगुलेटर के गाइड बांध को सुदृढ़ तथा ऊंचा करना	०.३०
१७	सुहेला ताल ड्रेन का पुनः निर्माण (जनपद गोंडा) ..	०.१०
१८	ताल बघेल ड्रेन का निर्माण (जनपद गोंडा)	०.५०
१९	भरैल ड्रेन का निर्माण	०.०५
२०	हथौड़ा ड्रेन का पुनरोद्धार (जनपद हरदोई व उन्नाव) ..	२.००
२१	छेइया ड्रेन का पुनरोद्धार	०.०५
२२	सरवन ताल ड्रेन का निर्माण (जनपद उन्नाव) ..	१.००
२३	आदमपुर लतीफपुर ड्रेब का निर्माण (जनपद उन्नाव) ..	०.२०
२४	जिला शाहजहांपर में चदेरी स्केप झील का पुनः निर्माण-कार्य ..	१.००
२५	कुसुम्भी भीतरपार व चिराया नाले के पुनरोद्धार (जनपद उन्नाव)	०.४०
२६	बसहा ड्रेन का निर्माण (जिला रायबरेली) ..	०.५०
२७	जनपद सुल्तानपुर में अहुरी ताल ड्रेन का निर्माण ..	०.१०
	योग ..	१७.१९

	नदी सुधार तथा भूमि कटाव रोकने के लिये निर्माण-कार्य	रु०
१	परियाली सोत बाढ़ सुरक्षा कार्य	०.२०
२	मालिन बाढ़ सुरक्षा कार्य	१.८७
३	खोह बाढ़ सुरक्षा कार्य	०.४८

क्रम-सं०	योजना का नाम	व्यय का प्राविधान (लाख रुपया)
	नदी सुधार तथा भूमि कटाव रोकने के लिये निर्माण-कार्य—	
४	सिगट्ढी बाढ़ सुरक्षा कार्य ..	.. ०.७०
५	सती चौड़ सुरक्षा कार्य ..	.. ०.१०
६	ध्वाल खेड़ा सुरक्षा कार्य ..	.. ०.७५
	योग ..	४.१०
	महायोग ..	१७३.४८ लाख रु०
	ओवर हेड चार्जेज ..	३२.५२ लाख रु०
	योग ..	२०६.०० लाख रु०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

क्रम-संख्या	मंडल का नाम	अधीक्षक अभियन्ताओं का नाम	तिथि जिससे कार्यरत हैं
	१—मुख्यतः—नहरों के रखरखाव वाले मंडल		
	सर्वश्री—		
१	प्रथम मंडल, सिंचाई कार्य, मेरठ ..	.. भगवान दास राठी	१२–६–७०
२	द्वितीय मंडल, सिंचाई कार्य, कानपुर	.. बृज मोहन स्योनी	१४–७–७०
३	तृतीय मंडल, सिंचाई कार्य, आगरा ..	.. रवीन्द्र नाथ मेहरिश	२७–१२–६७
४	चतुर्थ मंडल, सिंचाई कार्य, झांसी ..	.. वेद मित्र मांगलिक	२२–५–६८
		नोट:—श्री मांगलिक का स्थानान्तरण सिंचाई कार्य मंडल, नैनीताल कर दिया गया है तथा इनके स्थान पर श्री रामनगीना सिंह, अधीक्षक अभियन्ता की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।	
५	पंचम मंडल, सिंचाई कार्य, बरेली ..	.. नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	२२–९–७१
६	षष्टम मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ	.. सुरेश चन्द्र	६–६–७०
७	सप्तम मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ	.. कृष्ण कुमार सिंह	७–६–६८
८	सिंचाई कार्य मंडल, अलीगढ़ ..	.. धर्मपाल	१०–१–७१
९	सिंचाई कार्य मंडल, बरेली ..	.. जय चन्द जैन	१५–७–७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	सिंचाई कार्य मंडल, नैनीताल ..	..	विश्वम्भर दयाल ..	.. १–१२–६८ इनके स्थान पर श्री वेद मित्र मांगलिक, अधीक्षक अभियन्ता के स्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा श्री दयाल की अन्य स्थान पर स्थापना सम्बन्धी मामला विचाराधीन है।
११	सिंचाई कार्य मंडल, वाराणसी ..	..	शिवराज सिंह ..	.. २०–११–७१
१२	सिंचाई कार्य मंडल, इलाहाबाद ..	..	शंकर लाल डी० शर्मा	.. ५–८–७१

२—मुख्यतः—नलकूपों तथा लिफ्ट सिंचाई के रखरखाव वाले मंडल

सर्वश्री—

१३	नलकूप मंडल, बाराणसी ..	..	कृष्ण लाल गुप्ता ..	.. ४–७–७१
१४	नलकूप मंडल, कानपुर ..	..	प्रभात चन्द्र प्रमानिक (यांत्रिक)	.. २७–११–७०
१५	नलकूप मंडल, बरेली ..	..	जगदीश प्रसाद गुप्ता (यांत्रिक)	.. २५–११–७१
१६	नलकूप मंडल, मुरादाबाद ..	..	गुर सेवक दास सिन्हा (यांत्रिक)	.. ३–७–७१
१७	नलकूप मंडल, अलीगढ़ ..	..	चन्द्र किशोर अशधीर (यांत्रिक)	.. २८–७–६८
१८	नलकूप मंडल, मेरठ ..	..	सत्य देव पंडित (यांत्रिक)	.. २–७–७१
१९	सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद	..	राम नाथ टंडन (यांत्रिक)	.. १४–७–७१
२०	लिफ्ट सिंचाई मंडल, वाराणसी ..	..	देवी दत्त सेमवाल (यांत्रिक)	.. २१–१२–६८

३—ऐसे मंडलों के लिए जिनमें नहरों तथा नलकूपों दोनों के रखरखाव के कार्यों हेतु

२१	सिंचाई कार्य मडल, गोरखपुर ..	..	सतीश चन्द्र सिन्हा (यांत्रिक)	.. २७–११–७१
२२	सिंचाई कार्य मंडल, फैजाबाद ..	..	बेनी प्रसाद गोयल (यांत्रिक)	.. २६–११–७१

४—परियोजनाओं के निर्माण, परिकल्प, रिसर्च, अनुसंधान एवं नियोजन तथा प्रक्योरमेन्ट इत्यादि वाले मंडल

२३	अष्टम मंडल, सिंचाई कार्य शारदानगर, लखीमपुर ..	..	गौरी कान्त मिश्रा ..	.. २२–८–६८

स-संख्या	मंडल का नाम	अधीक्षक अभियन्ताओं का नाम	तिथि जिससे कार्यरत हैं
		सर्वश्री	
२४	नवम् मंडल, सिंचाई कार्य, सीतापुर ..	मुरारी लाल गुप्ता	२९-११-७१
२५	दशम् मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ.. ..	हर प्रसाद भार्गव	२३-११-७१
२६	एकादश मंडल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद ..	दया प्रकाश	१८-१२-७१
२७	ड्रेनेज मंडल, मेरठ	धर्म भूषण गर्ग	२३-११-७१
२८	ड्रेनेज मंडल, बलिया	राम कृष्ण	३-१२-७१
२९	इर्रीगेशन वर्कशाप मंडल, कानपुर	अजीत कुमार चौधरी (यांत्रिक) ..	१-७-७१
३०	सेन्ट्रल इक्यूपमेंट ऐण्ड स्टोर प्रक्योरमेंट आर्गनाइजेशन, लखनऊ।	रमा कान्त त्रिवेदी (यांत्रिक) ..	२८-११-७१
३१	इर्रीगेशन रिसर्च इन्स्टीटचूट, रुड़की ..	हेरम्ब दत्त शर्मा (निदेशक)	४-१२-७१
३२	केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ ..	हरि मोहन (निदेशक)	३-८-७१
३३	केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ ..	नरेन्द्र कुमार द्विवेदी	४-७-६५
३४	केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ ..	प्रेम प्रकाश अग्रवाल	३०-७-७१
३५	केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ ..	मदन पाल त्यागी	२०-६-६९
३६	केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ ..	शम्भू दत्त शर्मा	२६-३-७१
३७	ग्राउण्ड वाटर सेल, लखनऊ	हंस कुमार (निदेशक)	२२-७-७०
३८	ओबरा डाम निर्माण मंडल, ओबरा ..	करतार हिम्मत सिंह भम्भानी ..	१७-७-७०
३९	राम गंगा चैनल निर्माण मंडल, कानपुर ..	प्रकाश बहादुर	२०-७-६८
४०	गंडक नहर निर्माण मंडल प्रथम, गोरखपुर ..	कृष्ण टीका राम जैन	२६-६-७०
४१	गंडक नहर निर्माण मंडल द्वितीय, गोरखपुर ..	शिव कुमार कंसल	१६-१०-६९
४२	गंडक नहर निर्माण मंडल तृतीय, गोरखपुर ..	धर्मा नन्द काला	७-८-७१
४३	गंडक नहर निर्माण मंडल चतुर्थ, गोरखपुर ..	आनन्द नारायण हरकौली ..	१९-७-७१
४४	यमुना सिविल निर्माण मंडल, देहरादून ..	कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव	१३-८-६५
४५	टोन्स सिविल निर्माण मंडल, प्रथम, देहरादून ..	गंगा नारायण टंडन	९-१२-६४

४६	टोन्स सिविल निर्माण मंडल द्वितीय, देहरादून	..	देशराज सिंह	.. ..	२९–८–६९
४७	मनेरी भाली डाम निर्माण मंडल, उत्तरकाशी	..	राधे स्वरूप माथुर	.. ..	१६–२–७१
४८	अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, देहरादून	..	ज्ञान चन्द्र अग्रवाल	.. ..	१९–६–७०
४९	अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, ऋषीकेश	..	राम चन्द्र गुप्ता	.. ..	२७–११–७१
५०	अनुसंधान एवं नियोजन मंडल, लखनऊ	..	सत्य प्रकाश गर्ग	.. ..	३–८–७१
५१	टेहरी डाम निर्माण मंडल प्रथम, टेहरी	..	महेश चन्द्र	.. ..	७–१२–७१
५२	टेहरी डाम निर्माण मंडल द्वितीय, रुड़की	..	श्री.....	.. ..	श्री विश्वम्भर दयाल अधीक्षक अभियन्ता के स्थापना के साथ-साथ इस मंडल में अधीक्षक अभियन्ता की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है।
५३	निर्माण निदेशक, रामगंगा परियोजना, कालागढ़	..	फूल प्रकाश (निदेशक)	.. ..	५–८–७१
५४	कार्य मंडल, कालागढ़ ..	..	महेन्द्र कुमार संगल	.. ..	२७–१२–६७
५५	वर्कशाप मंडल, कालागढ़ ..	..	महेश चन्द्र जिन्दल (यांत्रिक)	.. ..	२३–१२–६९
५६	प्लांट डिजाइन मंडल, कालागढ़ ..	..	कृष्ण मुरारी महेश्वरी	.. ..	५–९–७०
५७	डाम मंडल, कालागढ़ ..	..	नरेन्द्र नाथ एन्डले	.. ..	२७–६–६५
५८	निरीक्षण एवं नियंत्रण मंडल, कालागढ़	..	सुरेन्द्र प्रकाश जैन	.. ..	२५–७–७१
५९	स्टोर्स मंडल, कालागढ़ ..	..	राजेन्द्र कुमार जैन	.. ..	१८–१०–६९
६०	फीडर चैनल निर्माण मंडल प्रथम, मुरादाबाद	..	पुरुषोत्तम लाल विजय	.. ..	३–७–७१
६१	फीडर चैनल निर्माण मंडल द्वितीय, मुरादाबाद	..	अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी	.. ..	२–६–७०
६२	सचिव, रामगंगा नियंत्रण परिषद्, लखनऊ	..	देवी दत्त सानवाल	.. ..	७–७–७०

प्रभात सभा

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० २४८ एल० ए०–१९७२–८४५ ।